राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छठा दिवस [संख्या 2

सोमवार, दिनांक 8 अक्टूबर, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य, सहकारिता, राजस्व, सिंचाई, वन, विद्युत, आयुर्वेद, राजस्थान नहर परियोजना, खनिज, अकाल सहायता एवं नगर आयोजना विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री शिवचरण माथुर।

माणिक सागर बांध का निर्माण कार्य

17. **श्री शिवचरण माथुर** (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ़ तहसील में माणिक सागर (जैतपुरा) बांध का शिलान्यास कब हुआ था?

(2) उक्त बांध पर प्रारंभ के अनुमान के अनुसार कितनी धनराशि व्यय होने का प्रावधान था?

(3) शिलान्यास बाद अलग अलग वर्षों में उक्त बांध पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा कितना निर्माण कार्य अलग अलग वर्षों में हुआ?

(4) उक्त बांध के कुल खर्च का अनुमान क्या कभी संशोधित किया गया? यदि हाँ तो कब और किन कारणों से?

(5) पिछले कितने समय से उक्त बांध का निर्माण कार्य बन्द है? निर्माण कार्य बन्द होने का क्या कारण है?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द): (1) मार्च 1969 में।

(2) 34.02 लाख रुपए।

(3) वर्ष 1969-70 में 12.32 लाख रुपया।

वर्ष 1970-71 में 14.26 लाख रुपया

वर्ष 1971-72 में 10.13 लाख रुपया

वर्ष 1972-73 में 2.60 लाख रुपया

(4) जी हाँ। वर्ष 1972 के डिजाइन में परिवर्तन एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण संशोधित किया गया।

(5) निर्माण कार्य करीब 6 मास से बन्द है। इसका कारण बांध के डिजाइन में परिवर्तन व वर्षा है। बांध का कार्य फिर शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : आपने 4 साल के खर्चे के आंकड़े दिए हैं उनमें 1972-73 में

(श्री शिवचरण माथुर)
2.60 लाख खर्च का अन्दाज बताया है। मैं जानना चाहता हूं खास तौर से 1972-73 में जो यह खर्चा हुआ उसमें बांध पर क्या काम हुआ ?

(विराम)

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : मैं उत्तर दे दूं ?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : आपका अवसर अभी नहीं आया।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री **मूलचन्द** : इसका एस्टीमेट जो उस समय बना था और अभी के एस्टीमेट में अन्तर है क्योंकि मूल्यवृद्धि और संशोधित लागत के कारण; अभी इस योजना पर करीब 90.11 लाख का तखमीना है। जितना काम हुआ है उस हिसाब से 1972-73 में 2.60 लाख की लागत थी वह बहुत कम थी, उससे साइड विंग वाल में थोडा काम हुआ।

श्री **शिवचरण माथुर** : मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर नहीं आया। यह जो 2.60 लाख रुपया आपने 1972-73 में खर्च का अन्दाजा बताया है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय सूचना देने में असमर्थ हैं। मैं स्पेसीफिकली जानना चाहता हूं कि क्या काम 1972-73 में हुआ था ?

श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): काम कुछ नहीं हुआ तो खर्चा कैसे हुआ ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : पहले तय कर लीजिए कि खर्चा हुआ या नहीं। कहीं गल्ती न हो जाए।

श्री **मूलचन्द** : मेरे पास सूचना है कि खर्चा अवश्य हुआ है।

श्री **शिवचरण माथुर** : मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था। अलग अलग वर्षों में क्या क्या खर्चा हुआ, किन किन मुद्दों पर खर्चा हुआ, यह जानकारी चाही। आपने 2.60 लाख के डिटेल्स नहीं बताए, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है और प्रश्न की मूल भावना के विपरीत है। स्पष्ट रूप से उत्तर देने का कष्ट करें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): आपका सवाल यह है कि शिलान्यास के बाद अलग अलग वर्षों में उक्त बांध पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा कितना निर्माण कार्य अलग अलग वर्षों में हुआ।

हमने कम्पलीट उत्तर दिया है कि इतनी इतनी धनराशि इस इस साल में खर्च हुई है।

श्री **अध्यक्ष** : किस काम पर हुई ?

श्री **योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस वर्ष इतनी धनराशि व्यय हुई है और माननीय सदस्य का कहना है कि उस वर्ष में कुछ व्यय नहीं हुआ, तो यह कैसे तय हो।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : प्रश्न सीधा है निर्माण कार्य।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : निर्माण कार्य में व्यय हुआ। मैं आपको मदद दूंगा, शायद कर्मचारियों में ही व्यय हो गया हो। इसलिये दोनों का विश्लेषण कर दिया जाए कि कर्मचारियों पर कितना हुआ व निर्माण कार्य पर कितना हुआ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री शिवचरण माथुर : अलग से नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जानकारी प्राप्त करके ही दे सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : साफ तौर से मैंने पूछा है कि अलग 2 वर्षों में कितनी धनराशि व्यय हुई और कितना निर्माण कार्य हुआ। अलग से प्रश्न होने का सवाल नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उत्तर देना नहीं चाहते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : निर्माण कार्य का विश्लेषण होगा–ईटें पकी, खुर्रा बना, पत्थर लाए और एकाध पुल बना दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कितनी ईटें पकी कितने पत्थर आए, यह सवाल नहीं होता है लेकिन यदि आप कहेंगे तो इस की जानकारी भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) आप इस पर रोशनी फर्मा सकते हैं क्या कि किस किस काम पर यह खर्चा हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 2.60 लाख खर्चा हुआ, किस किस काम पर कितना हुआ अलग से जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 2.60 लाख रुपये कर्मचारियों पर नहीं हो सकता।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस बांध का 1969 में शिलान्यास हुआ उसके बाद में 1971 के अंत में काम हुआ। 1972-73 में कोई काम नहीं हुआ। जो कुछ मशीनरी थी वहाँ से हटाई गई और मार्च, 1972 में जितना स्टाफ था, तोड़ दिया गया और इस साल 25.65 लाख का प्रावधान है लेकिन 6 महीने निकलने के बाद में भी स्टाफ या अन्य किसी मुद्दे पर खर्च की शुरुआत नहीं की गई है। मैंने कई बार बताया है कि मॉडलगढ़ उपजाऊ तहसील है और वहाँ पर बहुत सोच विचार कर इन्वेस्टीगेशन करने के बाद निर्णय लिया गया कि वहाँ तालाब बनाया जाए तो सारे इलाके का फायदा हो सकता है। पाँचवी योजना में मीडयम वर्क्स में इसका प्रावधान रखा है लेकिन बावजूद 25.65 लाख के प्रावधान के, 6 महीने गुजरने के बाद भी न स्टाफ ही आया, न कोई आगे काम में कार्यवाही की। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि 6 महीने में खर्च कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता इतना बड़ा काम जिसमें 25 लाख का प्रावधान हो बगैर टेन्डर्स इन्वाइट किये और दूसरी कार्यवाही किये, आप कैसे 6 महीने में कर पायेंगे। इसलिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जो उपेक्षा बरती जा रही है, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Kindly euedite ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भाग्यशाली कौन था जिसने शिलान्यास किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 34 लाख का प्रावधान था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिलान्यास दुबारा किया जाएगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी: जिसका 90 लाख का तख्मीना हो गया वह डिजाइन की वजह से हुआ है, डिजाइन सैक्शन के लिये पी. डब्ल्यू. डी. को कागजात गए हुए हैं, वहाँ से इजाजत आने के बाद काम शुरू कर सकेंगे, पहले नहीं।

श्री शिवचरण माथुर: पहले 34 लाख का है ....

श्री अध्यक्ष: You have said enough

श्री शिवचरण माथुर: 34 लाख के बजाय मंत्री महोदय ने बताया कि 90 लाख का रिवाइज्ड एस्टीमेट है। पहले की योजना खटाई में पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: श्री लूणाराम।

चूरू जिले के रक्षित चरागाह क्षेत्र की देख रेख का प्रबन्ध।

18. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विस्तार अधिकारियों का चूरू जिले में पद समाप्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितनों का? तहसीलवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि एकाएक समुचित स्टाफ को हटा लेने से अकाल राहत के अन्तर्गत जो कार्य हो रहा था उस पर कुप्रभाव पड़ा है?

(3) क्या यह सही है कि इस जिले के रक्षित चरागाह क्षेत्र जिनमें वृक्ष आदि लगे थे आज बिना देख रेख के बर्बाद हो रहे हैं?

(4) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके प्रबन्ध का विचार रखती है?

(5) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) चूरू जिले के डी. पी. ए. पी. योजना के कार्य बन्द हो जाने के कारण इन कार्यों पर नियुक्त डूंगरगढ़, सुजानगढ़ तथा सरदारशहर स्थित 3 विस्तार अधिकारियों के पद समाप्त कर दिये गए हैं।

(2) दूसरे अधिकारी इस कार्य को देखते रहेंगे।

(3) यद्यपि इन क्षेत्रों की देखरेख हेतु आवश्यक स्टाफ नहीं होने के कारण उनमें यदा कदा हानि होने की संभावना हो गई है किन्तु उनको बरबादी से बचाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) जिले के अन्य अधिकारी इस कार्य को देखते रहें यह व्यवस्था करदी गई है।

(5) उपरोक्त उत्तर के अनुसार व्यवस्था होगई है।

श्री लूणाराम: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि डूंगरगढ़, सुजानगढ़, और सरदारशहर तहसीलों के अन्दर जो अकाल राहत कार्य चल रहे थे वह बन्द कर दिये हैं तो मेरा निवेदन है कि जब राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत लाखों रुपये खर्च किये और वहाँ पर तालाब आदि बनवाने शुरू किये थे वह काम बन्द होने के कारण वह सब रुपया बरबाद हो गया है क्योंकि जो काम शुरू किये गये थे वह अधूरे

(श्री लूणाराम)

कि अधूरे ही रह गये तो राज्य सरकार जब खुद इसको मानती है तो फिर उनको बरबादी से बचाने के लिये राज्य सरकार दूसरे उपाय काम में क्यों नहीं ले रही है? दूसरे डूंगरगढ़ जिले के अन्दर जो डी.पी.ए.पी. के काम चल रहे थे और जो पूरे नहीं हो सकें उनके लिये क्या राज्य सरकार कोई व्यवस्था ऐसी कर रही है कि जिससे कि वह काम पूरे हो सके। क्या राज्य सरकार उन कामों को पूरे करने के लिये दूसरे अधिकारी नियुक्त कर रही है जिससे कि वह काम बरबाद नही हों।

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह काम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की स्कीम के अन्तर्गत खुले थे। यह तो डी. पी. ए. पी. स्कीम के अन्तर्गत वहां पर प्रोजेक्ट खोले गये थे। जब डी. पी. ए. पी. की योजना ही गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने बन्द कर दी तो यह आटोमेटिकली प्रोजेक्ट बन्द हो गये।

श्री **लूणाराम**: अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार स्वयं यह महसूस करते हैं कि वहां पर काम बरबाद हो रहा है तो फिर उन कामों को बरबाद होने से रोकने के लिये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, उन जगहों के लिये सेपरेट स्टाफ रखने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता लेकिन हम कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के तहत प्लान में उसको रीएडजस्ट करेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट! श्री रामलाल।

भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, भरतपुर

19. श्री **रामलाल** (बाड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भंडार लिमिटेड भरतपुर के चुनाव इसकी स्थापना से लेकर आज तक नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भंडार का वार्षिक आडिट भी आज तक नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो क्यों तथा अब भविष्य में इसका आडिट कब तक करा दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह): (1) जी नहीं। (2) जी नहीं।

श्री **रामलाल**: अध्यक्ष महोदय, भरतपुर होलसेस उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, भरतपुर के आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं?

श्री **निरन्जननाथ आचार्य** : आप भी यही कहते हैं और मंत्री महोदय ने भी यही कहा है।

एक माननीय सदस्य : आज तक इस मंडार के चुनाव ही नहीं हुए हैं और न हीं उसका कोई आडिट हुआ है।

श्री **जुझारसिंह**: यह बात गलत है। चुनाव हुए हैं और आडिट भी हुआ है।

श्री **निरन्जननाथ आचार्य** : अगर चुनाव हुए हैं तो कब हुए और अगर चुनाव हुए हैं तो क्या चुनाव निर्धारित अवधि में हुए या अवधि निकल जाने के बाद हुए? उसके लिये क्या आधार चुना गया?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भंडार लिमिटेड का चुनाव उप-नियम 38 के तहत गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह बोर्ड के सदस्यों को नोमीनेट करे। सबसे पहले 1967 में बोर्ड के मेम्बर्स के नोमीनेशन पाँच वर्ष के लिये हुए और उसके बाद में उनकी अवधि बढ़ायी गयी जो भी दो तीन बार अवधि बढ़ायी गयी।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : जैसे कि आप पंचायतों की अवधि बढ़ा रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष, वैसे रिप्रेजेन्टेटिव्ज का चुनाव 19-9-70 को हुआ था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायतों के चुनाव की अवधि बढ़ाना तो इनके घर की बात है वह तो और बढ़ जावेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अब तो पंचायतों का क्षय होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : Please Listen

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, 1970 में जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि 1970 में रिप्रेजेन्टेटिव्ज का इलेक्शन 19-9-70 को हुआ और उसके बाद में चुनाव 1973 में होने के लिये डेट फिक्स की गयी लेकिन इसी बीच में नदबई में चुनाव के स्टेज पर आपत्ति खडी की गयी और उसके खिलाफ में रिट डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के पास की गयी। डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने स्टे आर्डर दे दिया 31-8-73 को। इसलिये चुनाव नहीं हो सके हैं। बाकी यह कहना गलत है कि पहले कभी चुनाव नहीं हुए। यह सरासर गलत है कि चुनाव बिलकुल ही नहीं हुए।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, क्या उस उपभोक्ता भंडार का आडिट भी हुआ था और उस आडिट के अन्दर बहुत से गम्भीर आरोप उस भंडार के अध्यक्ष के खिलाफ में पाये गये लेकिन उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय पहले प्रश्न के जवाब में भी मैंने निवेदन किया कि चुनाव हुए थे और जहाँ तक सवाल आडिट होने का है आडिट तो उसका हर साल होता है। और अगर उसमें अध्यक्ष के खिलाफ में आडिट रिपोर्ट में गम्भीर आरोप हैं तो उसके लिये कार्यवाही होती ही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या उसका आडिट हुआ है। यह जानकारी हमें नहीं थी वह अभी आपने दी है। तो क्या आपने उस आडिट रिपोर्ट में ऐसा देखा है कि उसमें अध्यक्ष के खिलाफ में गम्भीर आरोप हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जबाब दे चुका हूं कि चुनाव भी हुए हैं और जो इन्होंने प्रश्न में पूछा कि उक्त भंडार का वार्षिक आडिट भी आज तक नहीं हुआ उसके लिये भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि उसका आडिट होता रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो क्या उन आडिट आब्जेक्शन्स के तहत उस अध्यक्ष के खिलाफ कोई एक्शन राज्य सरकार ने लिया है क्या ?

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, सात साल से लगातार गम्भीर आरोप उस अध्यक्ष पर पाये गये आडिट रिपोर्ट के अनुसार लेकिन

(श्री मीठालाल)
उसक खिलाफ में कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया ?

श्री जुझारसिंह : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैंने दे दिया है, आडिट हुआ है और आब्जेक्शन्स होते हैं तो खिलाफ एक्शन होता ही है आपने प्रश्न पूछा कि आडिट नहीं होता उसका जवाब मैंने दिया है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : तो अब पूछ लेते हैं कि क्या आपकी जानकारी में है कि कोई कायवाही उनके खिलाफ में हुई है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, नोर्मली तो अगर आरोप होते हैं तो कार्यवाही होती ही है ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री राजेन्द्रसिंह ।

श्री रामलाल: अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न ही चुनाव हो रहे हैं । अध्यक्ष के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है ? श्री राजेन्द्रसिंह ।

आबू पर्वत पर विद्युत मंडल द्वारा विद्युत् वितरण

20. श्री **राजेन्द्रसिंह** (उनियारा): क्या विद्युत् मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :—

(1) आबू पर्वत पर राज्य विद्युत् मंडल द्वारा बिजली वितरण व्यवस्था कब तक चालू कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि आज भी यही विद्युत् वितरण निजी संस्था के हाथ में है ? यदि हाँ, तो उसका लीज कब खत्म होता है और क्या लीज का समय खतम होने पर इसको बोर्ड द्वारा टेक ओवर कर लिया जावेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हाँ, माउन्ट आबू इलेक्ट्रिक्स सप्लाई कम्पनी को दिये गये वर्तमान लीज की अवधि 29 अक्टूबर, 1939 को खत्म होगी जिसके बाद मंडल इसे टेक ओवर कर लेगा । .....

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार की यह पोलिसी है कि प्राईवेट विद्युत् वितरण संस्थाओं की लीज खतम होने पर राज्य सरकार उन्हें टेक ओवर कर लेगी तो फिर राज्य सरकार उसे टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अगर प्राईवेट संस्थाओं को राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो इनको चुनाओं में चन्दा कौन देगा ?

श्री हरिदेव जोशी: बहुत सी कम्पनियाँ चुनाव में फंड नहीं देती हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री: चुनावों में फंड क्यों नहीं देती हैं भंडारी कम्पनी फंड देती है और भी कम्पनियाँ फंड देतीहै ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Please listen

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसी कम्पनी किसको चुनावों में फंड देती है यह सभी जानते हैं एक कम्पनी आपको फंड देती है तो दूसरी कांग्रेस को फंड देती है। यह तो सब चलता है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट के समक्ष एक प्रश्न है उस पर अभी तक गवर्मेन्ट ने डिसीशन नहीं लिया है। लेकिन इतना निश्चित है कि गवर्नमेन्ट की इसके बारे में यह नीति है कि अगर किसी प्राईवेट बिजली वितरण संस्था का लीज खतम हो जाता है तो गवर्नमेन्ट उसे टेक ओवर कर लेगी इसके लिये मैं अगले सैशन में कोई बिल रखूंगा या और किसी प्रस्ताव के जरिये मैं कोई तरीका इसके लिये सोचूंगा ताकि उनको टेक ओवर किया जा सके।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, आबू पर्वत पर जो विद्युत् वितरण व्यवस्था प्राईवेट संस्था के हाथ में है और उसका लीज सन् 1969 में समाप्त हो गया फिर भी राज्य सरकार उसको टेक ओवर नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी को आगे लीज बढाने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति भी नहीं दी है और वहाँ मोतीसा नामक व्यक्ति जो कि आबू नगर-पालिका का अध्यक्ष है और उस कम्पनी में भी उसके शेयर्स हैं वह मनमाने ढंग से पैसे बिजली के वसूल कर रहे हैं जनता से...

श्री हरिदेव जोशी: यह आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य: यह प्रश्न में है शायद उसमें से पढ़ रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : उस कम्पनी का लीज सन् 1969 में समाप्त हो गया था और जब राज्य सरकार ने उसे आगे लीज के लिये स्वीकृति नहीं दी .....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य कहाँ से पढ़ रहे हैं यह प्रश्न में से पढ़ रहे हैं या कोई सप्लीमेन्टरी पूछ रहे हैं या ओरीजीनिल प्रश्न को ही पढ रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री हरदेव जोशी : जी हाँ यह सही है कि पहले लीज की अवधि 69 तक थी वह अब 20 साल के लिये और बढादी है। अत: अब यह सन् 1989 तक की अवधि हो गयी है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक लीज की अवधि बढाने की स्वीकृति नही दी है। उस पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : दस्तखत होने की बात अलग है कुछ टैक्नीकल बात रह गयी है। लेकिन इण्डियन इलैक्ट्रीसिटी एक्ट के अनुसार अगर गवर्नमेन्ट टेक ओवर नहीं करती है तो अपने आप लीज बढ जाती है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, वहाँ की जनता का शोषण किया जा रहा है मुंह माँगे पैसे लिये जा रहे हैं। वहाँ की जनता परेशान है और मोतीसा नाम का व्यक्ति जो कि नगरपालिका का अध्यक्ष है

(श्री गुमानमल लोढा)

और उस बिजली वितरण व्यवस्था में सदस्य हैं उसे तुरन्त वहाँ से हटाना चाहिये तथा गवर्नमेन्ट को चाहिये कि उसको टेक ओवर करे ताकि जनता को राहत पहुंचे ।

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आफ हैं०ड तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह बात सही है कि वहाँ पर बिजली सप्लाई का काम प्राईवेट संस्था द्वारा किया जा रहा है ।

श्री **गुमानमल लोढा** : अब राज्य सरकार उसको कब तक टेक ओवर कर लेगी ? क्या राज्य सरकार उसको टेक ओवर करने का विचार रखती है ?

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से लीज डीड एक्जीक्यूटिव तो किया गया होगा We want to know if that lease expired on that date and it was not renewed.

श्री **निरन्जननाथ आचार्य** : And that too in English. इसका जवाब भी अंग्रेजी में दिया जाना चाहिये ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कभी कभी हिन्दी की अंग्रेजी होनी चाहिये ।

श्री **गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार उनकी लीज समाप्त होने के पहले अब सारे पहलुओं पर विचार करके उसको टेक ओवर करने का विचार करेगी ?

श्री **हरिदेव जोशी** : इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें काफी टेक्नीकलिटीज हैं । अभी तक यह प्रश्न विचाराधीन है क्योंकि अभी तक लीज तो एग्जीक्यूट नहीं किया गया है बेसिकली मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं कि प्राईवेट संस्थायें बिजली वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में रखें । राज्य सरकार इस पक्ष में है कि राज्य में बिजली सप्लाई राज्य सरकार द्वारा ही हो ।

श्री **अध्यक्ष** : Next question

श्री **गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो । और मोतीसा जो कि प्राईवेट संस्था में सदस्य हैं और मनचाहे ढंग से कीमतें बिजली के लिये वसूल कर रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाय और वहाँ से मोतीसा को उस संस्था से तुरन्त हटाया जाय ताकि जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल सके ।

श्री **हरिदेव जोशी** : यह तो अलग से स्थिति है । जो प्रश्न इसमें इन्वोल्व्ड है वह यह है कि प्राइवेट पार्टीज करें या नहीं । मैं उसमें नहीं जाना चाहता था यहाँ पर । गवर्नमेन्ट के सामने एक अमेन्डमेन्ट कन्सीडरेशन में है । एक ओर्डिनेन्स इश्यू हुआ है आसाम में और आन्ध्र प्रदेश में । उसके आधार पर स्टट गवर्नमेन्ट और पावर डिपार्टमेन्ट भी यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी उसी प्रकार का कानून बना कर जो दो तीन अन्डरटेकिंग्स प्राईवेट ओनरशिप में हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाय । इसलिये अपनी ओर हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे

Page No. 10

(श्री हरिदेव जोशी)

ऐसा कि जिससे इनको एक्सटेन्शन दिया जाय अथवा और किसी प्रकार का आधार दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : Next please

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री **अध्यक्ष** : Next question.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : लीज डीड यदि फाइनली एक्जीक्यूट नहीं होता है और गवर्नमेन्ट ने एक्स्टेन्शन नहीं दिया तो जो स्थिति अभी तक चल रही है उसका क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : आप इलैक्ट्रिसिटी एक्ट को देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री **गुमानमल लोढा** : क्या उसको पुरानी लीज डीड के अनुसार ही काम करने को बाध्य किया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : There should be limit of supplementaries.

श्री गुमानमल लोढा : ये कहते हैं कि लीज डीड है। हाउस को यह बताया जाय कि एग्जिस्टिंग लीज डीड सन् 69 में ही एक्सपायर हो गयी तो टेक ओवर क्यों नहीं किया या दूसरों को क्यों नहीं दिया ? उसको क्यों कन्टीन्यू करने दिया गया ?

श्री **हरिदेव जोशी** : माननीय सदस्य, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 66 के अन्दर एक लीज डीड हो चुका है जहाँ तक तक मुझे ज्ञात है कि और उसमें यह है यह 20 साल के लिये होगा और उसमें टेक ओवर नहीं करते हैं तो वह ओटोमेटिकली एक्सटेन्ड हो जायगा। इस लिये लीज डीड एक्जिस्ट नहीं करता हो यह बात नहीं है। गवर्नमेन्ट इस राय की है कि प्राईवेट इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनीज को टेक ओवर कर लिया जाय। इसके लिये सारी व्यवस्थायें, जो आवश्यक हैं, वे की जा रही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : तो फिर नयी लीज कन्डीशन्स क्यों लागू हों पुरानी ही रहनी चाहिये ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री मीठालाल।

प्रश्न संख्या 21

श्री हरिशचन्द पल्लीवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नये कृषि कनेक्शनों के लिये किसानों से धनराशि अग्रिम लेने का निर्णय

22. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नये कृषि कनेक्शनों के लिये किसानों से भारी धनराशि अग्रिम सिक्यूरिटी के रूप में लेने का निर्णय किया है ? यदि हाँ, तो खर्चे से अधिक धनराशि लेने का सरकार का क्या उद्देश्य व आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय का सभी वर्गों द्वारा भारी विरोध किया गया है ?

(श्री मीठा लाल)

(3) क्या सरकार कृषि उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए, उक्त निर्णय को वापिस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हाँ, बिजली के मासिक बिलों के अग्रिम भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम लेने के लिये एक पद्धति आरम्भ की गयी थी ? पूरे राज्य स्तर पर कनैक्शन देने पर जो औसतन खर्च आता है इतनी राशि अग्रिम लेने की व्यवस्था की गई थी ।

(2) जी हाँ

(3) यह पद्धति मण्डल के 26 सितम्बर, 1973 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है।

श्री : मीठालाल: अध्यक्ष महोदय, यह मोहम्मद तुगलक वाली स्थिति अपनायी गयी है । फार्मों पर बिजली आनी चाहिये । जो खर्चा आता है वह लिया जाना चाहिये । अग्रिम राशि ली गई·····

श्री **हरिदेव जोशी** : यह प्रश्न ही अब पैदा नहीं होगा । उसको विथड्रा कर लिया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाडा** : एडवान्स जमा कराने को तो विथड्रा कर लिया । लेकिन चीफ सेक्रेट्री के आदेश जून के महीने में जारी हुए। उसकी कापी म नहीं ला सका । लेकिन वे बडे स्पष्ट आदेश हैं जिसके अनुसार एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये इलैक्ट्रिक सप्लाई में कटौती की बात है । बिजली देने में कटौती की गयी और रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज किये गये । अगर उन आदेशों को आप वापिस नहीं लेते हैं तो इनको लेने से कोई फायदा नहीं है।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेडा) : जो फन्ड्स् अलाट किये राजस्थान के काश्तकारों की मांग को देखते हुए वे कम हैं या नहीं ? डिस्ट्रिक्ट्स में फन्ड्स् नहीं हैं । ऑर्डर को वापिस लेने का कोई मतलब नहीं है । जब तक नये फन्ड्स अलाट नहीं किये जावेंगे तब तक काश्तकारों को बिजली नहीं मिलेगी । इसलिये क्या अधिक फन्ड्स देने का इरादा है या नहीं ?

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर) : उन्होंने कहा कि पुराने निर्णय को चेन्ज कर लिया है । कितने काश्तकारों को इससे कनैक्शन मिल जायेंगे क्या यह बतायेंगे मन्त्री महोदय ? राज्य सरकार ने इतने लोन दिये । प्रायोरिटी फिक्स की, उसके आधार पर क्या अब उनको प्रायोरिटी दी जावेगी या नहीं ?

श्री **जेकिशनलाल तोसावडा** (फागी) : जिन किसानों की सिक्योरिटी जमा है उनको क्या प्रोयोरिटी दी जावेगी ?

श्री **गुमानमल लोढा** : सिक्योरिटी क्या आप वापिस कर देंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मुख्य मुद्दे हैं । एक मुद्दा तो यह है कि एडवान्स सिस्टम का अर्थ क्या है, क्यों शुरू किया गया और इसको क्यों बन्द किया गया । एडवान्स सिस्टम इसलिये इन्ट्रोड्यूस किया गया कि पिछले तीन वर्षों में एक अथवा दूसरे हैड से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये 3 से 3॥ करोड रुपये का बजट में प्रोविजन किया गया । अब तक रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन

(श्री हरिदेव जोशी)

कार्पोरेशन से 3।। करोड रुपया मिलता रहा है रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिये । नयी लोकलिटीज सेन्क्शन करने की बात थी और पुरानी लोकलिटीज को एक्सपान्ड करने की बात थी । इस बजट में पचास लाख का प्रोवीजन रहा । 30 लाख का ओवर स्पेन्ट अमाउन्ट था पिछले साल का उसको एडजस्ट करने का था । फन्ड्स इन-हैंड लगभग 20 लाख के रह जाते हैं । इसलिये यह सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया गया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वे एडवान्स जमा करादें और वे कनेक्शन ले सकते हैं । जहाँ भी मैं गया लोगों ने इसका विरोध किया यह समझ कर कि सबसिडी लेना चाहते हैं और उसी को बिजली मिलेगी । एक पापुलर सेन्टीमेन्ट को देखा तो इसको हमने विथड्रा कर लिया ।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपने अथवा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । कनेक्शन तो उतने ही दिये जावेंगे जितना कि बजट प्रोवीजन होगा । अब प्रश्न रह जाता है कि इसको कैसे मीट करें । मैं बहुत साफ तो नहीं कह सकता हूं लेकिन यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार फन्ड्स देने की स्थिति में नहीं है । अपने बजट से पचास लाख से अधिक फन्ड्स दे नहीं सकती । अभी इकोनोमी कट हुआ । उसमें पावर के लिये भी कुछ कटौती करने की बात थी लेकिन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स से, संचालक मन्डल से मेरी बात हुई थी । मैं यह समझ कर चल रहा हूं कि लगभग 1।। करोड रुपया अपने हैड से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिये प्रोवाइड कर सकेंगे । अगर वह कर सकते हैं तो हमारे पास में पिछले वर्ष के साढे तीन करोड के मुकाबले में इस वर्ष दो करोड हो जायेंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा :
श्री जनार्दनसिंह गहलोत :
श्री प्रद्युम्नसिंह :
(एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय ।

श्री मीठालाल : मेरा निवेदन यह है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा खर्चे की वजह से जयपुर जिले की लालसोट तहसील की ऐसी एक योजना है । जिसमें किसानो ने 75 प्रतिशत पैसा जमा कराने का लिखकर दे रखा है । बैंक को लिख कर दिया है । इसके अलावा दो गाँवों ने 75 प्रतिशत राशि दे दी है फिर भी उनको बिजली नहीं देते हैं तो इसका क्या कारण है ? दूसरा प्रश्न 73 के बाद कितने गाँवों को बिजली दी. वह भी बतादें ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इन्डीविज्युअल कैसेज में कुछ नहीं कह सकता हूं । क्योंकि उसके बारे में विचार विमर्श करना होगा इसलिय मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कोई भी समय निकाल कर मेरे साथ बैठ जाँय ताकि कोई हल निकाला जा सके । दूसरी बात 73 के बाद कितने कनेक्शन दिये यह भी मेरे लिये अभी बता पाना सम्भव नहीं है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत :
श्री प्रद्युम्न सिंह :
(पुनः एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री जैकिशन लाल सोसावाडा : जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने निवेदन किया मेरा तो स्पष्ट प्रश्न

(श्री जैकिशन लाल)

है, किसानों ने सिक्योरिटी जमा करा दी उनको बिजली के कनक्शन दे दिये या नहीं, यह बतादें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, गये साल साढ़े तीन करोड का प्रावधान था। इस साल दो करोड एक लाख 50 हजार की बात कहते हैं । मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें कि राजस्थान में जिन किसानों से बैंकों से कर्ज लेकर जो कुए बनाये हैं और ऐसा बताया गया है कि 10 हजार कुए राजस्थान में बन चुके हैं। अब उनको बिजली देने का प्रश्न है। देश में दूसरे बन्धों की कमी को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे राज्य सरकार पर दबाव डालें और उनको कनेक्शन दिलानें में प्राथमिकता दें नहीं तो बहुत से बिजली के कुए इस साल. रह जायेगे और किसानों को बहुत बडा भारी नुकसान उठाना पडेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के खडे होने पर)

श्री हरिदेव जोशी : एक एक ठीक रहेगा ताकि मैं ठीक ढंग से उत्तर दे सकूं। हम दो चीजें मिक्स-अप नहीं कर सकते हैं । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की स्कीम है वह मासिव स्केल की स्कीम है। हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भेद कर चलना चाहिये। ये जो छुटपुट गाँवों की इलक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है वह इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मन्जूर करता है और माननीय सदस्यों के सुझावों पर मैं उनको एडवाइस करता हूं । जो छुटपुट गांवों को बिजली दी जाती है वह आर. ई. सी. स्कीम है। जो जोनल तौर पर तयार की जाती है वह अलग है । इसमें लगभग 60 से 70 गांव तक इलेक्ट्रिफाई किये जाते हैं । राजस्थान में अब तक 12 प्रोजक्ट सेंक्शन हुए हैं । इस बार कोशिश की जायगी और 12 के बजाय 18 प्रोजक्ट सेंक्शन हो जाय ऐसा मेरा अनुमान है । 18 प्रोजक्ट सेंक्शन होंगे। यह जो छुटपुट प्रोग्राम है, उनमें कमी है ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा एक तरफ यह कहा कि फन्ड्स की वजह से जितने प्रोग्राम ले सकते हैं वे सम्भवतः नहीं ले सकते हैं । अभी भी माननीय मुख्य मन्त्री जी जब यू. पी. गये थे तो राजस्थान की बिजली में से यू. पी. को देने को तैयार है तो राजस्थान के पास सरप्लस बिजली है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मन्त्री महोदय यह नहीं सोचते कि आगे आने वाले वर्षों में बिजली की कमी पडेगी तो क्या हमारे डवलपमेन्ट प्रोग्राम को और खास तौर से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम पर बुरा असर पडेगा और इस दृष्टि से राजस्थान में विशेष प्रावधान करके, जो बिजली हमें मिलती है उसका पूरा उपयोग करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है, यह तो आसन का काम है। आसन

(श्री निरञ्जन नाथ आचार्य)
इस पर निर्णय दे, अलग से प्रश्न है कि नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : उसको शामिल करके जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : Please ask your supplementary and don't give speech.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है। उसके बारे में मैं सदन को..

श्री प्रद्युम्नसिंह : बिजली सरप्लस है या नहीं, यह बता दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : ···मैं इसलिये उस समय जवाब दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, केवल यू. पी. से नहीं है, दिल्ली को भी बिजली देने की बात करते हैं, मध्यप्रदेश को भी बिजली देने की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से राजस्थान की घोषणा है कि राजस्थान में बिजली सरप्लस है। आपके इसमें पी. एल. 480 का पैसा लग रहा है। भारत सरकार की योजना है, वह तो ऐसा लगता है रीजनल योजना है·····

श्री अध्यक्ष : Supplementary question.

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इस संकट की स्थिति में जब कि खाद्यान्नों का गम्भीर संकट है, देश में मंहगाई की चरम सीमा है····

श्री अध्यक्ष : Kindly frame a supplementary and ask it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक लाख कुए बिजली के अभाव में पड़े हैं जिनका परपज केवल इर्रीगेशन है। आप उन एक लाख कुओं के लिये क्या कहते हैं। आपके पास बिजली सरप्लस है। यह तो ऐसी बात हुई कि घर में नहीं दाने और बड़ी बीबी चली भुलाने।

श्री हरिदेव जोशी : जितना बजट का पैसा मुझे दिया गया है उसको पूरा उपयोग में लाऊंगा और बचत में नहीं रहने दूंगा-लैप्स नहीं होने दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके पास इतनी आवश्यक चीज के लिये पैसा नहीं है जब कि सारे देश में खाद्यान्नों का संकट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि राजस्थान से बिजली दूसरे प्रदेशों को तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यहां की जो आवश्यकता है, उसको पूरी तरह से मीट नहीं करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, जितनी हमको जरूरत है। जरूरत तो एवर इन्क्रीजिंग है। जब हमें कमी रहती है तो हम दूसरे प्रान्तों से बिजली लेते हैं। हमारी कमी के समय दूसरों से बिजली ली और कई माननीय सदस्यों ने मुझे प्रेस किया इसलिये इस चीज को समझकर चलना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो एमेर्जेन्सी की बात है।

श्री हरिदेव जोशी : यू. पी. में एमर्जेन्सी की ही तो बात है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल इस बजट से फन्ड्स नहीं होने की वजह से पावर को युटिलाइज नहीं कर सकते और कन्ज्यूमर को नहीं दे सकते हैं और दूसरे प्रदेशों को जाय इसलिये आप स्वयं इस पर क्या सोचते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एग्री करता हूं आप से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एग्री करते हैं तो फिर आप ऐसा नहीं होने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र ।

राजस्थान नहर योजना की प्रोजक्ट रिपोर्ट

23. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की योजना केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई थी ? यदि हाँ, तो उक्त आयोग के कौन कौन सदस्य थे ?

(2) उक्त योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने तैयार की थी ? उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त योजना बनाने में भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्री कंवरसेन ने क्या सक्रिय योग दिया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के आधार पर राजस्थान नहर का पानी जैसलमेर से बाड़मेर जिले में जहाँ लूनी नदी बहती है वहाँ लूनी नदी में मिलाकर और फिर लूनी नदी को कच्छ की खाड़ी में मिला दिया जाकर नेवीगेशन के लिये काम में लाने का था ?

(5) राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण रहे हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार अपने निर्णय पर दुबारा गौर कर उक्त नेवीगेशन की योजना को अपना कर बाडमेर जिले की प्रगति एवं विकास पर विचार करेगी ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री : (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं । केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग ने तो इसको एक प्रारम्भिक योजना ही बनाई थी । मूल योजना तदुपरान्त सिंचाई विभाग राजस्थान ने ही तयार की थी ।

(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग राजस्थान ने रिपोर्ट तैयार की थी । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) कुछ भी नहीं ।

(4) जी नहीं । योजना में ऐसा कोई प्रावधान कभी भी नहीं रखा गया था ?

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 16

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे क्योंकि राजस्थान नहर का जो पानी है उसके बारे में जो पहले योजना बनी थी, एक तो जो प्रारम्भिक योजना बनाई उसकी प्रति प्रेषित नहीं की ताकि उसकी जानकारी होती। दूसरे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसका सिर्फ वाल्यूम नम्बर 1 ही प्रस्तुत किया है और दूसरे वाल्यूम प्रस्तुत नहीं किये जिससे पूरी जानकारी नहीं हो सकती लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास है और जानकारी है कि इस तरह की योजना बनी थी और उस योजना से बाड़मेर जिले में भी पानी जाकर कच्छ की खाडी में जाता था और बाकी चीफ इन्जीनियर कंवरसेन थे और उन्होंने योजना बनाई थी और भी सदस्य उसमें थे तो अब जो गवर्नमेन्ट रवैया अपना रही है राजस्थान नहर के बारे में और अभी जो एग्रीमेन्ट किया है

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन है या स्पीच है ?

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन**: फैक्ट्स इसलिये बतला रहा हूं कि अभी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने हरियाणा गवर्नमेन्ट से जो एग्रीमेन्ट किया है उससे भी हरियाणा गवर्नमेन्ट को पानी दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की योजना बनाई जा रही है उससे निचले क्षेत्रों को, जैसलमेर क्षेत्र को....

श्री अध्यक्ष : Please put your supplementary briefly.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यस ! इस प्रकार बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र को पानी नहीं पहुंचाने के लिये जो व्यवस्था की जा रही है इसलिये मेरा कहना है कि गवर्नमेन्ट इसको री-कन्सीडर करे और यह डेजर्ट एरिया है, यहाँ पानी की समस्या है ....

श्री **सज्जनसिंह** : यह अभी तक सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।

श्री **अध्यक्ष** : your objection is correct to a certain extent,

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो सवाल किया है राजस्थान नहर का पानी एक लिंक नहर बना कर जहाँ टेल होती है वहाँ से कच्छ की खाडी में डाला जाये जिससे सामान लाया और ले जाया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) : पहले ओरीजिनल स्कीम ऐसी थी क्या ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी**: इसमें ऐसा विचार रखा गया था कि इस नहर में नेवीगेशन का काम बनाया जाये तो कमेटी आफ डाइरेक्शन्स ने विचार करके यह मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट को भेजा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में बावजूद रिमाइन्डर्स के जवाब नहीं भेजा। आखिर में सन् 66 में कमेटी आफ डाइरेक्शन्स ने तय किया कि वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है और नहर पर जो 70 करोड़ रुपया ब्रिजेज वगैरह बनेंगे उस पर खर्चा होगा और नेवीगेशन टेल एण्ड से लेकर कच्छ की खाडी में डालते हैं उस पर 140 करोड रुपया खर्च होगा—इस तरह से कुल मिलाकर 210 करोड़ रुपया नेवीगेशन परपज के लिये इसको बनाने पर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया खर्च करने के लिये तैयार नहीं थी और जो पानी जाता वह समुद्र में जाता और वह एक हजार क्यूसेक्स की चेनल बनती थी, इसका मतलब यह हुअ

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कि 3 लाख एकड भूमि जो उस पानी से सिंचित होती और वह वेस्ट होकर समुद्र में चला जाता तो यह स्कीम सन् 66 में ही ड्राप कर दी गयी और यह प्रश्न अब विचाराधीन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि सन् 59 तक भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट और डिफेन्स विभाग अलग-अलग तरीके से आपसे इसके लिये कान्क्रीट स्कीम माँगते रहे और जब आपने इस रामगढ़ से लेकर कांडला पोर्ट तक की स्कीम के लिये कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने अलग-अलग स्कीम को ड्राप किया।

नम्बर 2 मेरा सप्लीमेन्टरी यह है कि यह सही है कि पार्लियामेंट के अन्दर श्री के. एल. राव ने इसको स्वीकार किया है कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई स्कीम नहीं आने के कारण और फण्ड्स के पूरी तरह से यूटीलाइज नहीं होने के कारण श्री कंवर सेन की जो ओरीजिनल स्कीम थी उसको ड्राप कर दिया गया?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने स्थिति आपके सामने रख दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता था कि प्रश्न और पूरक प्रश्न सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये होते हैं और खुद माननीय सदस्य इतनी जानकारी अपनी देते रहते हैं तो सप्लीमेन्टरी एक तकरीर सी हो जाती है और उसका परिणाम यह होता है कि बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्न जरूर पूछें, आपको अधिकार भी है लेकिन पूरक प्रश्न बनाकर ही पूछें तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे सवाल के बाद हांडा जी ने जो सवाल रखा वह पैदा ही नहीं होता था। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कमेटी आफ डाइरेक्शन्स ने रिकमण्ड किया मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट को कि इतना खर्चा लगेगा और इसके लिये मंजूरी दी जाये। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दो तीन साल की लिखा पढ़ी के बाद कोई जवाब नहीं दिया तब सन् 66 में यह डिसीजन लिया गया कि जैसा मैंने निवेदन किया कि 140 करोड तो नेवीगेशन परपज के लिये और 70 करोड़ रुपया पुल आदि बनाने पर खर्च होंगे, इस तरह से 210 करोड़ की स्कीम थी और जो पानी समुद्र में फेंकते उसके लिये भी फिर तय किया गया कि 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई व्यर्थ में जाती और इतना पानी फेंकने की गुंजाइश नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के लिये इतना पानी समुद्र में वेस्ट फेंक दे। फिर यह 210 करोड़ का खर्चा आज 300 करोड़ का हो जायेगा और 3 लाख एकड़ डेजर्ट भूमि को सिंचित नहीं कर सकते थे उससे उसको वंचित किया जाता ऐसा इरादा नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या रामगढ़ से आगे कांडला पोर्ट तक ले जाने की योजना ड्राप की गयी उसमें रामगढ़ के आगे केवल नेवीगेशन का परपज था या इर्रीगेशन का भी थी?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो दरिया म पानी डालना था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : Irrigation and Navigation both.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपने स्वीकार किया है कि 70 करोड़ तो इर्रीगेशन के लिये था और 140 करोड़ नेवीगेशन के लिये था। बाड़मेर के अन्दर भी जो सदैव अकाल-ग्रस्त रहता है, जोधपुर के कुछ क्षेत्र में और बाड़मेर में निश्चित रूप से इर्रीगेशन की योजना काट डाली। मेरा क्वेश्चन बड़ा कान्क्रीट था। सिंचाई मंत्री जी आप कहते हैं कि 66 में खत्म हो गयी और मैं कहता हूं कि यह 69 के अन्दर समाप्त हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आपको कहाँ से इनफर्मेशन मिली है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप इसको डिनाई कर दें मैं पार्लियामेन्ट के अन्दर श्री के. एल. राव के डिक्लेरेशन को सदन के सामने रखूंगा और फिर प्रिवलेज का प्रश्न हो जायेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप ले आइये। आप जबानी बात करते हैं और न जाने कहाँ से यह इनफर्मेशन आपके पास आती हैं। मैं रेकर्ड के आधार पर बोल रहा हूं।

औषधियों की खरीद के मामले की जांच

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हनुमान सहाय !

24. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग की चारों रसायनशालाओं की औषधियों की खरीद के मामले की जाँच चल रही है ? यदि हाँ, तो कौन कौन से विभाग जाँच कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ रसायनशालाओं की जाँच का कार्य पूरा हो गया है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार जाँच रिपोर्ट जनहित में कब तक प्रकाशित कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि रसायनशालाओं की जाँच में कुछ उच्चाधिकारी जिम्मेदार ठहराये गये हैं ? यदि हाँ, तो वे कौन कौन हैं और सरकार दोषी उच्चाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर, जोधपुर, भरतपुर एवं उदयपुर की रसायनशालाओं में औषध निर्माण में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं ? यदि हाँ, तो इसके कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और कौनसी दवाइयों में गड़बड़ियाँ पाई गई ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायण सिंह): (1) जी हाँ, चारों रसायनशालाओं की जाँच मुख्य लेखाधिकारी की पार्टी लगभग 6 माह से कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी कुछ विषयों में जाँच कर रहा है।

(2) जी हाँ, अजमेर व भरतपुर रसायनशालाओं की मुख्य लेखाधिकारी की पार्टी द्वारा जाँच की जा चुकी है। उदयपुर, जोधपुर रसायनशाला में जाँच चल रही है। कोई भी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। सतर्कता आयोग (अब लोक आयुक्त, सचिवालय) के पत्र पर विचार करके दो अधिकारी व्यवस्थापक, रसायनशाला तथा आफिसर इन्चार्ज रसायनशाला, अजमेर को लगभग 5 माह पूर्व से निलम्बित किया हुआ है।

Page No. 19

(श्री नारायणसिंह)

(4) अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसी अधिकारी अथवा दवाइयों के बारे में कहा जा सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर): जाँच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो, हो जायगी ?

श्री नारायणसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया सतर्कता आयोग के पास मौजूद है और वह उसके अन्दर छानबीन करके जिस समय अपनी फाइन्डिंग्स देगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो जाँच रिपोर्ट है उसको क्या आप सदन की टेबल पर रखेंगे ?

श्री नारायण सिंह : जो रिपोर्ट है वह हमारे पास नहीं है क्योंकि स्पष्ट चिट्ठी है वह मैं आपको निवेदन कर सकता हूं। उसके अनुसार उस जाँच रिपोर्ट को किसी भी विभागीय उच्चाधिकारी को या किसी को भी करने का प्रश्न नहीं उठता केवल वही जाँच करेगा और वही फाइन्डिंग्स देगा उसी के ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री मोहनलाल छंगानी (फलौदी) : अगर प्राइमाफेसी साबित हो जाये जो हमें पता है कि आपकी रिपोर्ट से पूरा का पूरा मालूम होता है उस सूरत में आप उन अधिकारियों को पहले सस्पेण्ड करके आप कार्यवाही क्यों नहीं करवाते। बड़े से बड़े अधिकारी भी इनवाल्व्ड हैं और निश्चित रूप से हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गाँधीनगर) : जाँच के लिये जिन अधिकारियों को देना चाहेंगे वह भी जुड़े हुए हैं तो जाँच किस से करवायेंगे ? क्या राज्य सरकार उस रिपोर्ट के लिये जल्दी करवा सकेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर रसायनशालाओं में कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं कि आपने कहा कि दो अधिकारियों को सस्पेण्ड भी किया है। दो अधिकारी एक ही जगह के किए गए हैं और मैं जानना चाहूंगा कि जो दूसरी जगह रसायनशालायें हैं वहाँ के अधिकारियों ने जो गड़बड़ियाँ कीं उसके संबंध में आपने कोई सस्पेन्शन के आर्डर्स दिये हैं या अन्य किसी अधिकारी ने दिये हैं ?

श्री नारायण सिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि सतर्कता आयोग इसकी जाँच कर रहा है और उन्होंने ही यह हमें सलाह दी कि दो अधिकारियों को निलम्बित किया जाये और उनकी फाइन्डिंग्स के अनुसार निलम्बित किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि अलग 2 रसायनशालाओं में गडबडियां हुई हैं और अगर सतर्कता आयोग आपको सुझाव न भी दे तब भी आप सक्षम है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें।

श्री नारायणसिंह : बिना किसी आधार पर सस्पेंड करना तो उचित नहीं है। अभी तक कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है: सतर्कता आयोग के पास सब सीज्ड हैं और सतर्कता आयोग से जो भी प्रग्रिम

(श्री नारायणसिंह)
कार्यवाही के लिए सुझाव आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और है। इस विभाग के मुख्य निर्देशक के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी निर्णय हुआ है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उनको इस पोस्ट से डीग्रेड भी किया गया है और उसके बाद भी हाई कोर्ट के निर्णय के दौरान सस्पेंड रहे हैं और उस दौरान उन्होंने लगातार गवर्नमेंट के टेलीफोन और गवर्नमेंट की जीप का उपयोग किया है ?

श्री नारायणसिंह : यह प्रश्न अलग से है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या यह सही है कि····

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप यह बतायेंगे कि सतर्कता आयोग ने जो सिफारिश की है उसके आधार पर आपने जो दो अधिकारियों को निलम्बित किया है तो उसमें दो अधिकारियों को ही निलम्बित करने की सिफारिश है ? क्या आप सतर्कता आयोग के निर्देश को सदन को बता सकेंगे ?

श्री नारायणसिंह : जी हां, केवल दो ही व्यक्तियों को निलम्बित करने के लिए कहा है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न पूछते रहे–अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है और क्या यह सरकार को मालूम है कि मुख्य निदेशक आयुर्वेद विभाग ने तमाम एम. एल. एज. को एक परिपत्र लिख कर और उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है ? क्या यह पत्र सरकार की जानकारी में है और क्या यह पत्र अथोरेटिवली लिखा गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही एक प्रश्न और····

श्री नारायणसिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम अधिकृत रूप से यह जानकारी दे रहे हैं। क्या इस प्रकार से कोई अधिकारी अपने उन सारे आरोपों के बारे में जिनके बारे में कि आपने सतर्कता आयोग का उल्लेख किया है, इस प्रकार का खुलासा कर सकता है और माननीय सदस्यों को पत्र लिख कर कह सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय, इस प्रकार की कन्वेंसिंग हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने की है और इन्फ्लेंस करने की माननीय सदस्यों की कोशिश की है, जो आपकी जानकारी में नहीं है। यह आपकी जानकारी में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसको आपकी जानकारी में मानता हूं और इसलिए क्या ऐसे कन्वेंसिंग को आप उचित समझते हैं कि इस प्रकार से कन्वेंसिंग किया जाय और माननीय सदस्यों को इन्फ्लेंस किया जाय। मेरे ख़याल से यह उचित नहीं समझा जा सकता। तो क्या आप इस एक्शन को गलत मान कर अधिकारी के विरुद्ध, ब्रीच आफ प्रिविलेज

Page No. 21

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
का मोशन आप स्वयं अधिकारी के विरुद्ध रखने को तैयार है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : मैं यह जानकारी चाहती हूं कि जो जांच हुई है वह कब शुरू हुई और कब तक खत्म हो जायेगी ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा सप्लीमेंट्री एक और है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक एक का जवाब आ जावे ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका भी जवाब साथ ही आ जाएगा । मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि जिनके ऊपर प्राइमाफेसी केस सिद्ध है और आडिट रूप में भी स्पष्ट रूप में उनके भ्रष्टाचार का उल्लेख है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? आडिट रिपोर्ट के आधार पर पहले भी सदन में मैंने यह बात रखी थी कि रसायनशालाओं के व्यवस्थापकों ने स्वयं एक्सेस मनी का आर्डर देकर, गवर्नमेंट के सब नियमों को ताक पर रख कर बिना परमिशन के आर्डर दिए और उसका पैसा खुद ने रख लिया है और उनकी रसीदें आडिट रिपोर्ट में भी संलग्न हैं । आज केवल एक व्यक्ति को निलम्बित करने से पहले जो प्राइमाफेसी केस आडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है यह व्यक्तियों को निलम्बित करने के बजाय आप उन पर कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करूं कि प्रश्न दो प्रकार का है । एक तो यह कि जिनके प्रति आडिट रिपोर्ट में कुछ फाईंडिंग्स आई हुई हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का । इसके लिए मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जितने भी फाईंडिंग्स जो कुछ रिपोर्ट वगैरा में आई हैं जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सतर्कता आयोग में वह सीज्ड हैं जब तक सतर्कता आयोग उस पर फाईनल निर्णय न दें, हमारे लिए उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करना अनाधिकार चेष्टा होगी और सतर्कता आयोग की कार्यवाही पूरी होने से पहले कार्यवाही करना समय से पहले कार्यवाही करने जैसा होगा । हम उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करें जो दोषी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरी इसमें कोई यह मंशा नहीं है कि किसी अधिकारी को किसी प्रकार से अगर वह गुनहगार है तो उनको बचाया जाय । सतर्कता आयोग जिस वक्त इस बात को फाईनल जानकारी देंगे, जरूरी कार्यवाही की जावेगी ।

समय के बारे में अभी एक प्रश्न माननीय सदस्या ने पूछा तो मैं निवेदन करूं कि गत अधिवेशन में यह बात उठी थी और उसके बाद ही यह जांच के लिए मैंने कार्यवाही प्रारम्भ की । छः महीने हो गए हैं और उसके बाद में सतर्कता आयोग में वह सब रिकार्ड सीज्ड हो गया । अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : रहने दीजिए साहब । बाद में सुन लेंगे । अभी तो दूसरा प्रश्न ले लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : Canvassing of members.

Page No. 22

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने आपको जिस पत्र का हवाला दिया है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कन्वेसिंग जो की गई है वह कहां तक उचित है ? जो पत्र माननीय सदस्यों को लिखा गया है वह इस अखबार के इसी अंक में एक विशेष संवाददाता के हवाले से हूबहू रिप्रोड्यूज हुआ है ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : This means canvassing of and influencing the members

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो कि मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं । उसी पत्र की कापी जो माननीय सदस्यों को लिखा है ब्लिटज के इस अंक में छपी है । यह कन्वेसिंग इस हद तक गई है...

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाडी (बयाना) : अधिकारी इस प्रकार का कन्वेसिंग करना बिल्कुल अनुचित है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने इसको लिखा है ।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाडी : यह कन्वेसिंग माना जायगा या नहीं ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जिस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं....

(कई माननीय सदस्य एक साथ जोर जोर से बात करने लगे–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Please don't disturb.

श्री नारायण सिंह : मैं समझता हूं कि यह आफिशियल डीकोरम के खिलाफ है कि किसी प्रकार का इस प्रकार से कन्वेसिंग करें। मैं इस बारे में जानकारी करके और नियमानुसार कार्यवाही करूंगा लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि जहां तक माननीय श्री हांडा साहब ने यह अखबार प्रस्तुत किया है जिसमें संवाददाता द्वारा समाचार प्रसारित हुआ है यह यद्यपि सुस्पष्ट रूप से तो ऐसा लगता है कि शायद निर्देशक द्वारा या किसी उन्हीं के.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वही पत्र छपा है जो हमको लिखा है और जो उनके हस्ताक्षर से हमारे पास आया है, हूबहू वही छपा है ।

श्री नारायण सिंह : उससे मैं आपकी इस बात को पहले ही....

श्री श्रीराम गोटेवाला : नेक्स्ट क्वश्चन आने दें साहब ।

श्री नारायणसिंह : ...स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की कन्वेसिंग गलत है और इस विषय में जानकारी करके आगे कार्यवाही करूंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया है कि यह गलत है और कन्वेसिंग of members is breach of privilege, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
ब्रीच आफ प्रिविलेज के पोइन्ट आफ व्यू से काग्नीजेंस लेकर उपनेता महोदय इस मोशन को मूव करें और प्रस्ताव को रखें जिसे सदन एकमत से स्वीकार कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि आप इस पर कोग्नीजेंस लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके हस्ताक्षर का पत्र है दौलतराम चतुर्वेदी, निर्देशक आयुर्वेद विभाग……

श्री अध्यक्ष : Not at this time. you will get your time.

श्री रामानन्द अग्रवाल :……अजमेर और उनके सिग्नेचर हैं इस पर और मेरे को एड्रेस्ड है। मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि आपके माध्यम से कि वे स्वयं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लावें क्योंकि वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका इस पत्र का लिखना अनुचित है और उनको इस तरह से पत्र नहीं लिखना चाहिए था। इस पत्र में उन्होंने तथ्य दिए हैं। उन्हें आप आथोरिटी मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब इन्क्वायरी यहां हो रही है और इस इन्क्वायरी के दौरान में इस प्रकार के तथ्य दें यह भ्रम में डालने वाली बात है। तथ्य सही हैं या गलत हैं, हम नहीं कह सकते है। इसका आप नोटिस लें…

श्री नारायण सिंह : इन्क्वायरी के दौरान में इस प्रकार का प्रचार करना, मैंने जैसा पहले ही निवेदन किया कि आफिशियल डीकोरम के खिलाफ है। जहां तक यह प्रिविलेज का मोशन बनता है या नहीं यह मेरे अधिकार की बात नहीं है, यह सदन के अधिकार की बात है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उस पर आपको विचार करना है। यह एक प्रकार से हाउस के मेम्बर का ब्रीच आफ प्रिविलेज है इसलिए इसके बारे में आप स्वयं को, आसन की ओर से कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय……(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थि सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम गढी की चरागाह की भूमि

21. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम गढ़ी उप खण्ड करौली जिला सवाई माधोपुर में चरागाह की भूमि को सैनिकों के लिए सिवाय चक में परिवर्तित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि सिर्फ सैनिकों को ही आवंटन की गई अगर नहीं तो क्यों ? तथा किन किन व्यक्तियों को इस भूमि का आवंटन किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या गैर सैनिकों को भूमि के आवंटन की जानकारी जिलाधीश सवाईमाधोपुर को थी ?

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
अगर हां, तो इस मामले में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

होम्योपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन

19. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य में कितने होम्योपैथिक चिकित्सकों को रजिस्टर्ड किया गया है ? सूची मय नाम एवं पते के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

दिनांक 3-10-73 तक राज्य में 2435 होम्योपैथिक चिकित्सकों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। सूची मय नाम व पते के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजसमन्द एवं वल्लभनगर में राज्य कर्मचारियों को भूमि का अलाटमेंट

20. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1962 से आज तक राजसमन्द एवं वल्लभनगर सब डिस्ट्रिक्ट्स में किन किन राज्य कर्मचारियों को कितने कितने बीघा भूमि आवंटित की गई ? कृपया ऐसे कर्मचारियों के नाम, पद एवं सकूनत की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मावली तहसील की भूमि आवंटन समिति द्वारा जिन राज्य कर्मचारियों के नाम पर भूमि आवंटित की गई उसको निरस्त करने की सिफारिश जिलाधीश, उदयपुर को की गई ? यदि हां, तो कब और किन किन राज्य कर्मचारियों की ? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पद एवं सकूनत की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन 1962 से आज तक के आवंटन की सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) मावली तहसील क्षेत्र में राज्य कर्मचारियों को आवंटित भूमि को निरस्त करने हेतु कोई सिफारिश जिलाधीश, उदयपुर को नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

दांतील बांध की योजना

21. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने कोटपूतली तहसील में दांतील बांध बनाने की योजना बना रखी है ? यदि हां, तो यह योजना कितनी राशि की है ?

(श्री सुरेश चन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध के बन जाने से काफी जमीन की सिंचाई हो सकेगी ? यदि हां तो सरकार उक्त बांध का कार्य कब तक शुरू करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां, यह योजना 3.94 लाख रु. की है।

(2) इस बांध से लगभग 151 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इस योजना का कार्य आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने व प्रशासनिक स्वीकृति होने पर ही शुरू किया जा सकेगा।

पाछोडाला बांध का कार्य

22. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के पाछोडाला बांध का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कुछ अर्से पहले ठेके पर शुरू किया गया था ? यदि हां तो अब तक कितना कार्य हो पाया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध का कार्य करीब डेढ़ साल से बन्द है ? यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ? विभाग द्वारा अब इस बांध के कार्य को पुन: कब तक शुरू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 88172/— रुपये का कार्य इस बांध पर हो चुका है।

(2) जी हां। इसका कार्य कुछ समय से बंद होने के कारण कुछ तकनीकी डिजाइन में परिवर्तन एवं ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ जाना है। अब इस पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा। इस कार्य के लिए 1973–74 में 1007 लाख का प्रावधान भी किया गया है।

दौसा उपखण्ड की सिंचाई योजना

23. **श्री मूलचन्द समरिया** (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा उपखण्ड के सहायक अभियन्ता के नियंत्रण में कितने बांध हैं और उन बांधों द्वारा कितनी कितनी सिंचाई होती है कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) दिनांक 1–1–73 से आज तक उक्त उपखण्ड में कितने नये बांधों, तालाबों या अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य अकाल राहत में, योजना में अथवा किसी भी अन्य नाम से पूरा कराया गया ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त क्षेत्र के कितने बांध गत वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हुये और उनकी मरम्मत आदि पर क्या व्यय हुआ तथा इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है।

(2) सूची 'ख' संलग्न है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) सूची 'ग' संलग्न है। इन बांधों का क्षतिग्रस्त हो जाने का कारण अतिवृष्टि है इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जयपुर जिले में विचाराधीन राजस्व मुकदमों की संख्या

24. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर जिले के परगना अधिकारियों के पास व तहसीलों में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं तथा इनमें तीन साल से अधिक के कितने मुकदमें हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परगना अधिकारियों के कार्यालय में बहुत से मुकदमें दस साल तक विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि इतनी लम्बी अवधि तक मुकदमों के विचाराधीन रहने से जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता हैं ?

(4) क्या सरकार मुकदमों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के परगना अधिकारीगण सहायक कलेक्टर्स व तहसीलों में दिनांक 30-6-73 को कुल 21452 मुकदमें विचाराधीन थे। इनमें तीन साल से अधिक के 952 मुकदमे थे। सूची उक्त न्यायालयों में देखी जा सकती है।

(2) यह सही है परगना अधिकारी के न्यायालयों में कुछ मुकदमें 10 साल से अधिक अवधि के विचाराधीन हैं।

(3) अंतरिम आदेशों की अपील आदि होते रहने के कारण मुकदमों के निर्णय में देरी लगती है।

(4) मुकदमें को समय पर शीघ्र निपटाने के लिए समय समय पर हिदायतें दी गई हैं।

लालसोट तहसील का भवन

25. श्री मीठालाल (लालसोट):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले को लालसोट तहसील का भवन बहुत ही पुराना हो चुका है तथा जगह जगह से दीवार आदि गिरने लग गई है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील के मुख्य न्यायालय भवन की छत भी गिर गई है ? यदि हां तो उक्त तहसील भवन की मरम्मत तथा नया तहसील भवन बनवाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। लालसोट तहसील भवन पुराना है। दीवार व आसार से चूना गिरता है।

(2) जी नहीं। छत से चूना गिरता है। मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा जा चुका है। यदि उक्त विभाग इस भवन को मरम्मत योग्य नहीं मानेगा

(राजस्व मंत्री)

तो नये भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही की जावेगी।

गंगानगर क्षेत्र में भूमिहीनों के पट्टों का नवीनीकरण

26. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंग नहर क्षेत्र में 1972–73 व 1973-74 में कितने भूमिहीनों के पट्टे नवीनीकरण नहीं किये गये और उसका क्या कारण है? तहसीलवार सूची दी जाय।

(2) वह पट्टे जो नवीनीकरण नहीं किये गये उन्हे भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले की चरागाह की भूमि

27. **श्री बंकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितनी चरागाह भूमि है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) तहसील फागी व चाकसू मे कितनी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के बारे में मौके पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 254949 एकड़ चरागाह भूमि है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) इस जिले की तहसील फागी में 232 एकड़ चरागाह भूमि पर व चाकसू में 520 एकड़ चरागाह भूमि पर सं. 2030 में अतिक्रमण किया गया है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ख' व 'ग' संलग्न है।

(3) चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान लैन्ड रैवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पदमपुर तहसील में बागात की भूमि

28. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 25 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मु. नं. 27 में कितनी भूमि पर किस किस बीघे में बाग के लिए मन्जूर है और कब से? उसमें किस किस किस्म के कितने कितने पेड़ लगे हुए हैं? पिछले पांच साल का ब्योरा सदन की मेज पर रखा जावे।

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि में कोई बाग नहीं लगा हुआ है और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की जा रही है?

(श्री गुरदयाल सिह संधु)

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवाएगी ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) चक 25-टी. बी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर मे मु.नं. 27 में 5 बीघा क्रमांक 5,6 15,16,25 में बाग मंजूर हैं यह बाग मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेश संख्या 611 दिनांक 16-2-46 के द्वारा मंजूर किया गया था। इस समय उपरोक्त सभी बीघों में 64-64 मालटे-मौसमी के पौधे लगे हुए हैं। पिछले 5 सालों में इस बाग की हालत निम्न प्रकार रही है :—

	सन्	बीघा	किस्म पेड़
अर्द्ध वार्षिक	3।68	5	97 ग्राम
रिपोर्ट	9।68	,,	,,
,,	3।69	,,	,,
,,	9।69	,,	,,
,,	3।70	,,	,,
,,	9।70	,,	,,
,,	3।71	,,	,,
,,	9।71 व	,,	,,
,,	3।72	,,	320 मालटा मौसमी
,,	9।72	,,	,,
	3।72	,,	,,

(2) वर्णित भूमि में उपरोक्त उत्तर संख्या एक के अनुसार बाग लगा हुआ है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले की न्याय पंचायतें

29. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले की कितनी न्याय पंचायतें हैं ?

(2) प्रत्येक समिति की किस किस न्याय पंचायत मे कितने कितने स्थान कितने कितने समय से रिक्त हैं ?

(3) क्या इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

झालरापाटन की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

30. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति झालरापाटन की ग्रामीण विद्युतिकरण की प्रस्तावित योजना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो स्वीकृति कौन कौनसी तारीख को हुई तथा कार्य कब से चालू किया जावेगा ? तथा इस योजना में कितने व कौन कौनसे ग्राम लिये जा रहे हैं ?

उत्तर

जी हां। यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दिल्ली के पत्र दिनांक 5-7-73 द्वारा स्वीकृत हुई है। आवश्यक फार्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं तथा ज्योंही ऋण की प्रथम किश्त प्राप्त हो जायेगी कार्य

(विद्युत मंत्री)

प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस योजना में जिन गांवों को सम्मिलित किया गया है उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

तिंवरी—देच्छू—पोकरण विद्युत लाइन

31. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर से जैसलमेर वाया तिंवरी—देच्छु—पोकरण विद्युत् लाइन खींचने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह लाइन कितने के. वी. की होगी तथा अब यह योजना किस स्टेज पर है और स्वीकृति में कितना समय और लगने का है तथा कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(2) क्या देच्छू से फलौदी के नमक के कुओं तक भी विद्युत् लाइन खींचने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने के.वी. की लाइन ? और इस कुल योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जी हां। "ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम" के अन्तर्गत जोधपुर से देच्छू होती हुई पोकरण तक 132 के. वी. लाइन डालने की एक योजना तैयार अवश्य की गई है। इस पर विचार हो रहा है। कितने समय में यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी, इस संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां। फलौदी, शेरगढ़ एवं ओसियां क्षेत्रों में 86 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये दो स्कीमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पेटर्न पर तैयार की गई थीं। ये योजनायें 153.221 लाख रुपये की अनुमानित लागत की बनी है। चूंकि निगम की एस.यू. केटेगरी (specially underdeveloped category) में भी स्कीमें लाभप्रद नहीं है और मंडल ने सरकार से कुछ धनराशि सबसिडी के रूप में चाही है अत: अभी तक उक्त स्कीमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अलवर जिले के डाक्टर के वेतन का मामला

32. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के रामपुर पी. एच. सी. के डाक्टर मजूमदार ने पिछली जनवरी से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण विभाग के डाइरेक्टर को भूख हड़ताल का नोटिस दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार अब इस डाक्टर की तनख्वाह दिलाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी। हां महालेखाकार को डा. डी. एम. मजूमदार को प्रोविजनल रूप में वेतन देने के लिए दिनांक 13-7-73 को लिख दिया गया था।

Page No. 30

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)

(2) महालेखाकार ने उनके पत्र दिनांक 4-9-73 के द्वारा डाक्टर मजूमदार को सिविल असिस्टेन्ट सर्जन की वेतन शृंखला का न्यूनतम वेतन दिनांक 31-12-73 तक प्रोविजनल रूप में देने की स्वीकृति जारी कर दी है।

कल्याणपुरा—बनेठी सडक पर व्यय

33. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील की कल्याणपुरा से बनेठी सडक पर अब तक सरकार के विभिन्न मदों से कितना खर्चा हुआ है तथा कितने रुपये का सामान मौके पर पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का अर्थ वर्क पूरा हो चुका है तथा थोडी, पत्थर आदि मैटेरियल भी मौके पर पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त सडक का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) स्टेट प्लान व विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रमशः 15,340) व 15,735) रुपया व्यय हुआ है। 12,050) रु. का सोलिंग स्टोन एकत्रित है।

(2) जी हां।

सम्पूर्ण सड़क के लिए एकत्रित मैटेरियल पर्याप्त नहीं है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

रतनगढ़-बीकानेर की हाईपावर विद्युत् लाइन

34. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि हाई पावर (66 हजार) (1.32) एक लाख बत्तीस हजार जैसी भारी पावर की विद्युत लाइनें गांवों के अन्दर से नहीं निकाली जातीं ?

(2) यदि हां तो ग्राम झंझेऊ में एक लाख बत्तीस हजार पावर की रतनगढ़ से बीकानेर जाने वाली लाइन को क्यों निकाला गया ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि ऐसी बड़ी लाइनों से कभी भी कोई भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है ? यदि हां तो संभावित दुर्घटनाओं से जन व पशुओं को बचाने के सम्बन्ध में क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तकनीकी कारणों से ही ऐसा करना पड़ा। यह अधिनियम के प्रावधानों प्रतिकूल नहीं हैं।

(3) दुर्घटना तो बिजली की किसी भी लाइन से हो सकती है। सम्भावित दुर्घटनाओं व खतरों से बचने के लिये अधिनियम में जो भी प्रावधान दिये गये हैं उनके अनुसार सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाती है।

बाड़मेर नगर के विद्युत्-गृह में डीजल सेट

35. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर नगर के विद्युत गृह में कितने डीजल जेनेरेटिंग सेट किस किस मेक के कितनी कितनी शक्ति के एवं कितने पुराने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) डीजल सेटों की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं दृढ क्षमता कितनी कितनी है प्रत्येक का अलग अलग विवरण दें।

(3) कितने डीजल सेट बेकार हैं तथा इनकी क्या स्थिति है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) बेकार डीजल सेटों का डिस्पोजल करने के लिए विद्युत मण्डल क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर नगर के विद्युत गृह में डीजल जेनरेटिंग सेट का मेक, शक्ति तथा वर्ष का विवरण देते हुये सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) डीजल सेटों की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं दृढ़ क्षमता की सूची परिशिष्ट "ए" के स्तम्भ 3 तथा 5 में अंकित है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ए" के स्तम्भ 6 में अंकित है।

(4) सर्वे रिपोर्ट बनादी गई है मामला कमेटी के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

दौसा–लालसोट सड़क

36. श्री **मीठालाल (लालसोट)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सच है कि दौसा–लालसोट रोड पर लालसोट के पास पहाड़ में से पत्थर गिरने के कारण अधिकांश सड़क बिलकुल बेकार हो गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि इसी घाटे में अधूरे सरकारी कार्य के फलस्वरूप आधी सड़क पर पत्थर निकल रहे हैं जिसके कारण आजकल वन वे (एक तरफा) ट्रेफिक हो रहा है ?

(ग) कार्य कब तक चालू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(क) वर्षा काल में पहाड़ से पत्थर के टुकड़े सड़क के किनारे एकत्रित हुये हैं। सड़क बेकार नहीं हुई है। यातायात चालू है।

(ख) घाटे में स्वीकृत कार्य अधूरा नहीं है, यातायात चालू है। वन वे (एक-तरफा) ट्रेफिक नहीं है।

(ग) सड़क के किनारे एकत्रित मलवे को विभागीय गेंग साफ कर रही है।

दौसा रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज

37. श्री **मूलचन्द सामरिया(दौसा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या दौसा रेल्वे क्रासिंग पर रेल्वे फाटक के बन्द रहने पर जो यातायात की असुविधा उत्पन्न होती है, उस ओर सरकार

(श्री मूलचन्द सामरिया)
का ध्यान है, यदि हां तो क्या सरकार इस पर ओवर-ब्रिज बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां।

ग्राम हरमाड़ा (जयपुर) के सरपंच के विरुद्ध मुकदमा

38. श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मदन सिंह, रिटायर्ड पी.टी. इन्सट्रक्टर महाराजा कालेज, जयपुर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, हरमाड़ा पंचायत समिति, आमेर ने दिनांक 7–2–73 को राज्य मंत्री को वर्तमान सरपंच श्री छगनलाल शर्मा, ग्राम हरमाड़ा के विरुद्ध मुकदमा जेर दफा 466, 467, 469 आई. पी. सी. चलाने की इजाजत चाही थी ?

(2) क्या यह सही है कि उनको मुकदमा चलाने की आज्ञा नहीं दी गई ? यदि नहीं दी गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सरपंच, पंचायत के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 79 के अन्तर्गत दी जाती है। स्वीकृति के लिये नियम में दो शर्तें हैं:—

(1) सरपंच पंचायत को दो महीने का नोटिस दिया गया हो अथवा

(2) जिन कारणों से मुकदमा करना हो वह मुकदमा करने से 6 माह के अन्दर हुआ हो। यह मामला वर्ष 1962 का है और श्री मदनसिंह को वर्ष 1967–68 में इसका पता चला। जिन आरोपों को लेकर मुकदमा चलाने की स्वीकृति चाही जा रही है वे 6 माह की अवधि से काफी वर्षों पहले के हैं और फिर नियमों के अन्तर्गत पंचायत एवं सरपंच को वाद प्रस्तुत करने बाबत दो माह का नोटिस भी दिया जाना मालुम नहीं हुआ है। अतः श्री मदनसिंह को मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित तीन विषयों पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(1) पंचायती राज पर सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) सिविल लाइन, जयपुर के बंगला नम्बर 50 के एक भाग पर जिसमें माननीय स्वायत्त और सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री रहते है पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा,

(3) आयुर्वेद विभाग द्वारा दवाइयों में मिलावट के अनेकों मामले पकड़े जाने पर

Page No. 33

(श्री अध्यक्ष)
भी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(1) सरदारशहर में पाकिस्तान रेडियो के प्रसारण के उपरान्त "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाये जाना।

(2) राजस्थान में किराया एवं बेदखली कानून में संशोधन न होने के कारण दुकानों व मकानों को खाली करवाना।

(3) जयपुर मिल्क डेयरी स्कीम द्वारा जो दूध वितरण किया जा रहा है उसमें दूध की मात्रा नहीं के बराबर है।

3. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा ने चम्बल बैराज, कोटा के दरवाजे गत 26 सितम्बर को बिना पूर्व सूचना के खोल दिये जाने के कारण एक बजरी का ट्रक व बहुत से व्यक्तियों के बह जाने के सबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर और एडवर्ड मिल्स, ब्यावर के श्रमिकों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. सर्वश्री अजीतसिंह, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व उम्मेदीलाल, सदस्य विधान सभा ने टोंक जिले में बीज वितरण की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में आये दिन होने वाली यात्री बस दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने गत 3 अक्टूबर को जिला झुंझुनूं के एक गांव में एक महिला द्वारा सती हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

8. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, उम्मेदीलाल व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर जिले में कनपटी मार हत्यारे दल द्वारा लगातार हत्याएं करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

9. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक बाजार में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन्हीं विषयों पर पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इन पर भी जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया जावेगा।

10. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, अजीतसिंह व उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर नगर

Page No. 34

(श्री अध्यक्ष)
पार्षदों द्वारा दिये जाने वाले धरने व भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के महा अध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध राज्यपाल को दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों में निहित विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

12. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, अजीतसिंह व उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा ने डाक व तार विभाग, जोधपुर के कर्मचारियों द्वारा गेहूं के राशन पर मान की कटौती के खिलाफ की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

13. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर शहर के राशन की दुकानों पर अक्टूबर माह का गेहूं अब तक वितरण न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सदन में आज से राज्य की खाद्य स्थिति पर चर्चा हो रही है अतः सम्बन्धित माननीय सदस्य चाहें तो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

14. श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा ने इजरायल व मिश्र राष्ट्रों में फिर से युद्ध भड़कने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है...

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का जिक्र नहीं आया है...

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी था...

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे पास आये हुए हैं उनके बारे में कल निर्णय लेने का तय किया है।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था तो होनी चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय,...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के बारे में है...

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप में कहें...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राज्य के शिक्षा मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में बालकों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी वरना मेरा जैसा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कोई अयोग्य मंत्री हिन्दुस्तान में नहीं होगा। यह अक्टूबर का महीना चल रहा है...

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। शिक्षा मंत्री का सम्बन्ध है और वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम सत्र समाप्त होने को हैं। 6 लाख पुस्तकें एक मुश्त नहीं छप रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 20/30 हजार पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। स्कूल प्रारंभ हुए चार माह हो गये हैं किन्तु अभी तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप थोड़ा बोलेंगे तो समय दूंगा वरना कठिन है। सूक्ष्म में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह हैं कि अध्यक्ष महोदय, वहां पर भयंकर रूप से गबन हो रहा है। बोर्ड का संचालन सही रूप से न होने के कारण आज पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यह बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए लड़कों को समय पर पुस्तकें मिल सकें इसकी व्यवस्था शीघ्र करायी जानी चाहिये।

राजस्थान किराया एवं बेदखली कानून के सम्बन्ध में विधान सभा के सामने अभी प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान किराया एवं बेदखली कानून के सम्बन्ध में इस सदन की एक कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही सदन में आनी चाहिये परन्तु वह रिपोर्ट देरी से आ रही है। जो किरायेदार आज हैं उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को मकान मालिक मान्यता नहीं दे रहा है और उनको बेदखल कर रहे हैं, उनको निष्कासित किया जा रहा है। चांदपोल बाजार में लक्ष्मीनारायण हरिनारायण का केस है उसको नोटिस बेदखल करने का दे दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो राजस्थान किराया एवं बेदखल (संशोधन) विधेयक है, उसको कानून में शीघ्र लाया जाय और इसके लिये जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट को भी जल्दी से जल्दी हाऊस में लाया जाय जिसमे किरायेदारों को राहत मिल सके। मेरा तीसरा स्थगन प्रस्ताव हमारे शिक्षा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। आज वहां पर प्रातः काल पाकिस्तान का रेडियो सुना जाता है और उसके बाद पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं इससे भयंकर देशद्रोह और क्या हो सकता है। इस प्रकार राजस्थान के शिक्षा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सरदारशहर में खुले आम पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगें तो इस सदन को निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करना चाहिये।

माननीय अध्यक्षजी एक स्थगन प्रस्ताव मैंने राज्य कर्मचारियों के बारे में दिया था। उनके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और उन पर मुकदमे लगाये जा रहे हैं। बदले की भावना से ट्रान्सफर्स किये जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि कोई बदले की भावना नहीं है और इस प्रकार से अध्यापकों के ट्रान्सफर्स नहीं किये जायेंगे, लेकिन उनके ट्रान्सफर्स किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : I have got it. उस पर निर्णय नहीं दिया है फिर क्यों बोल रहे हैं। उस पर कुछ न कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने यह दिया था।

श्री अध्यक्ष : वह पेंडिंग हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यही निवेदन कर रहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जैसे कि मंहगाई पर बहस हो रही है उसी प्रकार से राज्य कर्मचारी आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों के जो ट्रान्सफर्स बदले की भावना से हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में और राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन को दबाने के लिए जो सरकार ने अनाप-शनाप खर्चा किया है इस सम्बन्ध में एक फुल डे की डिबेट सदन में रखें तो बहुत उपयुक्त होगा।

अन्त में मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था उसको आपने नामन्जूर कर दिया वह था कि चार किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है......

श्री अध्यक्ष : उस पर बोलने का मौका देने के लिये कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह चार किलो गेहूं भी 8 तारीख तक मिलता नहीं है। 22 तारीख हो जायेगी तो 22 तारीख से दुकानें बन्द हो जायेंगीं और दुकानदार नहीं खोलेंगे। 8 तारीख तक अनाज नहीं मिले और 22 तारीख को दुकानें बन्द हो जायेंगी। चार किलो गेहूं भी अच्छा नहीं मिला है। गेहूं भी लोगों को सड़ा गला मिल रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) दूध में पानी मिला हुआ मिलता है।

श्री अध्यक्ष : मैं बीच में इन्टरफियर करना चाहता हूं। जिन विषयों के बारे में मैंने यह कहा कि आज चर्चा हो रही है उस समय बोल लें फिर यहां पर अभी बोलने की क्या आवश्यकता है। मैं आपको मौका दे रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट का समय, माननीय अध्यक्ष, मैं और लेना चाहूंगा। आप सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी कर रहे हैं। जयपुर मिल्क डेरी का दूध मैं आपके सामने लाया हूं। (बोतल दिखाते हुये) यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सड़ा हुआ दूध भरा हुआ है। इसमें कितनी बदबू आ रही है। इसकी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से...

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूध में पानी है या पानी में दूध है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सड़ा हुआ घी भी लाया हूं। (घी की शीशी दिखाते हुए) इसमें इतनी बदबू आ रही है कि कमरे में नहीं बैठ सकते हैं। राजस्थान की जनता को मिल्क डेरी की ओर से इस प्रकार से सडा हुआ दूध और घी दिया जा रहा है। इस सड़े हुए घी को अगर कढाई पर चढायेंगे तो उस कमरे में मारे बदबू के कोई बैठ नहीं सकता है पूड़ी उतारना या नुकती बनाना तो मुश्किल हो गया था इन दोनों वस्तुओं--दूध और घी की बोतलें आपकी सेवा में सदन की टेबल पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक बड़े अहम विषय पर आज डिबेट हो रही है इसलिए मैं ज्यादा समय लेकर इस डिबेट का समय कम नहीं करना चाहूंगा, केवल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि मैंने सदन की मेज पर प्रस्तुत किया है वह माननीय मंत्री मूलचन्दजी मीणा के बंगले के ऊपर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में है। उनके बंगले के लेट्रिन और बाथरूम····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्रीजी क्लेरिफिकेशन दे देंगे उसके बाद में··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने उस स्थान को देखा है और मैंने उस जगह के फोटो लिये हैं। यह एक गम्भीर विषय है। उस पर जयपुर पिंक हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के मि. जैन हैं और मि. दामोदर हलदियां हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनके लेट्रिन्स के सेप्टिक टैंक को तोड दिया गया है और पाइप लाइन को तोड दिया गया है और उसके ऊपर बाकायदा कब्जा कर लिया है। यह बंगला नं. 50 सिविल लाइन्स में स्थित है। इसके चारों तरफ पिंक सिटी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से राजस्थान के पी. डब्लू. डी. के एक्स. ई. एन. और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब हो गया है। अब आगे चलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप बोल सकते हैं। आपका भी किसी सोसाइटी में धन्धा है क्या ?

एक माननीय सदस्य : इनका कई में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मंत्री महोदय ने चीफ इन्जीनियर को रिपोर्ट की, आई.जी.पी. को रिपोर्ट की। चीफ इन्जीनियर उस स्थान पर पहुंचे। उसके बावजूद भी अभी तक उस अनधिकृत कब्जे को नहीं हटाया गया है। जैन महोदय और श्री दामोदर हलदिया इन दो व्यक्तियों का उस पर कब्जा मौजूद है। पुलिस ने इसका कोई काग्नीजेन्स नहीं लिया और वह अनधिकृत कब्जा अभी तक बना हुआ है।

यह दूसरी बात है कि मिनिस्टर महोदय बाल्टी उठाकर बाहर से पानी भर रहे हों और मंत्री महोदय शौचालय के लिए सुबह सैर को जा रहे हों। वे पिछड़े वर्ग से आये हुए मंत्री हैं इसलिए इस सारी चीज को सहन कर रहे हैं। उनकी सज्जनता की इसके लिए प्रशंसा की जायगी, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मंत्री के संबंध में इस प्रकार से अनधिकृत कब्जा किया जा सकता है और वह कब्जा करने वाले लोग प्रतिक्रियावादी लोग हों, जनसंघ के लोग हों और ब्यूरोक्रेसी की सांठगांठ से वह कर रहे हों तो फिर राजस्थान के आम लोगों की क्या स्थिति होगी, उनके साथ में क्या बीत रही होगी और उनके अधिकारों पर किस प्रकार से लोग कब्जा कर रहे होंगे, यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढा : जनसंघ ने कोई कब्जा नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : श्री दामोदर हलदिया और श्री जैन कौन हैं ? यह मैनेजर पिंक सिटी हाउसिंग कोआपेरेटिव सोसाइटी है।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां टोंक में खाद और बीज की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। काश्तकार इतने परेशान हैं और सरकार से बारबार निवेदन करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां पर प्रोक्योरमेंट के तहत बीज और गेहूं वसूल कर लिया एक एक बोरी पुलिस के मारफत तहसीलदार और एस. डी. ओ. ने। आज बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत चना गंगानगर से भेजा है वह भी चनी है और बीज के काबिल नहीं है। उसके साथ में सफेद बीज और जो की व्यवस्था नहीं है। आज यह हालत है कि खुलेआम ब्लेक हो रहा है। यह कहा गया था कि 1 सितम्बर से मिलने लगेगा लेकिन 1 सितम्बर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पर जो एग्रीकलचर आफिसर हैं वह दुकानदारों से मिल गया है और खुले आम ब्लेक हो रहा है। वह खाद के लिए परमिट नहीं दे रहा है और वह दुकानदार ब्लेक के अन्दर खाद बेच रहे हैं। खाद का जो कोटा निश्चित किया गया है वह प्रोपोर्शन से तय नहीं किया गया है। खाद का जो कोटा वितरित किया गया है वह बहुत कम है। टोंक जिले में और राजस्थान में बीज और खाद की समस्या बहुत विकट है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दें।

ऋण की जो पहले व्यवस्था थी उसकी भी आज कोई व्यवस्था नहीं है। बैंकें ऋण नहीं दे रही हैं। ऐसी हालत में खेत खाली पड़े हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दें कि बीज की व्यवस्था के लिए, ऋण की व्यवस्था के लिए और खाद की व्यवस्था के लिए सरकार क्या कर रही है, वह स्पष्ट हो जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था वह टोंक के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे के बारे में रखा था। सदन कितने दिन तक चलेगा यह निश्चित नहीं है इसलिए इसके लिये एक तिथि निर्धारित कर दी जाय कि अमुक दिन इसका जवाब देंगे तो इसकी जानकारी ठीक ढंग से हो जायगी।

यह साम्प्रदायिक दंगा बहुत गम्भीर रूप से एक लड़की की छेड़छाड़ को लेकर हुआ था। मुझे आश्चर्य और खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिलाधीश महोदया एक दूकान में बैठी रहीं। उनके सामने...

श्री अध्यक्ष : इसकी तारीख निश्चित कर देंगे और इसका जवाब आ जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं उसके बारे में ही कहना चाहता हूं। इसके बारे में मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यह हो रहा है कि प्रदेश के अन्दर नियम और शान्ति, ला एण्ड आर्डर है या नहीं इसका पता नहीं लगता है। मैं टोंक गया और मैंने उस स्थान को देखा है।

जिलाधीश महोदया एक दुकान के अन्दर बैठी रहीं, रामनारायण फूलचन्द के यहां

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बैठी रहीं और उनके सामने गुण्डे आकर लूटपाट करते रहे और कलेक्टर महोदया फाटक बन्द करके अन्दर बैठी रहीं। वह जिलाधीश महोदया दुकानदार से कहती हैं कि घर के पीछे से कोई रास्ता है या नहीं। दुकानदार ने उनको बचाने के लिए अपनी दुकान की पिछली खिड़की खोल दी। जिलाधीश महोदया ने स्वयं देखा कि वह रास्ता भी सुरक्षित नहीं था और वहां वापिस आकर बैठी रही। यहां से डी. आई. जी. वहां पहुंचे लेकिन वह भी गुण्डों का नियंत्रण नहीं कर सके, और सारी लूटपाट होती रही। कैश ही नहीं लूटा गया लेकिन बड़े बड़े सामान भी लोग उठाकर ले गये। पम्पिंग सैट ले गये और मशीनें ले गये लेकिन आज तक पुलिस गुण्डों को गिरफ्तार करवाकर वह माल उपलब्ध नहीं करवा सकी और उसमें असफल रही।

मुझे आश्चर्य होता है कि 10-15 दिन बाजार बन्द रहे लेकिन राज्य सरकार को ध्यान नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे गम्भीर मसले पर कोई तिथि निर्धारित कर दें तो सुविधा होगी। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के दंगे जहां जहां भी होते हैं, राज्य सरकार स्वयं एक परमानेन्ट कमीशन नियुक्त करे। जो भी अपराधी हों उनको दण्ड दिया जाये। इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जाये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कुछ स्थायी हो उससे पहले जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए राष्ट्रीय तौर पर मानी हुई कुछ कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट एक्शन ले ले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है, गंगानगर में जो कनपटी-मार हत्याओं का दौर चल रहा है। इन कत्ल का निशाना ज्यादातर गरीब इन्सान बनाये गये हैं। पंजाब के माननीय मुख्य मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि इस प्रकार के कार्य कुछ उग्र पंथी लोग कर रहे हैं। ऐसा समाचार पत्रों में आया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, इसका इलाज होना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा, ऐसे उग्र पन्थियों की ओर से धर्म और समाज का नाश प्रारम्भ कर दिया गया है। पहले भी इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से इस बारे में निश्चित रूप से ध्यान दिया जाये। पंजाब के मुख्य मन्त्री ने इस बारे में इशारा किया हैं। यह कम्युनिस्टों की ओर किया गया है। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि धर्म को समाप्त किया जाये। यह उनकी समाज को छिन्न भिन्न करने की योजना है। इस योजना के बारे में पंजाब के आई. जी. और राजस्थान के आई. जी. जांच करके कार्यवाही करें।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : आपको परेशानी खामखां हो रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि इसको पोस्टपोन नहीं किया जाये। मुख्य मन्त्री महोदय या राज्य मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें। ये राजनैतिक दल इस प्रकार से खूनखराबी करते हैं। यह जनता के सामने जनतन्त्र का ढकोसला करने का

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
आवश्यकता नहीं हैं। या वह चाहते हैं कि जनता का खून बहे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह देश के जनतंत्र को समाप्त करने का षड्यन्त्र है। इसके बारे में कठोर कार्यवाही की जाये। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय, बहुत ही शीघ्र ही कार्यवाही शुरू करें। पंजाब के मुख्य मन्त्री संकेत कर चुके हैं। सभी जगह आन्दोलन हो रहे हैं। यह ज्वलन्त और महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की है।

श्री गुमानमल लोढा : यह मेरा आरोप नहीं है। पंजाब के मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में स्टेटमेंट दिया है। वह समाचारपत्रों में छपा है। मैंने उसको कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी पार्टी पर, इस प्रकार के पूंजीपतियों के दलालों द्वारा इस देश में और विदेशों में ऐसे आरोप हमेशा लगाये जाते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा उनको करारा जवाब दिया है सचाई सामने आई है। मेरी पार्टी रिवोल्यूशन में विश्वास करती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डेमोक्रेसी में नहीं करती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शोषक समाज के उन्मूलन में विश्वास रखती है। इसलिए इन वर्गों की तरफ से उनकी वकालत करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलन को उग्र कहते है। धर्म विरोधी का आरोप लगाते हैं। मैं फर्मली रिफ्यूट करता हूं। यह स्लेण्डर है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय••

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मोशन है, महालक्ष्मी मिल के बारे में। मैं दो साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं। ऐसे कई मसले हैं, जो पेश किये गये हैं। जो काम दिया जाता है उसके मुकाबले 5-5 रु. कम दिए जा रहे हैं। सरकार का बराबर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। गत वर्ष लोग जेल गये हैं। उन पर लाठी चार्ज किया गया है। बहुत से केस चलाये गये हैं। हमने शान्तिपूर्वक आन्दोलन चलाया है। जो सरकार यह कहे, जो सरकार पूंजीपतियों से आगे बढ कर यह काम करने वाली है, वह पूंजीपतियों से ज्यादा अन्याय कर रही है। वहां के मजदूर यह जरूर चाहते हैं कि जिस मिल को सरकार ने हाथ में लिया है, उसमें हम हड़ताल न करें। मजदूर जेल जाना ठीक समझते हैं, लेकिन हड़ताल करना नहीं ताकि कारखाना बन्द नहीं हो। लेकिन अधिकारियों ने धारा 144 लगाकर कारखाने को बन्द कर दिया है। आज भी उनको मजदूरी बराबर नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चलेगा कैसे? वह हड़ताल पर जायेंगे

(श्री केशरीमल)

तो गैरकानूनी डण्डेबाजी होती है। यह सरकार पहले से सचेत क्यों नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तुरन्त विचार करे। तनख्वाह कम दी जा रही है, उसको पूरा करें और आपस में बैठकर बात करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं कनपटी मार के सम्बन्ध में···

श्री अध्यक्ष : बताया जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : कह चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता महोदय ने कहा है। मेरे जिले में 18 हत्यायें गत 16 दिन में हुई हैं। साधुओं की हत्यायें हुई हैं। करनपुर मण्डी है, एक साथ 6 हत्यायें हुई उसमें ढाई साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई है। एक हरिजन स्त्री पुरुष हैं, जिनकी हत्या हुई है। कुछ बाद में एक मकान में सोए हुए स्त्री पुरुष थे उनकी हत्या हुई है। इसी तरह से तख्त हजारा के तीन आदमी बाबा के डेरे में सो गये उनकी हत्या हुई है। उनकी कनपटी के ऊपर तीखी चीज मारी गई है। जिसमें से एक तो वहीं मर गया, एक हास्पिटल में मर गया। और एक कुछ दिन के बाद में मर गया। दस हत्या तख्त हजारी सादुलपुर मण्डी में हुई···

श्री अध्यक्ष : डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े में कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुल मिलाकर अठारह हत्या हुई हैं। सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस और राजस्थान पुलिस का कहना था कि कोई टुकड़ी या गैंग है जो राजस्थान में भी आपरेट कर रहा है हरियाणा में भी आपरेट कर रहा है और गंगानगर जिले में भी आपरेट कर रहा है। यह दुःख का विषय है कि पंजाब की सारी पुलिस इस दिशा में सक्रिय लगी हुई है, हरियाणा की पुलिस लगी हुई है, हरियाणा के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री स्वयं और होम मिनिस्टर स्वयं इस सारे आपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में हत्या पंजाब और हरियाणा में नहीं हुई हैं, केवल गंगानगर जिले में हुई हैं। इस सम्बन्ध में सारा का सारा मामला केवल गंगानगर जिले के प्रशासन पर छोड़ दिया गया है, न राजस्थान सरकार के किसी मंत्री ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की और न राजस्थान की पुलिस ने।

अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है, दो, तीन दिन पहले आठ व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है, आधा गैंग पंजाब में चला गया है···

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है। संक्षेप में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ के माननीय नेता यह कह रहे हैं, टोटल साधुओं की हत्या हुई है और पंजाब में हत्या करने वाला, गंगानगर में हत्या करने वाला, हरियाणा में हत्या करने वाला गैंग एक ही है यह बात ऐसी है जो बात हर तरह से निराधार बात है और यह साबित बात नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, जब मार्च, फरवरी में विधान सभा का बजट सेशन चल रहा था, उस समय गंगानगर जिले में पांच छः निर्मम हत्या हुई, और सारी हत्या कनपटी पर मार कर की गई। कुल मिलाकर जनसंघ के माननीय नेता का दृष्टिकोण यह है, उनकी बात से यह दृष्टिकोण स्पष्ट लगता है कि इन तमाम हत्याओं का पंजाब के नक्सलाइटों से सम्बन्ध मानते हैं। यह जो एक भयंकर काण्ड है, इससे सारे सदन का ध्यान हटाकर दूसरी ओर ले जाने की उन्होंने कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा कि यह मामूली घटना नहीं है। यह पहला घटना क्रम नहीं है। इस घटना का दौर हो चुका है। यह सैडस्टिक हैं या वह कौन लोग है, अराष्ट्रीय तत्व हैं, कौन लोग हैं–यह सरकार एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। राज्य सरकार के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात कोई हो नहीं सकती है। पन्द्रह निर्मम हत्याएँ होती हैं, लोगों के अन्दर निर्मम हत्याओं से भय है लेकिन फिर भी कोई आपरेशन नहीं किया जा सके। मैं समझता हूं, राज्य सरकार को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए और सदन के सामने सारी स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, सती प्रथा के सम्बन्ध में। सीकर जिले में सन् 1960 में...

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री झाबरमल सूंडा : थोड़ा सा मैं कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिये।

श्री झाबर मल सूंडा : सन् 1960 में एक सती हुई। नीम का थाना सब डिविजन में। उसके आठ साल बाद उसी सब डिवीजन में, उसी तहसील मे एक सती फिर हो गई। यह अर्सा आठ साल का था। लेकिन पिछले चार महीने में और ज्यादा से ज्यादा छः महीने मे एक बारह मील के रेडियस में चार सती हुई। मै यह मानता हूं कि झुंझुनूं में सती के नाम से रानी सती का बहुत बड़ा मेला होता है। चाहे मेले से या चाहे किताबों से प्रेरणा मिलती है और लोग अब सती के नाम से भयभीत हैं। तीन तारीख को ग्यारह बजे जिस समय हम विधान सभा के अन्दर बैठे थे, गोरल्या में एक महिला सती हो गई। उसके लिए इतना प्रचार किया गया कि चराना के सरपंच महावीर ने जयपुर तक टेलीफोन किये, सीकर के बड़े बड़े कस्बों में झुंझुनूं के हर कस्बे में टेलीफोन कर दिये कि फलां तारीख को गोरल्या में एक सती होगी। इस प्रचार का नतीजा यह हुआ कि सत्तर हजार से अधिक व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गये। झुंझुनूं के कलेक्टर और एस.पी. इस मौके से कुछ दूरी पर थे। बहाना यह बनाया गया कि नवलगढ़ के रावल साहब के यहां टीका था, उसमें रुक गये। अगर वे लोग वहां चले भी जाते तो सती के भय से कुछ नहीं कर पाते। इतने प्रचार के बाद अधिकारियों को पता लग जाय और वह कुछ दूरी पर मौन रूप से बैठे रहें, यह दुःख की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि सरकार ने इस सती प्रथा को रोकने के लिए कड़ाई से अपना रोल अदा नहीं किया तो उन्नीस वीं अर्द्ध शताब्दी, 1850 के आस पास

(श्री झाबरमल सूण्डा)
रामगोहन राय ने जो रोल अदा किया, वह करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि गम्भीरता से इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की तो यह सती प्रथा कुरूप ग्रहण कर सकती है । इसका उदाहरण है, कल इतवार को सीकर के श्मशान घाट बुचानी पर तीन चार हजार आदमी इकट्ठा हो गये क्योंकि किसी ने कह दिया था कि सती हो रही है। पुलिस भी वहां गई। बाद में पता लगा कि एक व्यक्ति मर गया था वह वापिस जिन्दा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा कहना है, सती प्रथा सीकर झुंझुनू में जिस गति से जोर पकड़ रही है उस पर अंकुश नहीं लगाया तो सती प्रथा के नाम से लोग भयभीत होने लग जायेंगे और यह प्रथा कुरूप होने लग जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सती की तीसरी घटना इस साल के अन्दर हुई···

श्री झाबरमल सूंडा : फोर्थ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि चारों घटनाओं के सम्बन्ध में जो समाचार अखबारों में छपे, उनसे स्पष्ट है कि उनको पूरी तरह से पहले पब्लिसाइज किया गया, पब्लिसाइज करने से बहुत बड़ी मात्रा में जनता इकट्ठी हुई। यह बात अब समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी पब्लिसिटी होने के बाद, छिपे तरीके से यह मामला नहीं होने के बाद, जो जिला प्रशासन है या स्टेट प्रशासन है–इस मामले में चुप क्यों बैठा हुआ है। इस सती प्रथा के सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिम्पेथी इस सती प्रथा से है और इसको बहुत धार्मिक समझती है, इसको बहुत अच्छा समझती है। इसलिए इसको वह रोकना नहीं चाहती। वरना मैं निवेदन करना चाहूंगा, सीरियसली गवर्नमेंट यदि चाहती तो इसे निश्चित तौर से रोका जा सकता था, इस सती प्रथा को रोका जा सकता था। और इन घटनाओं के बाद भी, जहां तक मेरी सूचना है, अध्यक्ष महोदय, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, न ही स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टर, एस. पी. या एस. एच. ओ., जिनके कार्य क्षेत्र में यह घटना हुई, न ही उन पुरोहितों के खिलाफ, जिन्होंने इनमें पुरोहिती का काम किया, न ही उन नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, सती को करने के अन्दर– कोई कार्यवाही की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत ही शर्म की बात है, कन्डमेवल बात है, गवर्नमेंट का नेगलेक्ट है, एक क्रिमिनल नेगलेक्ट है, जिसके लिए मैं समझता हूं, राज्य सरकार दोषी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर राज्य सरकार को यह कहें कि फौरन, मुमकिन हो सके तो कल ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें, ताकि इसके सम्बन्ध में और भी कहने का मौका हमें मिले।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री मीठालाल (लालसोट) : एक मिनिट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय···

श्री मीठालाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव कैंसिल किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अजमेर के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर दो शब्द मुझे कहने हैं।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हुए थे तो एक साथ क्यों नहीं कह दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने निवेदन किया, एक दफा खड़ा हुआ····

श्री मीठालाल : आप मुझे इजाजत दे रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी अनुमति से मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया हैं, इम्पार्टेन्ट मसला आपके सामने है।

श्री मीठालाल : आप मुझे इजाजत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सबको इजाजत देना चाहता हूं लेकिन आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, मुश्किल यह है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इजरायल और मिश्र के युद्ध के सम्बन्ध में चर्चा नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि यह केन्द्र का मामला है। लेकिन इजरायल और मिश्र का युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। अमेरिका का जो छठा युद्ध बेड़ा है, उसने हरकत शुरू कर दी है। मेरा स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं है, मेरा निवेदन है कि आप सदन की भावना केन्द्र को प्रेषित कर दें कि किसी प्रकार केंद्र इस युद्ध को स्थगित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। यही मेरा निवेदन है कि सदन की इन भावनाओं को केन्द्र के पास पहुँचा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं···

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : बहुत संक्षेप में कहूंगा।

मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि अजमेर के नगर पार्षद और वहां के अन्य राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आज विधान सभा के सामने धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 30 जुलाई को नगर परिषद् की बैठक में एक कर्मचारी का निलम्बन इसलिए किया गया कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था। 30 अगस्त को नगर परिषद् की बैठक हुई, तो उस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए वहां पर नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा प्रयत्न किया गया क्योंकि जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बन किया गया, वह व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के पार्षद से सम्बन्धित है। इस प्रस्ताव पर नगर परिषद् के सदन में गम्भीरता आ गई और जोर दिया गया कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें एक कर्मचारी को निलम्बित किया गया है, वह चाहे इस दल से सम्बन्ध रखता हो या उस दल से सम्बन्ध रखता हो, उसके निलम्बन को इस प्रस्ताव से रद्द नहीं किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, 30 अगस्त को जब यह बात चल रही थी उस समय जब नगर परिषद् ने उस प्रस्ताव को, जिसको पारित कर चुके थे, को वापस रद्द किया और पुष्टि नहीं हुई तो सदन में गर्मी आ गई और उसके अन्दर वहां के जनसंघ दल के नेता थे

(श्री गुमानमल लोढा)

श्री किशनलाल, वहां के अन्य जो दूसरे पार्षद थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप किसी प्रकार से इसको रद्द न करें। दुर्भाग्य से नगर परिषद् के अध्यक्ष ने उस समय विवेक से, शांति से काम न लेकर और अपनी कुर्सी पर जहां वह बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने हिंसा का प्रारम्भ किया और इस कारण से दोनों तरफ से मारपीट हुई और पुलिस में दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दुःख का विषय है कि जब दोनों पक्षों से आरोप लगाए गए और दोनों तरफ से मुकदमें दर्ज करवाये गए। सरकार ने उस समय दलगत राजनीति से प्रेरित होकर वहां पर नगर परिषद् के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, न उनके खिलाफ विभागीय जांच करवाई, न पुलिस से कार्यवाही की गई है, बल्कि नगर परिषद् में जनसंघ दल के नेता श्री किशनलाल को बिना किसी कारण बताये बिना किसी प्रकार आरोप लगाए निलम्बित कर दिया गया। यह निलम्बन श्री किशनलाल का निलम्बन नहीं है, वह स्वायत्त शासन संस्थाओं पर कुठाराघात है, जनतंत्र की हत्या है और यह पहला अवसर नहीं है कि राजनीति से प्रेरित होकर स्वायत्त शासन संस्थाओं के सदस्यों के निलम्बन के आदेश दिए जाते हैं। यदि जनतंत्र को बचाना है तो कानून में प्रावधान है, जांच हो सकती है. आरोप सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है लेकिन केवल क्योंकि वह जनसंघ दल के नेता हैं इसलिए उसको निलम्बित किया गया और मंत्री महोदय की ओर से आदेश दिया गया जिनके खिलाफ हाई कोर्ट ने सांगाराम के याचिका केस में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दुर्भावनापूर्ण था। दुर्भावनापूर्ण तरीके से लूनी की पंचायत के प्रधान को हटाया गया और हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किये हैं, इससे बढ़ कर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। सदन में वादविवाद भी होते हैं। महंगाई पर बोलते हैं कम्यूनिस्ट साथियों ने कहा था, मार्शल बुलाने का प्रबन्ध करें फिर भी हम अपने विचार रखेंगे क्योंकि यह जनता के हित में है। वहां पर श्री किशनलाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और नगर परिषद् के अध्यक्ष ने उनको डंडा मारकर हिंसा का स्वरूप लिया तो सस्पेंड करना चाहिए था नगर परिषद् के अध्यक्ष को। क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति हैं इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया। समाचार-पत्रों ने लिखा कि दोनों तरफ से मारपीट की गई और आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। कहां है न्याय, कहां है जनतंत्र, कहां है संविधान· · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढा : यह पहला अवसर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने प्रश्न आया था। एक जगह अध्यक्ष के खिलाफ आरोप थे, पुलिस के अन्दर जांच चल रही थी, उसको सस्पेंड किया गया लेकिन सत्तारूढ़ दल के दबाव के कारण आरोप वापिस लिए गए हैं, सस्पेंशन समाप्त किया गया, मुकदमा वापस लेने के लिए एस. पी. को लिखा। एस.पी. ने लिखा कि राज्य के आदेश से ऐसा मुकदमा वापिस नहीं लिया जा सकता, वापिस लेना तो सबूत पर निर्भर रहेगा लेकिन मंत्री महोदय राजनीति से प्रेरित होकर एक के बाद एक आदेश देते रहे हैं हाई कोर्ट की भर्त्सना के बाद मैलाफाइडी स्ट्रक्चर्स पास होने के बाद। तो मेरा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
निवेदन है कि निलम्बन के आदेश वापिस लिए जायं अथवा अध्यक्ष को भी निलम्बित किया जाए। दोनों के खिलाफ जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ता चला जा रहा है।

श्री गुमानमल लोढा : इस प्रकार जनतंत्र का गला घोटने का कार्य स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा किया गया, इससे बढ़कर अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता। आप पुन: विचार करें और स्वायत्त शासन मंत्री को आदेश दें कि सदन के सामने तथ्य रखें और बतायें कि क्यों दलगत राजनीति से प्रेरित होकर जनतंत्र की हत्या की है····

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो चुका है··

श्री गुमानमल लोढा : आपने निर्णय दिया है कि यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। यह अजमेर की ढाई लाख जनता का सवाल है। वह जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका केवल अपराध है कि वह विरोधी दल में हैं। क्या जनतंत्र में विरोधी दल का होना पाप है, अपराध है? इसलिए आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि वह तथ्य जनता के सामने, सदन के सामने रखें। बाहर धरने पर बैठे हुए, भूख-हड़ताल पर बैठे हुए लोग जनता की मांग को लेकर आए हैं अजमेर से और कह रहे हैं कि विधान सभा मुश्किल से 6 महीने बाद मिली है, यदि इस समय सुनवाई नहीं होगी, जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो कब सुनेंगे ? आप जनतंत्र का खून कर रहे हैं। संविधान का खून कर रहे हैं। आज जनसंघ के व्यक्ति का किया गया है, कल दूसरे दलों का भी के नंबर आएगा, जनतंत्र एकतंत्र में परिवर्तित हो जायगा। जनतंत्र को बचाने के लिये आप पुन: विचार करें और मंत्री महोदय को आदेश दें कि इस पर पूरा वक्तव्य दें और दुर्भावना के कारण जो आदेश दिये हैं उनको वापिस लें और वापस लेकर जनतंत्र की नींव को मजबूत करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह जनतंत्र का महत्वपूर्ण प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है। प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्रियों के इस तरह के कामों का तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि वह जनसंघ दल के हैं इसलिये ऐसा किया गया, क्या यह एटीट्यूड सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (शोरगुल के बीच): अध्यक्ष महोदय। मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत कामों को इस तरह···

(जनसंघ के कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढा : मंत्री महोदय को आदेश दें। यदि वक्तव्य सदन के सामने आता है तो उसको ढकने का प्रयास न करें। आपसे आशा की जाती है कि जहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जहां अन्याय होता है, पक्षपात होता है, आप जनतंत्र को बचाने के लिये....

(व्यवस्था सूचक घंटी)

....इस बारे में पुन: विचार करें और मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिये आदेश दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : I would not allow. I don't allow.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिना जांच किए हुए।

श्री अध्यक्ष : It should not be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव + +

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : + +

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहिये और जिन मामलों पर मैंने कहा है कि बोल सकते हैं, उन पर भी नहीं बोलना चाहिये था फिर भी मैं रिलेक्स करके मौका देता हूं। एक चीज को कितनी बार दोहराते हैं। माननीय सदस्यों को मैंने समय दिया दिल खोलकर स्टेटमेंट के लिये। आपने कहा मैं विषय के महत्व को कम नहीं करना चाहता, लेकिन यदि एक बार कह दिया जाता है तो दुबारा खोलने से क्या मतलब है? आपका ही समय जाने वाला है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं बगैर आपकी नाराजगी लिये कि यह आपका समय है। ऐसी परम्परा डालें जो अच्छी हो। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। और भी अवसर आयेंगे, आप दल के नेता हैं, आप अपने सदस्यों का मार्गदर्शन करें।

श्री गुमानमल लोढा : इसका मतलब मैं यह समझूं कि मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देने के लिये आदेश दे दिया? जैसे आपने फरमाया इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए यह प्रश्न केवल किशनलाल का नहीं है, जनसंघ दल के नेता का नहीं है, यह जनतंत्र को बचाने का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पर सदन में विचार नहीं करेंगे तो किस स्थान पर जायेंगे? हमने यह नहीं कहा कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे, लेकिन एक बार और प्रार्थना करेंगे, आप पुन: विचार करें और मंत्री महोदय को आदेश दें जो सबसे अधिक लोकमहत्व का प्रश्न है, जनतंत्र को कायम रखने का प्रश्न है, अजमेर की नगरपरिषद् में जनसंघ दल के नेता श्री किशनलाल को बिना किसी कारण दलगत राजनीति से प्रेरित होकर निलम्बित किया उस पर वह वक्तव्य दें। यदि कोई डिफेंस हो..

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : फिर आपका भाषण शुरू हो गया। आपने व्यवस्था दी उसके बाद कुछ बोलने के लिये उसके बाद फिर व्यवस्था दी।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि आपके इतना कहने के बाद भी इनका

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री फूलचन्द जैन)
भाषण बार बार चल रहा है। यह एक ही बात को बार बार रिपीट किये जा रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह तो जनतन्त्र और जनसंघ का कम्यूनिकेशन कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक गुजारिश है कि बावजूद आपके कहने पर भी यह लगातार बोले जा रहे हैं और सदन का समय जाया कर रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि जब हाउस समाप्त हो जाय तो जितना चाहे बोलते रहें अभी तो समय सदन का जाया नहीं करें।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जब आपने उनको पूरा समय उनकी बात कहने को दे दिया फिर यह क्यों एक ही बात को बार बार आपके मना करने पर दोहराते जा रहे हैं?

श्री **अध्यक्ष :** आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हुई कि जो कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होता, हम अगर आह भी भर दें तो शोर मच जाता है।

श्री फूलचन्द जैन : आप परम्पराओं का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है। छंगाराम के केस में हाई कोर्ट का डिसीजन हो चुका है। स्वायत्त शासन मंत्री श्री परसराम मदेरणा के खिलाफ में आदेश हुए। उन्होंने छंगाराम को सस्पेन्ड किया उसके लिये परसराम मदेरणा का स्टेटमेंट होना चाहिये उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इतना ही बोलने का शौक है तो विधान सभा की कार्यवाही समाप्त आज हो जाये तब बोलते रहें।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, आपके बार बार रोकने पर भी बार बार बोल रहे हैं। इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, अजमेर म्यूनिसिपैलिटी में जो कुछ हुआ उसके लिये स्वायत्त शासन मन्त्री का स्टेटमेन्ट सदन में होना चाहिये। और अगर आप उनको स्टेटमेन्ट देने के लिये बाध्य नहीं करते है तो मैं और मेरा दल उसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं। अध्यक्ष महोदय...

(श्री गुमानमल लोढा और जन संघ के सदस्यों का सदन से बहिगमन एवं पुनः आगमन)

श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहने को कह दिया कि हम सदन से बहिर्गमन करते हैं लेकिन यह तो वापिस लौट आये हैं यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष। प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन ...

(एक साथ दो सदस्य बोलने खड़े होने पर अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : Please sit down. प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि जनसंघ दल के नेता श्री गुमानमल लोढ़ा अभी सदन में यह मांग कर रहे थे कि जो स्थगन प्रस्ताव उन्होंने रखा है उस पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री का स्टेटमेन्ट इस सदन में होना चाहिये। लेकिन इस सदन में बार बार उनको इन्ट्रप्ट किया गया मेरा यह अनुभव है अध्यक्ष महोदय, कि अगर उस तरफ बैठने वाले अगर कोई गलती कर दें चाहे वह कितनी ही बड़ी से बड़ी गलती क्यों न हो, उसे शासनारूढ दल का सदस्य होने के नाते क्षमा कर दिया जाता है या उस पर लीपा पोती कर दी जाती है। लेकिन अगर विरोधी पक्ष के सदस्यों की कोई गलती हो जाती है तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और उनका इस सदन में मखौल उड़ाया जाता है। अभी जनसंघ के नेता महोदय ने स्वायत्त शासन मन्त्री जी से किसी बात का सदन में स्पष्टीकरण चाहा था और उन्होंने चाहा कि सदन में उनका स्टेटमेन्ट उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में हो जाय लेकिन उसका उत्तर न दिया जाकर उनका मखौल उड़ाया गया। आज शासनारूढ़ दल का विरोधी पक्ष में विश्वास नहीं है। और शासनारूढ़ दल की नियत यह है कि यहां पर एक ही दल हो। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि धीरे धीरे वह समय आ रहा है जब कि यहां पर लिमिटेड डेमोक्रेसी भी समाप्त हो जायेगी, और यहां पर सिर्फ शासनारूढ़ दल ही रह जायेगा, आज यहां पर विशुद्ध विरोधी पक्ष है लेकिन मैं समझता हूं कि शासनारूढ़ दल एक ही पार्टी का राज्य इस सदन में चाहता है। लेकिन जब तक विरोधी पक्ष है तब तक तो हम सदन में अपना योगदान देते रहेंगे और जो जनतन्त्र की परम्परायें हैं उन्हें निभायी जानी चाहिये। जहां तक हो सके सदन की स्वस्थ परम्परायें हैं उन्हें रखने का प्रयास किया जाना चाहिये। चूंकि माननीय सदस्य का जो अधिकार है वह उसे मिलना चाहिये। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि सदन में किसी विरोधी पक्ष के सदस्य का मखौल उड़ाया जाता है। यह मैं मानता हूं कि आप निष्पक्ष हैं और आप काफी उदार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह जरूर चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब कोई सदस्य मांग करे जैसे कि अभी माननीय जनसंघ के नेता ने यह मांग की प्रभारी मन्त्री महोदय उसका उत्तर सदन में रखेंगे। लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो, अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी व्यवस्था हैं तो फिर सदन में स्थगन प्रस्ताव रखने से क्या तात्पर्य है? स्थगन प्रस्ताव सदन में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के लिये ही तो हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी महारावल साहब ने जो फरमाया है...

श्री चन्दनमल बैद : वह आपसे मिले हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जनसंघ वाले सदस्य ने कहा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि जनसंघ की नगरपालिका का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें निलम्बित किया गया है। लेकिन मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि अजमेर में जो झगड़ा हुआ था उसमें जनसंघ दल के नेता को अध्यक्ष न चांटा मारा था।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त हों। Please listen. माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री निरन्जननाथ आचार्य।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री निरन्जननाथ आचार्य (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले खड़ा हुआ था पर सदन उस वक्त उद्विग्न अवस्था में था। अब शान्त वातावरण हुआ है, खैर।

अध्यक्ष महोदय मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1973–74 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल–अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1967–68 से सम्बन्धित समिति का सोलहवां प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 से सम्बन्धित समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति का दसवां प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

विधायी कार्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो सरक्यूलर इश्यू किया है उसमें कुछ बिल भी है। मेरी यह राय है कि आज सिर्फ महगाई पर ही डिबेट होनी चाहिये और विधेयकों को आज नहीं रखा जाय। अगर आईन्दा विधेयकों पर विचार किया जायेगा तो माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा कि वह उन पर अपने विचार ठीक तरह से रख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में महंगाई पर डिबेट होती तो ठीक रहता।

विधायी कार्य

राजस्थान अभृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभृति (टैनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का विमति टिप्पणियों सहित उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन हुआ। श्री चन्दनमल बैद।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन बिल है जिसके लिये सदन में लाने के पहले ही ऑर्डिनेन्स लाया गया और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाउस में कोई बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाय तो इन्ट्रोडक्शन के समय बहस नहीं होनी चाहिये, ऐसी हमारे यहां की परम्परा रही है। जब बिल पर डिसकशन हों तो उस वक्त माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अभी इस स्टेज पर डिसकशन करना उचित नहीं है। आपको काफी समय मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इसमें कुछ ऐसी खराबियां रह गयी हैं कि जिससे यहां कहना पड़ता है। आम तौर पर हम भी इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर नहीं बोलते हैं। इस बिल के द्वारा मंत्री महोदय ने जो टैक्स प्रॉपर्टीज पर लगाया है और ओरिजिनल एक्ट में जो पेश किया गया था उसके अनुसार प्रॉपर्टीज का सामूहिक रूप से ऐसेसमेन्ट किया जाकर वाद में 50 हजार तक की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। अगर वह 50 हजार से नीचे है तो उन पर टैक्स नहीं लगाना है और ऊपर है तो टैक्स लगाना था।

श्री हरिदेव जोशी : क्षमा कीजिये। क्या आप टिनेन्सी बिल पर बोल रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो हो चुका।

श्री अध्यक्ष : पहले की बात थी वह अब पूरा कर रहे हैं। जारी रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अब इस विधेयक के द्वारा उन तमाम जायदादों का असेसमेन्ट न करा कर अलग अलग रूप से उनका असेस्समेन्ट होगा। अलग अलग असेसमेन्ट के हिसाब से यदि वो प्रॉपर्टी पचास हजार से अधिक की होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, वह टैक्सेबल होगी। एक आदमी के पास दस तरह की सम्पत्ति है। उसकी कुल वेल्यूएशन पांच लाख के करीब होती है लेकिन अलग अलग सम्पत्तियों की वैल्यू एक एक की पचास हजार से नीचे है, चालीस हजार एक की है, वह सब की सब प्रॉपर्टीज सामूहिक रूप से होने पर टैक्सेबल होती पहले टैक्स के अनुसार, लेकिन अब जो इस बिल में संशोधन किया जा रहा है उसके अनुसार वह टैक्सेबल नहीं होगी और वह तमाम पांच लाख की प्रॉपर्टी टैक्स से बच जायेगी।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, सीधे सादे इसका मतलब यह हुआ कि उन तमाम सम्पत्तिशालो, केपिटेलिस्ट्स तबके को एक प्रकार से रियायत देने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मुझे तो तब और भी आश्चर्य होता है जब कि वित्त मंत्री जी राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उस आर्थिक स्थिति के कारण आज हम हमारे प्रदेश में सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस सदन में एक प्रश्न आया था कि जो पावर पोटेन्शियल स्टेट के पास है उसका फल यूटिलाइजेशन पूरे फन्ड्स नहीं होने से नहीं कर सकते हैं इसलिये इस बात का खतरा है कि सरप्लस घोषित होकर दूसरे प्रान्तों को चला जाय। इस तरह से फन्ड्स की कमी के कारण से इस तरह के संकट हमारे सामने हैं। कितने ही डिपार्टमेन्ट्स तोड़ रहे हैं। खुद वित्त मंत्री जी के पास डिपार्टमेन्ट्स हैं, जल-प्रदाय योजनाएं हैं, जिनको राजस्थान के लिये आवश्यक समझते हैं उनको रिट्रेन्च किया जा रहा है, उनको कट किया जा रहा है केवल इसलिये कि फन्ड्स नहीं हैं। दूसरी ओर सरकार के प्रतिनिधि बन कर मंत्रिमंडल में मिनिस्टर हैं वे इस प्रकार का यहां पर अमेन्डमेन्ट बिल लायें जो कि सरकार की खुद की घोषित नीति के अनुसार कि टैक्स बड़े तबके के ऊपर लगना चाहिये, सम्पन्न तबके के ऊपर लगाना चाहिये उनको रियायत देकर वे छोड़ना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया होगा कि पहले जो बिल सदन में आया था उसके अनुसार इनकम के क्या एस्टिमेट्स थे जिसके अनुसार सामूहिक रूप से तमाम प्रॉपर्टीज को असेस करना चाहिये था और अब यह जो अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं उसके अनुसार उस इनकम में कितना असर पड़ेगा? कितनी प्रॉपर्टीज, कितने असेसीज इस बिल के जरिये से छूट जावेंगे? पुराने बिल के अनुसार टोटल इनकम कितनी होगी और इस बिल को पास कर दिया जाय तो कितनी होगी? मैं समझता हूं कि यह अपने आप में ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि यह कानून बनाना ही निरुद्देश्य बन जायेगा और बहुत कम लोग इसके अन्तर्गत आ सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में बार बार कहा था कि इस वित्तीय संकट की स्थिति में भी संतोषजनक हल निकाल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकते हैं ऐसे तबकों से जो अच्छे तबके हैं, सम्पन्न तबके हैं, चाहे राजा लोग हों, चाहे जागीरदार लोग हों, चाहे बड़े बड़े सम्पत्ति–शाली लोग हों उनको टैक्स करके आप राजस्थान में रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी जिसके बारे में आप टैक्स बिल ला रहे हैं, सन् 1962 में या खास तौर से 63 में इस प्रकार की प्रोपर्टीज पर, जो वेकेन्ट लैंड थीं, उन पर टैक्स लगाया गया था, 64 में टैक्स लगा था और 72 तक उसको वसूल नहीं किया गया। वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था। उनके प्रिडि–सेसर मथुरादास जी माथुर थे जब हर सत्र में इस प्रश्न को उठाया तो उन्होंने भी कहा था कि इस साल में वसूल करेंगे। लेकिन उन्होंने वसूल नहीं किया। फिर टर्न ओवर और इन्टीग्रेट्रेड टैक्स लगायेंगे यह कह कर उसको खत्ते मे डाल दिया। जिस साल आपने यह टैक्स लगाया आप उसको उसी साल से वसूल कर सकते हैं क्योंकि कानूनी अधिकार आपके पास विद्यमान है और वे 64 से 72 तक का टैक्स वसूल कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इससे सरकार को पांच छः करोड़ रुपया मिल सकता है। 9 वर्ष हो गये। 9।10 करोड़ रुपया भी सरकार को मिल सकता है। मुझे शक है, बावजूद मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उसको वसूल करायेंगे, मुझे संदेह है, उसमें कोई वसूली हुई या नहीं हुई। जहां तक मेरे क्षेत्र का संबंध है मैंने जानकारी की वहाँ पर कोई इस प्रकार की वसूली नहीं हुई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सरकार की खुद की घोषित नीतियां हैं, कांग्रेस दल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपनी नीतियों की घोषणा की जिन पर सीमित सहयोग आपके और हमारे बीच हुआ।

(1.06 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, उन घोषणाओं के प्रति विश्वासघात किया गया है जिसमें गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब और अमीर का फर्क मिटाने का नारा दिया। वह भी यही चाहते थे कि गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाय और बड़े लोगों के ऊपर टैक्स का भार डाला जाय। लेकिन आज यह सरकार बड़े लोगों को रिलीफ दे रही है बड़े भारी आर्थिक संकट के होते हुए भी। मंत्री जी को यह बिल वापिस ले लेना चाहिए। इस सदन में इस बिल को पास नहीं करना चाहिए इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अर्ज कर दूं। यह बिल जो लाया गया है यह बेसिक ओब्जेक्ट को ही डिफीट करता है और इसीलिये हम इसको अपोज कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें यह है :

"For removal of doubt it is declared that the tax shall be levied on land or building or both separately as units."

अगर एक व्यक्ति के शहर में आठ मकान हैं और एक एक की पचास हजार से कम

(श्री केदारनाथ)

कीमत है तो कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगेगा। और पुराने बिल के अनुसार यदि आठ ही प्रोपर्टीज को कलेक्टिवली असेस किया जाता तो उन पर टैक्स लगता यदि इम्पलीमेन्टेशन की स्टेज पर कोई डिफिकल्टी होती तब तो किसी अमेन्डमेन्ट बिल के पेश करने का औचित्य था। अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लॉ इसी लिए पास किया था कि इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पर टैक्स लगाया जाय लेकिन इस बिल के द्वारा उस परपज को ही डिफीट किया जा रहा है। मेरा इस सरकार पर यह चार्ज है कि यह पौलिटिकली मोटिवेटेड होकर इस बिल को पेश कर रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि शहरी सम्पत्ति और गांवों की जमीन दोनों के सम्बन्ध में ही सरकार भू-पतियों, इजारेदारों की जकड़ में फंसती जा रही है। आज जिस मन्शा से अरबन प्रापर्टी बिल प्रस्तुत किया गया है, यह मौजूदा बिल है उसको चकनाचूर कर देना चाहता है। उसके सिद्धान्तों को चकनाचूर कर देना चाहता है। चाहे तो पंचायती राज की बात हो, चाहे हाई पावर कमेटी के इम्पलीमेन्टेशन की बात को सदन में लाने का प्रश्न हो–राज्य में 9 साल में जनतन्त्र से चुनी हुई हजारों पंचायतों के चुनाव समय पर न करवाना और जब हाई पावर कमेटी का प्रश्न हो तो 70 करोड़ रुपयों में 50 करोड़ रुपया रेवेन्यू को ट्रान्सफर हो जायगा और 20 करोड़ और ट्रान्सफर हो जायगा और राज्य दिवालिया हो जायगा इसलिए न हाई पावर कमेटी पर विचार किया जा सकता और न सदन की मेज पर रखा जा सकता है और यदि प्रश्न आये राजस्थान में भंयकर अकाल का...

श्री उपाध्यक्ष : Be brief and relevent to.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर सम्पति के ऊपर यह बिल तैयार करके और हजारों एकड़ की धरती पर मिलोभगत करके, राजा और महाराजाओं पर दया करके, इनके द्वारा संचित सम्पत्ति पर दया करके आखिर यह कौनसी गाइड लाइन है और समाजवाद का कोनसा तरीका है जिससे सरकार यह बिल लाना चाहती है। या तो राज्य करने वाले स्पष्ट रूप से कह दें कि मुनाफाखोरों, इजारेदारों भु-पतियों, राजा महाराजाओ की नीतियों से पूरी तरह गिरफ्त हैं। आज जो....

श्री लक्ष्मणसिंह : राजा महाराजा तो कोई है नहीं, अब आप कुछ भी कह दें..

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहूंगा बिल को इन्ट्रोड्यूज के स्टेज पर रिजेक्ट कर दिया जाय और चूंकि यह मूलभूत नीतियों के विरोध में है, कांग्रेस की मूलभूत नीतियों और सिद्धान्तों के विपरीत है ही और मेरी पार्टी भी इस राय की है।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं भी इस स्टेज पर विरोध करता हूं। मैंने जब शुरू में जब अरबन और रूरल प्रॉपर्टी के सीलिंग की बात आई थी कि शहर और देहात में यह सरकार फरक करती जा रही है और यह बिल से साफ जाहिर है। आपकी

(श्री झाबरमल सूण्डा)

कथनी, करनी इस ढंग की है कि इसमें कुछ नहीं रुकेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को व्यापारिक संस्थान बनाकर छूट मिल जाती है और जब चाहे जैसा कर लेते हैं। सेपेरैटली लैण्ड एन्ड बिल्डिंग पर अलग अलग टैक्स होगा, इससे साफ जाहिर है कि विलेजेज के जो आदमी हैं लैण्ड के मामले में पत्नी-पति की बात है, उसको एक साथ किया जायगा और यहां एक ही शहर में लैण्ड एण्ड बिल्डिंग को अलग अलग मानने की मन्शा है। जो लोग पैसे वाले है, जिन लोगों का प्रभुत्व है उन लोगों से आज यह सरकार चल रही है। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के अनुसार यह तय किया था जो बड़ी बड़ी खाइयां हैं उसको कम करना चाहते हैं लेकिन इस बिल के जरिये साफ जाहिर है शहरों को छूट है और सीलिंग किसी पर इम्पोज किया जाय तो सिर्फ देहात में किया जाय। इसलिये मैं यह कहता हूं कि जो बिल जिसमें कि अमेन्डमेंट रखा जा रहा है, नहीं किया जाय। ऐसे बिल से कांग्रेस की जो घोषित नीति है— समाजवाद की नीति के खिलाफ है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस बिल के अमेण्डमेन्ट को नहीं लायें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि अगर इस बिल को, इस विधेयक को माननीय मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तो उस समय विचार करना था। अगर कोई टैक्निकल खामी है तो इस बिल को लाना ही नहीं चाहिये था। अगर यह आवश्यक था कि एक यूनिफार्म बिल सारे भारतवर्ष में लागू किया जाय तो इस सम्बन्ध में थोड़ा सा सब्र रखना चाहिये था लेकिन जिस भावना से यह बिल लाया गया और इन्ट्रोड्यूस स्टेज पर जो जो बातें कही गई, इससे जो अमेण्डमेन्ट है यह उसके विपरीत आचरण कर रही है अर्थात् आपका जो इरादा है, इन्टेन्शन है उसको आप स्वयं ही डीफीट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से या तो बिल ही नहीं लाना चाहिये था और लाये तो बिल पर दृढ़ रहना चाहिये था। अगर कानूनी दृष्टि से खामी थी तो वह रह हो जाती लेकिन जिस मुंह से बात कर रहे हैं, क्षमा कीजिये थूक करके चाटना है। एक तरफ काश्तकारों की जो व्यवस्था है, इससे विभिन्न व्यवस्था शहरी सम्पत्ति····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)····

श्री लक्ष्मणसिंह : आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये। आप राजा-महाराजा पर टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स लगना चाहिये लेकिन अभी कोई राजा भी नहीं है और न कोई महाराजा है। अगर भूतपूर्व हैं तो लगायें···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ··· (अश्रव्य)···

श्री लक्ष्मणसिंह : वह भी टैक्स लेना और देना होगा वह लिया या दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त और उसूलों का सवाल है। मैं अभी उस पर बोल रहा हूं। माननीय सदस्य जो उधर विराजमान हैं; वे बदले की भावना से बोल रहे हैं। इस सदन में विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं इस विधेयक को जिस इन्टेन्शन से लाये हैं, वह सेल्फ डीफिटिंग हो चुका।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करते वक्त जो ओबजेक्शन उठाये गये हैं माननीय रामानन्द जी द्वारा और दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा, मैं समझता हूं वह इस दृष्टि से नहीं है। उसका कारण यह है कि बिल में ओबजेक्ट्स और रीजन्स देखें जाय इस लिये नहीं कि संशोधन लाये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो माननीय मंत्री जी को जवाब का मौका दिया जायगा।

श्री शंकरलाल (पाली) : जो मुद्दे इन्ट्रोड्यूज के वक्त उठाये गये हैं, यह बात हो सकती है कि 50 हजार पर लाते–अलग अलग न लगाकर सामूहिक लाते लेकिन जो इस स्टेज पर विरोध किया जा रहा है वह उचित नहीं है इसलिये कि और भी आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स हैं। जब धाराओं पर विचार होगा तब विरोध करेंगे क्योंकि आब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में यह बताया गया है–

"कुछ मामूली परिवर्तनों के लिये भी अवसर का लाभ उठाया गया है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा दस्तावेज आदि के पेश किये जाने की अपेक्षा करने के लिये उन्हें प्राधिकृत किया जाय और निदेशक को, कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिये उन्हें प्राधिकृत करने हेतु, सशक्त किया जाय"।

इस प्रकार दूसरे रीजन्स हैं जिनके लिये बिल लाया गया है। केवल वही रीजन्स नहीं है। नहीं तो इस स्टेज पर विरोध किया जा सकता है लेकिन दूसरे रीजन्स हैं। इसलिये इस स्टेज पर विरोध नहीं किया जा सकता है। बाद में जब धारा वाइज लिया जाय तब विरोध किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल में तीसरी बार संशोधन लाया जा रहा है...

श्री हरिदेव जोशी : पहली बार।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले 64 में लाये फिर 73 में लाये और यह अभी लाये है और मुझे भय है आगामी जब सत्र होगा उसमें भी लायेंगे वह यह लायेंगे—पहले तो आधे पर्सेन्ट वाली बात रखी वह दो प्रतिशत का दे दिया। राष्ट्रपति के पास अप्रेल 73 से पूर्व पेश हो चुका था वह अभी पेंडिंग पड़ा है। उनके दस्तखत होकर आये नहीं। आपने जमीन अलग कर दी, मकान अलग कर दिये। आपने पहले विचार नहीं किया और हो सकता है जिस पर जवाब आया है आपने सोचा यह तो अपन लोगों के खिलाफ पड़ गया। अब उस दृष्टि से मकान अलग निकाल दिये और जमीन अलग निकाल दी। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति के दस्तखत होकर आ जायगा तो मेरी सम्भावना है चौथी बार फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा। होना तो यह चाहिए था कि आप उन लोगों से टैक्स जिनके पास 50 हजार से ज्यादा की सम्पत्ति है और जिन्होंने अपनी आय का जरिया बना रखा है उसको आपने भी आय का जरिया बना लिया है। आपको यह

Page No. 57

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

घोषणा करनी चाहिए थी कि जिनके पास मकान नहीं हैं, जिनके पास मकान हैं उनसे टैक्स लेकर और जिनके पास मकान नहीं हैं उनके आवास की समस्या का समाधान करने में लगाते। जहां इस टैक्स का मालिक म्युनिसिपैलिटी को होना चाहिए वह आपने अपने कब्जे में ले लिया है इसलिए आपको घोषणा करनी चाहिए इस बात की कि यह टैक्स आवासनीय लोगों की समस्या के सुलझाने में खर्च किया जायगा। पेज नं. 2 पर वाई (2) है लिखा है :

"All officers and other persons employed in execution of this Act shall observe and follow the orders instructions and directions of the Director."

आपने डाइरेक्टर को सब कुछ बना दिया। निवेदन यह है कि आप न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कब्जा कराने जा रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका हावी हो जाये तो यह कहां संशोधन करने जा रहे है। डाइरेक्टर नहीं बल्कि रीजनल अथारिटी याने रेवेन्यू बोर्ड होना चाहिए था इसलिए माननीय मन्त्रीजी यह जो कार्यपालिका को न्यायपालिका पर हावी करने जा रहे हैं यह उचित नहीं है और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 का सेक्शन 8 है उसको देख लिजिए और सेक्शन 9 को देख लीजिए उसमें भी रीजनल आथोरिटी याने रेवेन्यू बोर्ड को पूरी पावर्स दी गयी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बिल डिफेक्टिव बिल है इसको आप यहां रखने की गलती नहीं करें। नगरीय सम्पत्ति बिल के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर आ जाने दीजिए वर्ना बार-बार संशोधन करने से लोगों को बचाव करने का मौका मिलेगा और वह मौका आप जानबूझकर लोगों को देने जा रहे हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को इन्ट्रोड्यूज मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप भी कह चुके हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय भी कह चुके हैं कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर किसी भी बिल का विरोध नहीं किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गलत धारणाओं के आधार पर इस बिल का इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध किया गया है। मैं केवल इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बात से इसको कन्फ्यूज किया जा रहा है अर्बन प्रापर्टी के सीलिंग का जो बिल सदन ने पास किया उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो लैण्ड एण्ड प्रापर्टी का बिल है और लैण्ड एण्ड बिल्डिंग का सीलिंग है इसका उससे सम्बन्ध जोड़ा गया है। खास तौर से हमारे स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय ने इसका सम्बन्ध उससे जोड़ा है लेकिन इसका उससे सम्बन्ध नहीं है। यह संशोधन लाया जा रहा है, यह मेरी मान्यता कभी नहीं थी कि हम एक

(श्री चन्दनमल वैद)

शहर में जो अलग-अलग सम्पत्ति है उसके ऊपर अलग-अलग टैक्स लगायें लेकिन किन्हीं कानूनी मजबूरी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। उसके बारे में जब क्लाज बाई क्लाज की स्टेज आयेगी तो उस समय मैं प्रकाश डालूंगा। इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपनी नीतियों से नीचे नहीं गिर रहे हैं, कोई समझौता नहीं कर रहे हैं बल्कि सारे बिल को बचाने के लिए हमको पीछे हटना पड़ रहा है जो कि मजबूरी है। इसके कारण से जो संवैधानिक मजबूरी है उसके कारण से कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। एक पार्ट के आपरेशन को स्टे करके अगर सारे एक्ट को बचा सकते हैं तो अच्छा है और यही कोशिश मैंने की है। इसलिए यह हमको आर्डिनेन्स लाना पड़ा और उसके बाद इसको बिल का रूप दिया जा रहा है इसलिए जो प्रासीजरल मैट्र्स हैं उनको भी एक दो को साथ में जोड़ दिया है और जब इस पर खण्डशः विचार होगा तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालूंगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस समय जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं वह मानेंगे कि जो कुछ भी किया गया है वह जनहित में किया गया है इतना ही कहकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन इसे पुनःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 6, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश दिन अनुपालन) विधेयक, 1973

श्री ओंकारलाल चौहान (श्रम मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश दिन अनुपालन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह बिल अब इतनी देरी से क्यों आया?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें लिखा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको तो वेलकम करना चाहिए। सबके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कब टीका टिप्पणी कर रहा हूं ?...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस बिल को प्रक्रिया के नियम 58 के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है इसलिए इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर बहस का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बहस नहीं कर रहा हूं । देरी से लाया गया है और दूसरी स्टेट्स ने पहल कर ली है और राजस्थान इसमें पीछे है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की भूल क्यों हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय अवकाश दिन अनुपालन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1973

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं ।

सार्वजनिक वक्फ [परिसीमा वृद्धि] राजस्थान संशोधन] विधेयक, 1973

श्री रामचन्द्र चौधरी (वक्फ मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ, (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिमिटेशन का है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कहा गया है कि मुकदमें पड़े हैं । तो आखिरकार कितने मुकदमे हैं जो पड़े हैं और वह क्यों पड़े हैं और क्योंकि वह पड़े रहे इसलिए आपके वक्फ बोर्ड के मामलों में यह लिमिटेशन वाली बात को लेकर टाइम बढ़ाने वाली बात आई ।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक ओर वक्फ बोर्ड लिमिटेशन का समय बढ़ाने जा रहे हैं दूसरी ओर जो धारणायें आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह हैं कि आज एम.एल. एज. को असुविधायें हैं, एम. एल. एज. को रहने के लिए मकान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं हैं, वह मारे-मारे फिरते रहें और सरकार की जमीन एम.एल. एज. क्वार्टर्स के सामने जो पड़ी हुई है वह सरकारी जमीन है यू. आई.टी. ने उनको नोटिस दिया, म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस दिया दुकानें वहां से हटीं, हट जाने के बाद आज वहां के सारे झगड़े वक्फ बोर्ड के पास हैं। तो सरकार बड़ी या वक्फ बोर्ड बड़ा ? वह कहते हैं कि सरकार के खिलाफ पहले दावा दायर करने के लिए लिमिटेशन पीरियड बढ़ाया जा रहा है। सरकार के विरोध में बिल पास करने जा रहे है, उसके लिए समय दे रहे हैं। आज हालत यह है कि लोगों को रहने के लिए मकान नहीं हैं और वह वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया, हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए लेकिन उस सारी स्थिति के बावजूद इस बात को लेकर मैं समझता हूं कि आप जिस प्रकार से समय बढ़ाना चाहते हैं वह उचित नहीं हो सकता वहां पर मस्जिद है उसका विकास किया जाना चाहिए। वहां पर लोग जाकर इबादत करें, मस्जिद का विकास हो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वहां पर आप उनको जमीन दे दें, एम.एल.एज.क्वार्टर्स के सामने की जमीन दे दें, दो तीन बीघा जमीन और दे दें लेकिन वहां पर इस प्रकार एक करोड़ की जमीन पड़ी रहे और इस पर इस प्रकार पचास हजार वर्ग गज जमीन जिसके बारे में वक्फ बोर्ड तो कहे कि मैं मालिक और सरकार कहे कि मैं मालिक और इस झगड़े के बावजूद जो लिमिटेशन बढ़ाने की बात की जा रही है तो इस पर विचार करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया और उसके बारे में वह हाई कोर्ट में हार गये। मैं तो अभी सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड ने जो इजेक्शन आर्डर ले लिया था वह वेकेट हो गया या पड़ा हुआ है।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के उपस्थापन के समय विधेयक का विरोध नहीं किये जाने सम्बन्धी

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर अभी तक इस विधान सभा के प्रांगण पर कभी अपोज नहीं किया गया और इस स्टेज पर विरोध न किया जाय यह प्रणाली बन गई, परम्परा बन गई कि इण्ट्रोडक्शन के प्रश्न पर कोई विरोध नहीं हो। यदि कोई लीगल, कांस्टीट्यूशनल इश्यू जैसा रामानन्दजी ने उठाया था वह तो अलग बात है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रणाली, वह परम्परा टूट गई तो फिर इसकी स्टेज में और बढ़ोतरी हो जायगी और मेरा ख्याल है कि भारत की अन्य विधान सभाओं और संसद में भी कभी भी इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर कोई विरोध नही होता है। मैं आपके वाक्तंत्र पर अवरोध करूं यह मेरी मंशा नहीं हैं लेकिन जो पिछली परम्परा है कम से कम उसे निभाया जाना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतया सहमति प्रकट करता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने सदन के समक्ष पहले भी यह परम्परा निभाई जानी चाहिए इसके लिए माननीय सदस्यों से निवेदन किया था। किन्तु

(श्री उपाध्यक्ष)

इसके बावजूद भी विपक्ष के जितने भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं सभी ने इस बात को चाहा कि उनका बोलने का रूल्स में प्रावधान है। इसलिए वे इसका विरोध करना उचित समझेंगे। इस सम्बन्ध में एक प्राईवेट मेम्बर बिल का भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया। उस रोज मैं चेयर पर था और इसलिए मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि इस तरह की परम्परा को तोड़ कर इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध किया गया।

श्री केदारनाथ : सरकार ने ही विरोध किया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में यह उचित समझूंगा और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में इस पोइन्ट को रखा जावे और इस पोइन्ट पर विचार करके जो सदन की परम्परा रही है उसको यथावत कायम रखा जावे ताकि सदन का समय भी बचे और माननीय सदस्यों को और भी बहुत से महत्वपूर्ण मसले हैं, मुद्दे हैं उन पर बोलने का अवसर मिल सके। इसलिए मैं माननीय सदस्य की राय से सहमति व्यक्त करते हुए चाहूंगा कि इस प्रश्न को बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का प्रश्न नहीं है। परम्पराएं ही नियमों का रूप ले लेती हैं इसलिए आपकी यहां रूलिंग ही पर्याप्त है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके द्वारा जो आज का एजेंडा दिया हुआ है उसमें लिखा है कि :

"श्री चन्दनमल बंद प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 को निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार"

यह आज का एजेंडा है जो आपने हमको दिया है। इसका मतलब यह है कि आप स्वयं यह मान रहे हैं कि विधेयक को जो इस समय रखा जावे उस पर बहस हो सकती है। अब रामानन्दजी बोल सकते हैं और आसन की ओर से कोई आपत्ति नहीं हो तो वह परम्परा तो नहीं रही, परिपाटी नहीं रही। जो भी परिपाटी कायम की जावे, मैं भी निभाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन जब दूसरे अपने विचार रख सकते हैं तो मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए!

मैंने इस प्रश्न के विषय में निवेदन किया था कि परम्पराएं कायम करने का और परम्पराओं का उल्लंघन करने का या परम्पराओं में व्यवधान पैदा करने का पूरा अधिकार माननीय सदस्यों को है। यह अधिकार आसन का नहीं है। परम्पराएं पूरे सदन से बनती हैं और सदन ही परम्पराओं को बनाता है। सदन ही परम्पराओं में व्यवधान पैदा करता है

(श्री उपाध्यक्ष)

और इसीलिए मैंने पूर्ण तौर से पूरी जानकारी देते हुए यह निवेदन किया था कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर किसी भी बिल का विरोध नहीं किया जाता है। उसके बावजूद माननीय सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आज मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुरोध पर गौर करें और वास्तव में यदि हम उस परम्परा को रिवाईज करना चाहते हैं और यदि सदन के समस्त माननीय सदस्य इस बात को उचित समझें तो उसी परम्परा को रिवाइव कर लिया जाय और माननीय सदस्य यदि सहमति प्रकट करें तो मैं इस पर व्यवस्था देने को तैयार हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपने जैसा सुझाव दिया है कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के अन्दर ही इसके टैक्निकल और कानूनी पहलू पर विचार कर और जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी मीटिंग करके ही इस प्रश्न को तय किया जाय तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। यह ठीक है कि आम तौर पर इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर बिल का विरोध नहीं किया जाय लेकिन किसी बिल के सम्बन्ध में कोई पार्टी ऐसा महसूस करे कि उसे विरोध करना है तो वह कर सकती है। इस बारे में हमारा सलेक्टिव अप्रोच है फिर भी आप इस तरह से विभिन्न पार्टीज के नेताओं की मीटिंग करके इस बारे में निर्णय कर सकते हैं जिससे इस सदन का समय भी नष्ट न हो...

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में सभी दलों के प्रतिनिधि हैं इसीलिए मैंने यह उचित समझा था कि वहां पर विचार करके आप लोग जैसा उचित समझें प्रावधान कर दिया जाय। स्ट्रिक्टली फोलो हो या नहीं हो यह सब वहां पर विचार हो सकता है और इसीलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि इस मुद्दे को पुनः बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में रैफर कर दिया जावे और जो वहां पर व्यूज हो दलों के और जो भी तय किया जाय उस पर बाद में विचार किया जाय।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह मानता हूं कि सामान्यतया इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर एतराज नहीं होना चाहिए, आपत्तियां नहीं उठाई जानी चाहिए लेकिन अगर कोई सदन कन्वेंशन मान ले कि इस सम्बन्ध में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल हो, कोई नियम हो, कोई बन्धन हो, तो यह सम्भव नहीं हो सकता है। यह तो फ्लैक्सीबिलिटी होगी और बिना फ्लेक्सीबिलिटी में कोई निराकरण नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो यह सुझाव रखा गया है कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के अन्दर यह मामला रखा जाय तो इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना तो निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस कन्वेंशन को भंग करने या इस कन्वेंशन को बिगाड़ने के लिए शासनारूढ़ दल जिम्मेदार है। दूसरी बात फिर टिट फार टैट, माननीय रामानन्द जी ने यह हवाला देते हुए कि क्योंकि आपने यह किया था हम भी अब

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करेंगे। जब एक चल दिया तो दूसरा भी उसी पर चले, तीसरा भी चले और चूंकि एक भेड़ ने सड़क पार कर ली इसलिए सब भेड़ें सड़क पार कर रही है तो यह भेड़ चाल है और समाप्त होनी चाहिए। सदन का समय बिगाड़ा जाय तो भी सदन को इसका पूर्णतया अधिकार है। हार्ड एण्ड फास्ट रूल इस सम्बन्ध में नहीं हो सकता है। अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की स्टेज पर आप इस सम्बन्ध में चर्चा करें तो सम्भव है कि विभिन्न दलों के नेता अपने दल के लोगों पर नियंत्रण कर सकें लेकिन "महाजनों येनगता: स पंथा" के सिद्धांत को देखते हुए सबसे पहले तो यह प्रचुर मात्रा में मेरे सामने जो विराजमान हैं उनका आचरण यदि शुद्ध होगा और उस पर वे चलेंगे तो दूसरों पर भी उसका असर होगा लेकिन अगर इनका आचरण अशुद्ध है तो फिर दूसरों को दोष देना बेकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे जो भार्गव साहब ने प्रश्न उठाया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (वक्फ मंत्री) : अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, यह पहले जैसा सेन्ट्रल वक्फ एक्ट है उसी तरह का है और उस समय में 1959 का है। इसमें पहले 31 दिसम्बर, 70 तक वक्फ प्रोपर्टी किसी ने नाजायज दबा रखी हो उसके खिलाफ दावे करने की छूट दी थी अब जब दुबारा उन्होंने यह कहा कि जांच के बाद करीब 353 सूट दायर करने होंगे। सारे राजस्थान में इस किस्म की प्रोपर्टी है और उस पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अब इस पर उन्होंने कहा कि हम सेन्ट्रल एक्ट में बार बार तरमीम नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टेट चेयरमेन को कहिए कि अपने यहां के एक्ट में तरमिम करलें ताकि उसके तहत 353 सूट दायर किए जा सकें। और बहुत सी जगह पर ऐसी प्राब्लम है और यह एक कामन प्रापर्टी है किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। धीरे-धीरे जांच कर रहे हैं। यह छूट 31 अगस्त, 74 तक की चाही गयी है। 9–10 महीने के लिए है ताकि इस अवधि में सारी जांच करके वे दावा कर सकें। अभी उनके पास 353 प्रोपर्टी के दावे करने हैं। इसके लिए उनको कोर्ट फीस वकील की फीस चाहिए। उस समय उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे सारे दावों को एक साथ कर सकें इसलिए 8–9 महीनों की छूट दी जा रही है और इस अवधि में साधन जुटाकर दावा करें और जो नाजायज कब्जा लोगों ने कर रखा है वह छुड़ा सकें। इसके लिए लिमिटेशन बढ़ाने का सवाल है। यह कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। इसके साथ ही यहां पर कहा गया जयपुर की प्रोपर्टी के सवाल पर कि इस पर हाईकोर्ट का फैसला हो गया है। हाई कोर्ट का फैसला हो जाने के बाद दावा करने का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन्होंने वक्फ की प्रापर्टी पर कब्जा कर रखा है वे विरोध कर रहे हैं....

सार्वजनिक वक्फ परिसीमा वृद्धि (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)
संशोधन) विधेयक 1973 को पुरः स्थापित करने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परि सीमा वृद्धि) राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

राज्य की खाद्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं के प्रभाव पर चर्चा।

सदन की अयमामना

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय . . .

(दर्शक दीर्घा से नारे – इन्कलाब जिन्दाबाद – हिन्दुस्तान . . . तमंचे की तड़तड़ाहट . . . वाच एण्ड वार्ड द्वारा गिरफ्तार)

1 बजकर 42 मिनिट।

शासकीय संकल्प

राज्य की खाद्य स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों पर विचार

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गवर्नमेन्ट की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि 7 तारीख तक इसके सम्बन्ध में खाद्य विभाग की तरफ से एक नोट सरक्यूलेट कर दिया जाएगा और एक नोट अभी अभी मिला है। यह सीमेन्ट, कोयला, वगैरह के बारे में है, उसका कुछ अंश है। जहां तक मेरी जानकारी है माननीय सदस्यों को कोई नोट नहीं दिया गया है। यह जो नोट दिया गया है दरअसल में यह कोई नोट नहीं है। मेरा निवेदन है कि पहले नोट मिलना चाहिए ताकि चर्चा के लिए कोई आधार मिल सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नोट दिया गया है वास्तव में यह कोई नोट नहीं है। यह नोट समय पर वितरित कर दिया जाता तो माननीय सदस्य जो डिबेट में भाग लेते उन्हें अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त करने का मौका मिलता। यह नोट अधूरा है। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस तरह का एक नोट माननीय सदस्यों को वितरित करने के बारे में कहा गया था। एक नोट अभी वितरित किया गया है। अभी चार दिन की छुट्टियां आ गई थीं इसलिए यह नोट समय पर वितरित नहीं हो पाया है। यह जो नोट है यह सिविल सप्लाईज विभाग की तरफ से है। खाद्य विभाग की तरफ से नोट एक आध घंटे, पौन घंटे में साईक्लोस्टाइल होकर पहुंचने वाला है और अभी वितरित कर दिया जाएगा। यह नोट भी समय पर माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए था परन्तु नहीं मिल सका इसका मुझे अफसोस है लेकिन वह अभी तैयार

(श्री परसराम मदेरणा)

होकर आ रहा है इसलिए मैं पहले ही कुछ मुख्य बातों पर कह देता हूं ताकि नोट के अभाव में माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकेगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं···

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रस्ताव आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; प्रस्ताव आ रहा है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के अभाव पर इस सदन में विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अब फरमाइये ।

श्री **गुमानमल लोढा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अत्यन्त गंभीरता के साथ यह निर्णय हुआ था, यह आश्वासन दिया गया था गवर्नमेन्ट की ओर से कि खाद्यान्नों के बारे में एक विस्तार से नोट, एक कम्पलीट नोट तैयार करवाकर लेटेस्ट 7 तारीख को प्रातःकाल माननीय सदस्यों को भेज दिया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में सारी स्थिति क्या है। गेहूं और मोटे अनाज के बारे में, चने के बारे में कब कब आर्डर निकाले गये और रिलीज किए गए और किस किस प्रकार की खाद्यान्नों के बारे में गतिविधि हुई है। इस नोट के अभाव में इस विषय पर चर्चा करना, डिबेट करना अर्थपूर्ण नहीं है । अतः मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि इस नोट के ऊपर कमेन्ट करने के लिए प्रत्येक दल के एक एक व्यक्ति को प्रारंभ में बोलने के पश्चात् अंत समय में एक बार बोलने का और अधिकार दिया जाए ताकि संबंधित माननीय सदस्य आज रात में इस नोट का अध्ययन कर सकें और उसके सम्बन्ध में कोई बात कहने को हो तो दुबारा कह सकें। इसके लिए निश्चित निर्णय लिया जाना चाहिए । इसके अभाव में असुविधाएं हुई हैं और इस नोट के अभाव में कोई डिबेट प्रभावशील नहीं होगी । मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कोई न कोई व्यवस्था करेंगे ।

श्री **रामानंद अग्रवाल** : नोट के अभाव में माननीय सदस्यों को असुविधा हुई है । परन्तु साथ ही माननीय सदस्य इस पर डिबेट करने के लिए व्यग्र हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को यह कहा जाए कि वे इस रिजोलूशन को रखते हुए इस बाबत में जितना एक्सटैम्पो बोल सकते हों बोलें और इस नोट के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हो उसको सदन में रखदें ।

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : धीरे धीरे बोलें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य में अनाज और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है । सदन के माननीय सदस्य इस विषय

(श्री परसराम मदेरणा)

पर चर्चा के लिए बहुत ही उत्सुक है और वे भी इस विषय पर अपने सुझाव देना चाहते है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस समस्या के बारे में बहुत ही चिन्तित हैं।

यह बात सही है माननीय उपाध्यक्ष जी, कि पिछले दो सालों के अन्दर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की जब बात करते हैं तो खाद्यान्न उसमें बहुत ही आवश्यक कम्पोनेन्ट है और साथ ही साथ हिन्दुस्तान के अन्दर जो लोग इकोनोमिकली वीकर सेक्शन के हैं उनके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्नों पर व्यय हो जाता है। जो मूल्य वृद्धि देश में हुई है उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रह सकता है। जब हम मूल्य वृद्धि की चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वृद्धि केवल राजस्थान में ही नहीं हुई है बल्कि यह देश भर के अन्दर हुई है। यह मूल्य वृद्धि बहुत तेजी से हुई है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। आज इंडियन इकोनोमी पर ही इसका असर नहीं पड़ा है बल्कि संसार भर में इनफ्लेशन बढ़ा है और उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। हिन्दुस्तान भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में भारत के वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में लोक सभा और राज्य सभा में एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने इसके लिए कई कारण बताए हैं। इंडियन इकोनोमी में बेसिकली कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन के ऊपर और प्रोडक्शन की गति के ऊपर विपरीत असर पड़ा है कई कारणों से। जिन कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है उनमें उन्होंने कई कारण बताये हैं। लेकिन इसमें मुख्य जो कारण बताये हैं उसके बारे में मैं उनकी स्पीच का रेलवेन्ट पार्ट पढ़ रहा था अभी। तो भारत के वित्त मंत्री जी ने बताया है कि कई कारणों से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो गई जिसकी वजह से हमें डेफिसिट फाइनेन्सिग करना पड़ा, और डेफिसिट फाइनेन्सिग की वजह से जो मनी के सर्क्यूलेशन में बढ़ोतरी हुई है वह भी मूल्य वृद्धि का एक कारण है। डेफिसिट फाइनेन्सिग के भी कई कारण बताये। 1970–71 में बंगला देश से शरणार्थियों का आना, उन पर खर्चा किया जाना अचानक बजट में इसका प्रोवीजन न होते हुए भी, इस साल देश भर में जो सूखे की स्थिति थी और सूखे की स्थिति की वजह से जो 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 72 लाख लोग देश भर में लगे हुए थे उसके कारण। राष्ट्रीय स्तर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मूल्य वृद्धि जो राजस्थान में हुई है उसको अलग नहीं कर सकते देश भर की मूल्य वृद्धि से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि 65 लाख से ऊपर लोगों को काम देना पड़ा, उसकी वजह से डेफिसिट फाईनेन्सिग इन्क्रीज हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम की वजह से 125 करोड़ का जो प्रावधान रखा है उसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिग करना पड़ा। उसके बाद में लड़ाई के ऊपर जो खर्चा हुआ उसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिग करना पड़ा और उसके साथ ही साथ और दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)

कई कारण उन्होंने बताये । मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि सब कारण बताने के बाद भारत के वित्त मंत्री ने एक बात कही कि जहां देश की स्थिति में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अन्दर उत्पादन में कमी आये उसकी वजह से खाद्यान्नों के भावों में जो बढ़ोतरी आश्चर्यजनक रही, और खास तौर से मोटे अनाजों में चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में और उसके साथ ही साथ सूखे की वजह से भी रबी के प्रोडक्शन पर भी जो विपरीत प्रभाव पड़ा, यह सब कुछ कारण थे । आज यहां पर ही यह स्थिति नहीं है इस सदन के माननीय सदस्यों को भलीभांति जानकारी है कि पिछले वर्ष यू. एस. एस. आर. ने 28 मिलियन टन नाज जो है बाहर से मंगाया, दूसरे देशों से ईम्पोर्ट किया उनके यहां भी बहुत बड़ी सूखे की समस्या थी पिछले साल ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन 320 लाख टन आपको दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : दो मिलीयन-टन इसलिए दिया है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ा है ।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अमेरिका से लेकर दिया हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे इस साल रबी की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन सूखे की स्थिति की वजह से जब एवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में बहुत बड़ा गेप हो तो उसको फिलअप करना बड़ा मुश्किल होता है । खाद्यान्नों के मामले में यह बात सही है कि 10 मिलियन टन के आसपास हमारे पास स्टाक था, और 10 मिलियन टन के आसपास स्टाक खाद्यान्नों का जो भारत सरकार के पास में था वह काफी पहले खत्म हो गया था क्योंकि हमें दूसरे देशों को मदद करना पड़ी थी कई कारणों से राजनैतिक और दूसरे कारणों से इसलिए जो खाद्यान्न हमारे यहां पड़ा था और जो हमारी जनता के लिए उपलब्ध होता उसमें काफी कमी आई ।

दूसरे भारत सरकार ने पी एल. 480 आदि इस प्रकार के जो समझौते दूसरे देशों से अमेरिका आदि से कर रखे थे उनको रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार के समझोतों के पीछे पोलिटिकल इन्स्टिन्क्ट था, और हम यह सोच रहे थे कि खाद्यान्नों के मामले में हम स्वावलम्बी हो गये हैं, लेकिन अचानक देश के दो-तिहाई भाग में सूखा रहा, और दो-तिहाई भाग में सूखा रहने से प्रोडक्शन पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा, और प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़ने की वजह से केवल खाद्यान्नों के मूल्यों में ही वृद्धि नहीं हुई लेकिन जो इन्डस्ट्रीज खाद्यान्नों पर आधारित हैं, जिनका रा-मेटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उनके प्रोडक्शन में भी कमी हुई । उसी प्रकार से जो अच्छे सालों के अन्दर पावर का प्रोडक्शन होता है खास तौर से हाइडल पावर का उसके ऊपर विपरीत असर पड़ा, और हाइडल पावर के अन्दर विपरीत असर पड़ने के कारण जो चीजें पैदा करने वाले कारखाने थे उनके उत्पादन में कमजोरी आई और कमजोरी यहां तक आई कि कई कारखानों के अन्दर जो

(श्री परसराम मदेरणा)

उनकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी थी उसमें 60-60 पर्सेन्ट उत्पादन कमी में आई । इस तरह से ये कारण एक—दूसरे से जुड़े हुए थे ।

एक दफा जब प्राइसेज में स्टरेन्ट शुरू हो जाता है तो यह विशियस सर्किल है और इस विशियस सर्किल से रुपये की परचेजिंग पावर में कमी हो जाती है और दूसरी ओर कन्ज्यूमर्स आर्टीकल्स का इन्डेक्स बढ़ता हुआ चला जाता है तो लो इन्कम ग्रुप को डियरनैस एलाउन्स देना पड़ता है और उसकी वजह से मनी की सप्लाई के सर्क्यूलेशन की वजह से मूल्यों में और बढ़ोतरी हो जाती है, और जो रिक्वायरमेंट्स होवे हैं वह पूरे नहीं हो सकते । पूरा नहीं हो सकते इसकी वजह से जमाखोरी को जो प्रोत्साहन मिलता है और जमाखोरी के प्रोत्साहन के साथ-साथ काला बाजार भी प्रारम्भ हो जाता है ।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जहां खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो जाता है या एग्रीकलचर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिस एग्रीकलचर प्रोड्यूस पर दूसरे कारखानें बेस्ड हैं रामेटेरियल के लिए उनकी कमी होने की वजह से एसेन्शियल कामोडिटीज के उत्पादन में कमी हुई है, और एसेन्शियल कामोडिटीज के उत्पादन में कमी की वजह से दालों के उत्पादन में कमी हुई है, सीमेंट में भी कमी हुई, और दूसरे जो प्रोडक्शन के प्रोग्राम इनके साथ में लिए हुए थे उनमें भी जो इनपुट्स की आवश्यकता थी उन इनपुट्स के अन्दर जो कारखानें फर्टीलाइजर्स पैदा कर रहे थे उनमें बिजली की कमी के कारण उनके प्रोडक्शन पर भी विपरीत असर पड़ा है । सीमेंट की कमी आई तो सीमेंट की कमी आने की वजह से जो एग्रीकलचर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता थी उनमें कमी आई । कुओं को ठीक करने के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता होती है । राजस्थान में बाढ़ की वजह से सैंकड़ों कुएं ढह गए हैं जो कि इरीगेशन प्रोग्राम्स के तहत अकाल राहत के दिनों में लिये गये उनको कम्पलीट कराने के अन्दर भी हमारे सामने सीमेंट की वजह से आज बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई है ।

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन की बड़ी आवश्यकता है और प्राइस स्टेबिलाइजेशन तब हो सकता है जब कि खाद्यान्न, जो कि उसका एक बड़ा इम्पार्टेन्ट कम्पोनैन्ट है खास तौर से इकोनामिकली वीकर सेक्शन आफ दी कम्युनिटी है, उनको उचित मूल्य पर मिले । उचित मूल्य पर मिलने के सम्बन्ध में प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में सामन्जस्य होना चाहिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि सपोर्टिंग प्राइस जिसकी गवर्नमेंट ने घोषणा की है वह लाल गेहूं के लिए 80 रुपया मेक्सीकन वैरायटी और कामन वैराइटी 85 रु. है । सुपीरियर वैराइटी के लिए अभी उन्होंने कोई प्राइस निश्चित नहीं की है । लेकिन जो कास्ट आफ प्रोडक्शन वर्क आउट किया जाता है, इस कारण उसमें भी उन्होंने 6 रु. बढोतरी की है । इसके साथ साथ मेक्सीकन में 9 रु. की बढ़ोतरी की है । 76 रु. से 85 रु. की है । यह इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)

बढ़ोतरी की गई है कि एग्रीकल्चर से सम्बन्धित और चीजों की प्राइसेज इन्क्रीज हुई है। अगर एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस में, प्राइसेज में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से यह बढ़ोतरी होगी। कास्ट आफ प्रोडक्शन के देने के लिए यह वर्क आउट किया गया। उसको देखते हुए खरीद के प्रोक्योरमेंट को अलाट कर दिया गया है। पिछले साल 60 रु. क्विंटल। लेकिन अभी जो बाजरे की कीमत रखी गई है, वह 72 रु. रखी गई। 12 रु. की बढ़ोतरी की गई है। इसलिए की है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो ज्यादा खर्चा आ गया है उसके कारण यह खर्चा हुआ है। आज भी वृद्धि बराबर होती चली जाती है। सीमेन्ट की प्राइसेज इनक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर इम्पूट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डालडा, शूगर, ये भारत सरकार कन्ट्रोल करती है। इन आर्टिकल्स पर भारत सरकार ने बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से उसका असर स्पिरल टेण्डेन्सी है, वह असर पड़े बिना नहीं रह सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि राजस्थान के अन्दर खाद्यान्न की जो प्राइसेज हैं, वह आल इण्डिया में 18 से लेकर साढ़े 33% है। पिछले साल के मुकाबले मोटे अनाज में बढ़ोतरी हुई है। वह राजस्थान में ही ज्यादा है। इसका कारण यह है कि खरीफ के प्रोडक्शन में कमी थी। मैं आज माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि 70-71 में जो हालत थी 41.39 टन, पिछले साल 18.29 लाख टन प्रोडक्शन, पिछली साल के प्रोडक्शन से साढ़े 3 गुना कम हुआ है। अगर यह इतना कम है तो निश्चित तौर से लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। रिक्वायरमेन्ट और अवेलेबिलिटी में इतना गैप था, इसके कारण और कुछ स्टाक बढ़ाने के कारण, राजस्थान में मोटे अनाज में बढ़ोतरी हुई। जो आल इण्डिया में प्राइसेज में बढ़ोतरी है, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ स्टेप लिये हैं। खर्चे में कमी करने के लिए लिये हैं। इकानामी के लिए स्टेप लिये हैं। दूसरा स्टेप वर्तमान में प्रोडक्शन कम्पोनेंट में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार की नीति भारत सरकार ने की है। जो कन्जम्पशन का आर्टिकिल है, उसको ज्यादा करना चाहिए। बनिस्पत दूसरे प्रोडक्शन के मोटे कपड़े का ज्यादा करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रोडक्शन के कम्पोनेंट को बदलने के लिए, इण्डियन इकानामी के मूल्य को बदलने के लिए किया है। यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि ब्लेक मनी भी मूल्य की बढ़ोतरी में एक कारण होता है। जमाखोरी भी होती है। ब्लेक मनी है। ब्लेक मनी के बारे में राज्य सरकार कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती है। भारत सरकार कार्यवाही कर रही है। आज ब्लेक मनी साइमल्टेनियसली चल रही है। इसको खत्म किया जाना चाहिए ताकि चीजों के भावों में, और मूल्य की वृद्धि में रोक लगाई जा सके। उन्होंने इण्डियन इकानामी को साउण्ड बेसिस पर लाने के लिए, पब्लिक को जो मार्केट में चीजें आती हैं, उस पर भी बन्दिश लगाई है। खाद्यान के प्रोक्योरमेन्ट के मूल्य निर्धारित किये हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बफर स्टाक लिया जाकर लोगों को मुहैया किया जा सकता है। ये स्टेप लिये हैं, इण्डियन इकानामी को ठीक करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद

(श्री परसराम मदेरणा)
भारत के वित्त मन्त्रीजी ने कहा है कि इण्डियन इकानामी साउण्ड है। इण्टरनेशनल वर्ल्ड में रुपये का मूल्य घटा नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि इण्टरनेशनल स्ट्रेट्स के अन्दर हमारा वित्तीय असर बढ़ा है। प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। कुछ आर्टिकल्स है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम आयी हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो कुछ इण्डियन इकोनामी क्राइसिस दिखता है, यह उन्होंने इस लिये कहा है कि इस साल जो खरीफ की फसल होने जा रही है, कुछ इलाकों में बाढ़ से नुकसान हुआ है, इसके बावजूद पूरे देश में मोटे अनाज का उत्पादन अच्छा है। उन्होंने यह भी बात कही है। अभी प्रधान मंत्री ने चण्डीगढ़ में कहा है कि रबी के उत्पादन का असर देश में अच्छा बना है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि रबी का प्रोडक्शन है, वह इस साल रिकार्ड प्रोडक्शन होने की सम्भावना है इसका मुख्य कारण है, वह कारण यह है कि कई जगह पर रेतीले या पड़त इलाके में खेती कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी पड़ा है, ज्यादा खेतों में पानी का भराव है ज्यादा वर्षा की वजह से वहां कई लाख हैक्टर जमीन में खेती होने की सम्भावना है। रबी प्राडक्शन में कई नदी में बाढ़ आने की वजह से बाज नदी का बहाव रोकने के लिए रिडन्डेशन स्कीम को हाथ में लिया था, उसका फायदा और उपयोग हमें मिलने वाला है। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस देश के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा होता है, और खाद्यान्न के भावों में कमी आती है, और खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट करके हम अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिये, शहर और गांवों में इकानामिकली वीकर सेक्शन तक पहुंचा सकते हैं तो इसका असर निश्चित तौर पर दूसरी चीजों के भावों पर पड़ने वाला है। यह देश कृषि प्रधान है और खेती के ऊपर आज से नहीं, एक लम्बे अर्से से, कई सैकड़ों वर्षों से हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था पर आधारित है, इस देश के पिचहत्तर पर्सेन्ट लोग खेती पर आधारित हैं; तो निश्चित तौर पर खाद्यान्न का असर उनकी माली हालत पर पड़ेगा क्योंकि इकानामिक स्टेण्डर्ड, लिविंग स्टेण्डर्ड के अन्दर बढ़ोतरी और खाद्यान्नों के उचित मूल्य पर कन्ज्यूमर, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना; यह दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मोटे अनाज का प्राडक्शन अच्छा हुआ है, आज राजस्थान के अन्दर जहां पिछले महीनों के अन्दर बाजरे की मार्केट प्राइस कई जिलों के अन्दर 160 रुपये और 170 रुपये क्विन्टल तक पहुंच गई थी, वहां आज जो भाव चल रहे हैं वह 80 और 100 रुपये क्विन्टल के बीच में राजस्थान के विभिन्न जिलों में चल रहे हैं। इस प्रकार गिरावट आई है, बाजारों के भावों में, मक्का और ज्वार के भावों में गिरावट आई है, यह मैं नहीं कह सकता। मक्का के भावों में ज्यादा गिरावट नहीं होगी क्योंकि मक्का का प्राडक्शन ज्यादातर उदयपुर डिविजन और दूसरे इलाकों में होता है। ज्यादा बरसात की वजह से मक्का के प्राडक्शन पर विपरीत असर पड़ा है और उसके उत्पादन में कमी आयेगी इस साल ऐसा दिखता है। अभी तक पूरे आंकड़े तो हमको रेवेन्यू बोर्ड से प्राप्त नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

हुए हैं लेकिन प्रिलिमिनरी जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं और जो प्रेजेन्ट एस्टीमेट है उससे ऐसा आभास लगता है कि मक्का के प्रोडक्शन में कुछ कमी रह सकती है, इसलिए मक्का की मांग बराबर बनी रही है; प्रेसर बराबर बना रहा है। कई जिलों में माइलो का डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे थे, माईलो के डिस्ट्रीब्यूशन में कई जिलों के अन्दर मांग समाप्त हो गई है; लोग लेना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि नया अनाज मार्केट में आ गया है; वैसे नये माल के निकलने में अभी समय है अभी लोग दूसरी खेती में लगे हुए हैं,पल्सेज और दूसरी खेती के हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं, इसलिए अनाज के निकालने और अनाज के अराइवल में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है; तो भी बहुत बड़ा संकट, जो हमारे सामने था, को हम पार कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले महीने के अन्दर मोटे अनाज के भाव राजस्थान के राज्य में गिरेंगे।

राजस्थान में जहां तक पापुलेशन का प्रश्न है, राजस्थान की आबादी ढाई करोड़ है और जहां हम आठ किलो अडल्ट और चार किलो बच्चे को खाने के लिए अनाज देते हैं तो पूरे राजस्थान की पापूलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वह 1 लाख 71 हजार टन है जब कि एक लाख 71 हजार टन की पूरी रिक्वायरमेंट है, राजस्थान में सूखे की स्थिति है, जो कुछ भी गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया गेहूं के प्रोक्योरमेंट को पूरा का पूरा भारत सरकार के सेन्ट्रल पूल में दिया था, वह इसलिए दिया था कि भारत सरकार की ऐसी नीति थी कि प्रोक्योरमेंट सेन्ट्रल पूल में दिये बिना हम सब्सीडाइज नहीं करेंगे। अस्सी रुपये क्विन्टल से जो अनाज खरीदा है उसको वह सब्सीडाइज करते हुए चल रहे हैं। हमारा टार्जेट उन्होंने, खरीफ के उत्पादन में क्योंकि कमी थी, इसलिए तीन लाख का रखा था। अन्य राज्यों का भी, जहां ज्यादा पैदा होता है, उतना टार्गेट रखा था। तीन लाख के मुकाबले में 1 लाख 47 हजार टन प्रोक्योर कर पाये हैं। 1 लाख 47 हजार टन टोटल प्रोक्योरमेंट के टार्जेट का 49 पर्सेन्ट के आस पास है। 49 पर्सेन्ट हमने प्रोक्योर किया है, राजस्थान की विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान के जिलों को कोर्डन करके; जिलों के अन्दर भी तहसीलों को कोर्डन करके। इस सदन को सूचना देते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब के प्रोक्योरमेंट के टार्जेट को हाईएस्ट अचीवमेंट के बाद राजस्थान ने अचीव किया है। पंजाब ने जहां 75 पर्सेन्ट किया है, हरियाणा 49 पर्सेन्ट भी नहीं कर पाया है, बिहार में ज्यादा प्राडक्शन होता है वहां भी नहीं कर सके हैं, वहां पच्चीस पर्सेन्ट से नीचे है, मध्यप्रदेश में भी नहीं कर सके हैं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं कर सके हैं। यह वीट प्राड्यूसिंग स्टेट हैं। इसलिए यह कहना कि हम प्रोक्योर नहीं कर सके, गलत है। जहां एक ओर तो अनाज के भाव या गेहूं के भाव दूसरी स्टेट और राजस्थान में बिल्कुल बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने वीट का टेक ओवर कर लिया था, और वीट के टेक ओवर के बाद एक टार्जेट गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया था, सूखे के साल के अन्दर विपरीत परिस्थियों में जब

(श्री परसराम मदेरणा)

कि रबी के प्रॉडक्शन की दूसरी वैराइटीज हैं जो और चना; उनकी मार्केट प्राइस हाई चल रही थी, उस स्थिति के अन्दर हमने 49 पर्सेन्ट प्रोक्योर किया है, वह हिन्दुस्तान मे दूसरे नम्बर पर है, पंजाब के बाद। मैं इसलिए यह कह रहा था कि जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया सितम्बर 72 में कि गेहूं का टेक ओवर होगा, उससे पहले राजस्थान के अन्दर जितने भी होल सेलर गेहूं के मामले में हैं, पहले कुछ सोसाइटीज और कुछ इंडिविजुअल होल सेल एजेंट थे एफ. सी.आई. और गवर्नमेन्ट की तरफ से, हमने 5 जुलाई, 1972 को, भारत सरकार के निर्णय के पूर्व, वह निर्णय सितम्बर के महीने मे हुआ था, 5 जुलाई को होल सेलर को एलीमिनेट करके पूरा का पूरा काम एफ.सी.आई. को दिया ताकि वीट के मामले में कोई होल सेलर नहीं रहे। उसके साथ हमने 1 जनवरी, 1973 से शुगर के जितने प्राईवेट होल सेलर थे, उनको एबालिश करके हमने तमाम एफ. सी. आई. को दिया और 1 जुलाई के बाद क्रय विक्रय संघ को दिया, वहां भी होल सेलर को एलीमिनेट किया है। इसलिए यह कहना कि वीट के टेक ओवर के अन्दर डीनेशनलाइज वापस होने जा रहा है, गलत है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं, भारत सरकार ने यह फैसला किया था, चावल के व्यापार को हम हाथ में लेने जा रहे है। इसमें उन्होंने दूसरा निर्णय लिया और राज्य सरकार के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया, चावल का व्यापार हाथ में इस साल लेना पसन्द करे या नहीं क्योंकि कुछ परिस्थितियां थीं, सूखे के साल की वजह से बराबर बफर स्टाक का हमारे पास बिल्ट नहीं होना, भारत सरकार के पास में कई राज्यों में कमी होने और कई राज्यों के मूवमेन्ट में डिफीकल्टी आना। प्रोक्योरमेन्ट टेक ओवर का मेन आब्जेक्टिव है कि एडीक्वेट क्वालिटी और एडीक्वेट प्राइस में कन्ज्यूमर को हम अवेलेबल करा सकें, अगर अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो जैसा बताया गया, चावल का टेक ओवर इस साल के लिए स्थगित किया है क्योंकि देश में विषम परिस्थितियां थीं। जैसा कि सुब्रह्मन्यम् ने ए.आई.सी.सी. के जलसे में कहा था कि चावल के टेक ओवर के मामले में हम एक कदम पीछे हटे हैं वह इसलिए कि हम दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। वह परिस्थितियां देश के सामने थीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था...

भारत सरकार से भी हमको स्टॉक्स मिलने वाले हैं। पिछले साल दो मिलियन टन अनाज बाहर से मंगाया गया था और जो कुछ प्रोक्योरमेन्ट हुआ 93 लाख टन के आस पास गेहूं, काफी उसमें से वितरित हो चुका है, और भी एलाट हो रहा है। अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर में 25 हजार टन एलाट हो रहा है। 25 हजार टन गेहूं और 25 हजार टन माइलो एलाट होता है। माइलो की मांग में कुछ जिलों में बिल्कुल कमी आ गई है, कुछ जिलों में मांग है लेकिन जो कुछ एलाटमेन्ट 25 हजार टन के आसपास हो रहा है माइलो का पिछले तीन महीने, उसमें भी हमको जो मिलता है वह करीब 50 पर्सेन्ट के आस पास अवेलवल हो रहा है। 50

(श्री परसराम मदेरणा)

परसेन्ट केवल पेपर एलाटमेन्ट है तो 25 और 12 कुल 37 हजार टन अनाज मिलता है उसको शहरों व गांवों में वितरित करना है। इसलिए हम पूरी मात्रा में अनाज उपभोक्ताओं को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए एलाट नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। बहुत से माननीय सदस्य और दूसरे जनता के प्रतिनिधि भी मुझे मिलते हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि शहरों और गांवों में अनाज का वितरण बहुत कम हो रहा है और हर शहर में कम से कम 8 किलो प्रति व्यक्ति की मांग है लेकिन अनाज हमारे पास नहीं है इसलिए भारत सरकार को अभी यू. एस. एस. आर. से 20 लाख टन अनाज लेना पड़ा। गेहूं की कमी की वजह से वितरण प्रणाली के अन्दर उचित मात्रा में गेहूं नहीं दे सकते, पाइपलाइन खाली होता जा रहा है। इस संकट से दूर होने के लिए हमको यू.एस.एस.आर. ने टाइमली मदद दी है। मोटे अनाज में 7 जिले सरप्लस थे बाकी डेफीसिट थे। मोटा अनाज वहां पर है जहां पर गेहूं ज्यादा पैदा होता है इसलिए मोटे अनाज में वही जिले सरप्लस हैं जो गेहूं में सरप्लस हैं। उन जिलों में रहने वाले उपभोक्ताओं को गेहूं नीचे दामों पर उपलब्ध होता है और डेफीसिट जिलों के भाव बाजरे के 170) प्रति क्विंटल से गिरे हैं, मक्का 150 तक चला गया था। ऐसी हालत में जब हमने देखा कि कुछ अवेलेबिलिटी अनाज की होनी चाहिए और डेफीसिट और सरप्लस जिलों के बीच मूवमेन्ट बन्द रखा तो समस्या पर काबू नहीं पा सकेंगे क्योंकि भारत सरकार के पास स्टाक्स नहीं हैं। हमको जो मन्थली एलाटमेन्ट होता है वह केवल 50 हजार टन गेहूं का है। वितरण मांग के अनुसार हम नहीं कर सकते और दूसरा अनाज मार्केट में यदि उपलब्ध नहीं होता है तो लोगों की जिंदगी दूभर हो जायेगी इसलिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है जिलों में मूवमेंट फ्री करने का और इंटर-डिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन हटाने का, यह राजस्थान के कन्ज्यूमर के हित में किया है किसी जमींदार या मुनाफाखोर के हित में नहीं किया है। हमने भी किया, यू. पी. ने भी किया। जुलाई में जब हम भारत सरकार से मिले थे तो यू. पी. को कहा था कि इन्टर स्टेट अवेलेबिलिटि नहीं हो रही है और अलग अलग क्षेत्रों में डेफीसिट और सरप्लस में इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट आप हटा दें, यह 17 जुलाई को आदेश मिला था और हम विचार करते रहे हैं और उसके साथ-साथ 22 अगस्त को निर्णय लिया मोटे अनाज के संबंध में। हमने जो मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है 7 जिलों में उसको हटाया है और 8 सितम्बर को गेहूं के संबंध में जो रेस्ट्रिक्शन था इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर उसको हटा दिया गया। अब माननीय सदस्य कह रहे थे कि गेहूं के स्टाक्स पर जो पाबंदी मूवमेंट पर हटाई है इसमें काश्तकार के नाम पर दूसरा व्यापारी काम कर रहा है। जब गेहूं का हमने टेकओवर किया और डीलर को गेहूं के व्यापार करने की जो छूट दी है वह केवल व्यापारी को दी है। वह एक दिन में पांच क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकता और 25 क्विंटल से ज्यादा स्टाक नहीं हो सकता और उसकी सेल प्राइस हमने फिक्स कर ली। जहां तक

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे याद है 85) हमने दूसरे प्रकार के गेहूं की सेल प्राइस रखी है और 91 सुपीरियर क्वालिटी के लिए रखी है। जबसे हमने टेकओवर किया है उसकी लिमिट बांध ली है और सेल प्राइस फिक्स की है। छोटे व्यापारियों ने सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन वे भी इस व्यापार को नहीं कर सकते क्योंकि उनको नीचे के भावों में उपलब्ध नहीं हो रहा है और उधर हमने प्रोहिबिटरी प्राइस भी फिक्स की। प्रोक्योरमेंट प्राइस के बराबर हमने सरप्लस एरिया में फिक्स की वह 74, 76 व 82 रुपये था। हमने आदेश में प्रोवीजन बाद में करवाकर नोटिफिकेशन के जरिए प्रोक्योरमेंट एजेन्सी प्राइस की बेसिज फिक्स की। चाहे कन्ज्यूमर्स को वेचते हैं चाहे पब्लिक ऐजेन्सी को बेचते हैं। इस प्रकार हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने कन्ज्यूमर्स प्राइस फिक्स नहीं की। केवल राजस्थान ने ही की। तो यह कहना कि बड़े बड़े जमींदारों को फायदा पहुंचता है सही नहीं है। प्रोक्योरमेंट को मजबूत बनाने के लिए और इस प्रकार के स्टेप्स की वजह से हमारा टार्गेट 49 प्रतिशत हो सका है नहीं तो इतना नहीं हो पाता। इसलिए प्रोक्योरमेंट प्राइस जब हमने फिक्स की और जब पब्लिक एजेन्सी को प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अनाज नहीं मिल रहा था और प्रोड्यूसर 20 क्विंटल तक अनाज रख सकता है, 11 क्विंटल बीज के लिए रख सकता है इस प्रकार की जो छूट दी है, हिंदुस्तान के बहुत से राज्य है जहां परप्रोड्यूसर्स के स्टाफ पर लिमिट नहीं रखी हैं, हरियाणा पंजाब इत्यादि जो सरप्लस स्टेट्स है, उन्होंने प्रोड्यूसर्स की क्वान्टिटी पर किसी प्रकार की लिमिट फिक्स नहीं की है लेकिन इस राज्य में यहां की स्थिति को देखते हुए लिमिट फिक्स की है। मौजूदा परिस्थितियों में गेहूं के भाव बहुत बढ़ते जा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए स्टाक नहीं, तीन महीने से केवल 25 हजार टन भारत सरकार दे रही है. आने वाली रबी की फसल अच्छी है और आसार अच्छे हैं, तो हमने यह सोचा कि प्रोड्यूसर्स को हमें गेहूं बेचने की इजाजत देनी चाहिये। यदि प्रोड्यूसर्स को इजाजत नहीं देते हैं बेचने भारत सरकार ने डाइरेक्शन दिये कि ट्रेड फ्री कर दीजिए, इन्टर डिस्ट्रिक्ट में भी फ्री कर दीजिए जब कि ट्रेड को फ्री करते हैं तो यह नेशनेलाइजेशन की मूल भावना के विपरीत था, इसलिए हमने प्रोड्यूसर्स को बेचने की इजाजत दी। कुछ जिलों में अभी भी गेहूं पहुंचा नहीं, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन डिस्ट्रिक्ट में जो कि डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बड़े-बड़े हाई कन्जम्पशन सेन्टर्स थे राज्य के आसपास के किसानों के पास गेहूं था, सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें भी जहां कमी आ गयी थी वहां तो जरूर फर्क पड़ा लेकिन डिफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स में, उस एरिया में, आज भी काश्तकार गेहूं नहीं ले जा रहे हैं।

मेरा निवेदन करने का मतलब यही था कि वीट के सिलसिले में डिनेशनेलाइजेशन का सवाल ही नहीं है। हमारा जो कुछ भी अनुभव रहा है और जो कुछ भी कमी रही है उस आधार पर सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि अगली रबी के प्रोडक्शन के अन्दर राजस्थान का उत्पादन बढ़ने की बहुत अच्छी सम्भावना है, हमारे पास्ट एक्सपी-

(श्री परसराम मदेरणा)
रियेन्स के आधार पर टेक ग्रोवर के मामले में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन को अच्छा बना सकेंगे।

ग्राम और बाजरे के सिलसिले में भी माननीय सदस्यों ने कहा ग्राम की खुली छूट क्यों दे रखी है यह कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी राज्य में चने और गेहूं के ऊपर न तो भारत सरकार ने और न ही किसी राज्य ने कोई प्रतिबन्ध लगाया है। दूसरे राज्यों में चना फ्री है। यहां पर रबी की दो अलग वैराइटीज है गेहूं के साथ में इसलिए हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि इसके लिए प्रोक्योरमेन्ट करना चाहिए जब कि गेहूं को टेक ओवर करने का निर्णय लेने जा रहे थे। राजस्थान फूड ग्रेन्स लाईसेंसिग आर्डर के सेक्शन 12 के अन्तर्गत कलेक्टर को अधिकार दिये हुए हैं कि इस पर वे अंकुश लगा सकते हैं। हमने कलेक्टर्स को आदेश दिये कि वे अपने जिलों में इसके अन्तर्गत अनाज को रेगुलेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर बेन नहीं है एक पार्टी हाई कोर्ट में गई और वहां से 27 अगस्त को फैसला हुआ। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि बाहर एक्सपोर्ट को मना नहीं कर सकते क्योंकि किसी राज्य में एक्सपोर्ट को बन्द करने के लिए भारत सरकार द्वारा या उनके द्वारा बनाये हुए कानून में काम्फरेन्स होनी चाहिए लेकिन हमारे यहां फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ओर्डर 1964 है उसमें भी यह रखा है। राजस्थान की स्थिति ऐसी थी कि यहां से ग्राम बाहर नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार ने बार बार डाइरेक्शन दिये, उन परिस्थितियों को मैं सामने रखना उचित नहीं समझूंगा लेकिन उन्होंने कहा कि इसको विड्रा कीजिए। हमने उन्हें कहा कि बजाज 12 इसलिए इसमें रखा है गेहूं का प्रोक्योरमेन्ट करना था और यह संभव नहीं था कि जो और चने को खुली प्राइसेस रहती और यदि वह बाहर चला जाता है उस स्थिति में गेहूं की ओर मांग बढ़ जाएगी और सरप्लस स्टाक किसान के पास भी नहीं रहेगा। इसलिए हमने यह बजाज 12 रखा। रखने के बाद भी जब बराबर उनकी ओर से आदेश आते रहे कि अन्य राज्यों में भाव बढ़ गये हैं इसलिए खुले कर देने चाहिए। खुला किया लेवी लगा कर खुला किया। क्रय विक्रय संघ को कहा कि 25 परसेन्ट लेवी देनी पड़ेगी। उसके बाद में बहुत ही कम लेवी आयी। उधर रबी की अच्छी फसल हो जाती है, अच्छी फसल के आसार हो गये हैं, चने के बीज के लिए भी आवश्यकता थी और उचित दाम पर आवश्यकता थी इसलिए बाहर ले जाने की छूट दी। उस लेवी को 25 से 20 परसेन्ट तक घटा कर यह दी। मिडिल मैन ने भी स्टाक पर्चेजज करके रख रखा था। वे लोग इसका फायदा नहीं उठा सकें क्योंकि मिडिल मैन के पास में जो चने का स्टाक है यदि रैस्ट्रिक्शन को विड्रा करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मिडिल मैन को फायदा होगा। काश्तकार के पास से ज्यादातर चना चला गया और व्यापारी ने बीच में खरीद रखा है इसलिए उसको उसका फायदा न हो, चूंकि मार्केट प्राइस जो चने की चल रही है, जिलों में 140 से लेकर 170 रुपये क्विन्टल का भाव है, उसके अगेंस्ट में लेवी में 85 प्रति क्विन्टल से खरीद रहे हैं ताकि मिडिल मैन को मुनाफा कम हो, उसमें भी लेवी के

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्दर चना नहीं आया। अब तक तीन हजार टन चना आया है जिसको मैंने कृषि विभाग को बीज के लिए दिया।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चने और बाजरे के बारे में रेस्ट्रिक्शन्स यहां की परिस्थितियों को देख कर लगाये जब कि भारत सरकार के आदेश थे कि ग्राम और बाजरे में प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिये। माननीय सदस्यों को यह मिस्अन्डरस्टेन्डिग हो गयी है कि हम इसको फ्री कर रहे हैं और इस स्टेज पर चने को फ्री किया है लेकिन हमारे सामने जो परिस्थितियां थीं और उन परिस्थितियों में हम फ्री नहीं करते तो जिस तरह से ग्वार्ले के मामले में हाइकोर्ट ने फैसला दिया कानूनी पोजीशन ग्राम के मामले में भी वही होती। इसलिये बाजरे और चने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन्स हमने लगाये वह राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए कि अनाज के भाव ऊपर नहीं बढ़े और अनाज के भाव कम रहें, हम गेहूं का ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेन्ट कर सकें इसलिये लगाये। इसके साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया कि जो कुछ अनाज कुछ लोगों के पास, धर पकड़ हुई थी, या जो स्टाक मिले थे उन स्टाक्स को आपने पर्टीक्यूलर प्राइस पर नहीं बिकवाया। जहां पर गुड़ खण्डसारी और शक्कर का प्रश्न है इस पर कोई प्राईसेज भारत सरकार ने फिक्स नहीं की है। भारत सरकार चीनी के मामले के अन्दर, उन्होंने कीमतें जरूर मुकर्रर की और वह 75 प्रतिशत जो चीनी है, उसकी प्राइसेज फिक्स हैं। बाकी 30 प्रतिशत फ्री मार्केट में रखी है। खण्डसारी, गुड़ फ्री मार्केट में रखे हैं। आगे आने वाले समय में गन्ने की कटाई हो चुकी है, इस समय भाव तय कर लेना उचित भी नहीं है क्योंकि ऐसे स्टेज पर आ गई है कि इधर खरीफ की फसल आ रही है और इधर गन्ने का उत्पादन होकर चीनी का उत्पादन होने वाला है। उधर डी. आई. आर. में प्राइस फिक्स कर लें और थोडी सी चीनी इधर उधर चली जाय तो आरोप–प्रत्यारोप करना शुरू हो जायगा कि आपने भाव क्यों बान्ध दिये जैसा कि दिल्ली के मामले में हुआ। प्राइस मुकर्रर की गई–मार्केट प्राइस से थोडी सी ऊपर फिक्स की गई। जब गिरने के भाव हैं तो मैं समझता हूं प्राइस फिक्स करना उचित भी नहीं रहेगा और कोई औचित्य भी नहीं है।

शक्कर के मामले में इतना निवेदन कर दूं जून के महीने में एफ. सी. आई. को मुकर्रर किया था लेकिन एफ. सी. आई आटोनोमस बाडी है। किसी भी एफ. सी. आई. के गोदाम से शक्कर नहीं ले जाते हैं तो वह लेव्स मान लेते है और वह भारत सरकार के आदेश के अनुसार लेव्स मान लेते हैं।

हमने एक अप्रेल से यह सोचा था प्राइवेट होलसेलर को नहीं देकर जो अपेक्स बाडी हैं–क्रय विक्रय संघ को होल सैल का काम दिया जाय। हमने इनको एक जुलाई से काम दिया। हम पूरी व्यवस्था के अन्दर जो है उसमें कुछ कमियां रही और जो कुछ जुलाई में कोटा नहीं उठा है वह एक हजार टन भारत सरकार ने लेप्स कर दिया है। इसी प्रकार अगस्त मास में भी कुछ तो हमें एफ. सी. आई. में फाईनेन्स की दूसरी डिफिकल्टी आ गई और कुछ जिलो

(श्री परसराम मदेरणा)
में होल सेलर क्रय–विक्रय संघ को रखा। इसमें भी दो हजार कुछ टन अभी तक नहीं पहुंच सकी है जिसको रि–वेलिडेट करने के लिये भारत सरकार को लिखा है लेकिन उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सेप्टेम्बर के अन्दर जहा 8 हजार 9 सौ 32 टन चीनी आवंटित की गई थी उसमें से अभी तक 3257 टन आई है। यह सबसे बड़ा कारण रहा है। अब मैं समझता हूं कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है जैसा कि हमारे विभाग के अधिकारियों ने बात की है–भारत सरकार से लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वह वेगन की है, क्योंकि को कमी रही है। हमने ट्रक से लाने की इजाजत दी लेकिन ट्रक भी नहीं हो सका इसलिये इसमें बढ़ोतरी हुई है और लैप्स का प्रश्न नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी कन्ट्रोल आइटम है कन्ट्रोल आर्टिकल है, उसकी प्राइस इसलिये ऊपर की जाती है कि उचित दामों पर उपभोक्ताओं को मिल सके लेकिन वितरण प्रणाली फुल प्रूफ नहीं है। अगर वितरण प्रणाली में कमी है तो कन्ज्यूमर की बढ़ती हुई कीमतों से सुरक्षा नहीं की जा सकती है। पिछले साल की वितरण प्रणाली को ठीक बनाने के लिये हमने कुछ उपाय सोचे हैं और उनको ठीक करने के लिये हमने जिलाधीशों को भी आदेश दिये हैं। पापूलेशन के हिसाब से काड्'स की दुबारा चैकिंग हो लेकिन उस समय जिलाधीशों की ऐसी राय थी कि सूखे की वजह से वे काम में लगे हुये हैं इसलिये काड्'स की चैकिंग का काम, नये काड्'स बनाने का काम बाद में करेंगे और अब हमने उनको आदेश दिये हैं। कुछ शहरों में नये काड्'स बन गये जोधपुर में बन गये, बीकानेर में बन गये बाकी शहरों और गांवों में नये तरीके से वितरण प्रणाली को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वितरण प्रणाली में जो कुछ कापरेटिव्ज सोसायटीज या प्राइवेट रिटेलर है तब तक उसमें सक्षम नहीं है जब तक उसको बहुत सी चीज मुहैय्या न हो जाये। चीजों की कमी है। इस प्रकार राज्य सरकार एक प्लान बना रही है कि इन रिटेल शाप्स के जरिये और भी कन्ट्रोल कमोडिटि अवेलेबिल की जाय ताकि दुकानदार चाहे कापरेटिव स्टोर की हो और चाहे दूसरी हो, उसको इतना मुनाफा रहे कि उसका खर्चा निकल जाय और उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह की बचत हो जाय।

श्री केदारनाथ : कुछ मेटर रिप्लाई के लिये भी रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : सुना नहीं क्या कहा आपने।

श्री केदार नाथ : जब आप रिप्लाई देंगे तो कुछ रिप्लाई आप आपने पास डिस्पोजल पर रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में इसको मजबूत बनाने के लिये भारत सरकार से आदेश प्राप्त हुये हैं और खास तौर से इसको स्ट्रीम लाइन बनाने के आदेश दिये जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है जब तक अभाव की यह स्थिति है चाहे शक्कर हो, चाहे सीमेन्ट हो, चाहे डालडा हो

Page No. 78

(श्री परसराम मदेरणा)
इन आवश्यक चीजों के उत्पादन में बढ़ोतरी अधिक नहीं होगी जब तक मुश्किलातें रहती हैं। प्रोडक्टिविटि में बढ़ोतरी होना आवश्यक है। इसके बिना इकोनोमिक ग्रोथ इन कन्ट्री की सोसियल जस्टिस के साथ बराबर नहीं बैठती है तो निश्चित तौर से इन प्राइसेज को नहीं रोका जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो इनडेफिनिट हो गई।

श्री परसराम मदेरणा : डेफिनिट तो है। स्थिति में तो सुधार होगा और हमारी प्रधान मंत्री ने यह बात कही था है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : Accept your failure.

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने यह बात कही है–

"Wait for six months. . .."

एक माननीय सदस्य : And die

श्री परसराम मदेरणा : मरने की स्थिति रही नहीं है, क्योंकि खरीफ की बहुत अच्छी फसल हुई है और निश्चित रूप से मावली के क्षेत्र में जो सब तालाब खाली पड़े थे, वे सब लबालब भर गये हैं। पिछले वर्षों में ऐसी वर्षा नहीं हुई है इसलिये खाद्यान्न के ज्यादा उत्पादन के आसार हैं।

श्री शंकर लाल (पाली) : समय पर बीज और खाद मिल जाय तो हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फसल 1963 में भी अच्छी हुई थी। अगर स्पेक्यूलेशन की होड़ लगाना है, प्राइसेज जब भी बढ़ी थी और अब भी बढ़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : 1968 के अन्दर तो इतनी अच्छी फसल नहीं थी। 1968 राजस्थान में सूखा था। 1970–71 के बाजरे के भाव रेगिस्तानी इलाके में 28 रु. क्वि. हो गए थे और कोई खरीदने वाला नहीं था और आज बाजरे की प्रोक्योरमेन्ट लेवी में निवेदन करूं कि बहुत बड़ी समस्या है कि भारत सरकार ने जो स्पेसिफिकेशन रख दिया है क्वालिटी का, अगर लगातार बारिश की वजह से बाजरा डिसकलर हो गया इसलिए राजस्थान सरकार सन् 70 में खरीदना था 48 रु. के हिसाब से और हमें इसका भी स्टाक करना पड़ेगा क्योंकि बाजरा काफी इलाके में होता है और बराबर बारिश होती रही बारिश होने की वजह से वह काला पड़ गया है और काला बाजरा फेयर एवरेज क्वालिटी मे नहीं आता। इसी प्रकार मक्का भी खराब हुई है, ज्वार खराब हुई है। इसलिए हम इस अनाज के बारे में अपने खुद का स्पेसिफिकेशन बनाने की बात कर रहे हैं। हमने यह सजेशन भारत सरकार को भी दिये हैं कि बरसात ज्यादा होने की वजह से बाजरा डिसकलर हुआ है और उसके साथ ही साथ उस पर टोपी भी आई हुई है और जो आपके स्पेसिफिकेशन में नहीं आता इसलिए आप अपने स्पेसिफिकेशन का रिवाइज कीजिए और वह जल्दी ही इसके ऊपर विचार करने जा रहे हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि और भारत सरकार के प्रतिनिधि बैठकर निर्णय लेंगे अगले आठ, दस दिनों में। उनको ऐसा सुझाव हमने दिया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं निवेदन कर रहा था कि अच्छी फसल हो रही है इसलिए स्पेकुलेशन को चलने दिया जाये ऐसी स्थिति किसी भी सूरत में राजस्थान मे नहीं चलने दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका जो परफार्मेन्स रहा है वह ही बता रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा परफार्मेन्स तो जो कुछ भी है उसके बारे में तो कुछ नही कहना चाहता लेकिन अनाज की कमी और अनाज की कमी के साल में और सूखे की साल में जहां कठिन परिस्थितियों से हम निकले हैं उसमें कोई भी राजस्थान का दूसरा व्यक्ति जो इस पोर्टफोलियो का इन्चार्ज होता वह इस से बेटर नहीं करता।

यहां पर स्पेकुलेशन और होर्डिंग के संबंध में भी बात कही गयी थी एसेन्शल कमोडिटीज के आर्टीकल्स हैं उसके लिए कुछ तो अलग अलग कानून बनाये हुए हैं जैसे फूडग्रेन लाइसेंसिग आर्डर, प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग आर्डर, व्हीट रेगुलेशन आर्डर आदि। इनके अन्तर्गत किये गये आफेन्सेस के अन्दर राज्य सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ एक्शन भी लिये हैं। कुल मिलाकर 1534 मामलों के अन्दर एक्शन लिया गया है, 339 व्यक्तियों का चालान किया गया है, 13 को सजा हुई है. 131 लाइसेन्सेस हमने कैंसिल किये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 13 को या 1300 को?

श्री परसराम मदेरणा ... 339 केसेज में चालान किया गया है, 396 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 204 पशुओं को पकड़ा गया। याने कुल मिला कर एक्शन लिया गया है और बहुत से मुकदमे अण्डर इनवेस्टीगेशन हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह पशु किस गोदाम का अनाज खा रहे थे? इनका क्या अपराध था?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन 13 केसेज की लिस्ट दे रहे हैं क्या जो आपके पास रिपोर्ट आवेगी उसमें? कोई बड़े मोनोपालिस्ट्स हैं या छोटे मोटे हैं? संख्या तो काफी बन सकती है लेकिन सवाल यह है कि कितनों को पकड़ा?

श्री परसराम मदेरणा : यह आंकड़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 13 जिनको सजा दी उनकी लिस्ट देंगे क्या?

श्री परसराम मदेरणा : मैं अलग से दे दूंगा। मेरे पास में इस समय नहीं है लेकिन शाम तक बता दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बड़े-बड़े मुर्गों के नाम बता दो।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं मोटे और छोटे की बात नहीं करता। जिसने जमाखोरी की है और जो मामले हमारे सामने आये हैं उनमें हमने एक्शन लिया है। कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं कानून के अन्दर। मैं निवेदन करूं कि प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग के अन्दर बेस्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

हारवेस्टिंग पीरियड की प्राईजेज फिक्स की थी। उस समय की प्राईजेज इतनी नीचे थी और जो कुछ भी काम करने के लिए आ रहे थे एक अप्रैल से राजस्थान में व्यापारियों ने शोर इसलिए किया था कि यह प्राईजेज इतनी नीचे हैं कि हम मार्केट प्राइज पर खरीदकर दूसरे जिलों में नहीं ले जा सकते। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्लाज 6 के नीचे कोई भी खाद्यान्न बेचना पड़ेगा इसलिए प्राईजेज के अन्दर हमने 50 हजार क्वि. अनाज पकड़ा। उसके बाद में मूवमेन्ट इतना बन्द हो गया कि डेफिसिट एरिया के कन्ज्यूमर्स के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी और जो प्राइजेज फिक्स की 2 मार्च से किसी भी राज्य ने प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग के लिए प्राईजेज् फिक्स नहीं की और किसी भी राज्य के मोटे अनाज के व्यापारियों ने शोर भी नहीं किया था और सूखे का साल था, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अनाज के भाव डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट में 180 और 170 रुपये क्वि. तक हो गए। उस समय हमको क्लाज् 5 को एबेन्स में रखना पड़ा। उसमें गेहूं, जौ और चने के भाव फिक्स किये थे वह हार्वेस्टिंग पीरियड में नहीं थे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि एसेन्शल कमोडिटीज् के नीचे जितने भी आर्डर्स हैं वह चाहे शुगर कन्ट्रोल आर्डर हो, चाहे प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग आर्डर हो और दूसरे जो कानून बने हुए हैं व्हीट रेगुलेशन आर्डर हैं इनमें हमने कोई कमी नहीं की है और इन एक्ट के अन्तर्गत भी हम कार्यवाही कर रहे हैं।

कुछ मामलों में ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमने जिलाधीशों को इस बात के लिए आदेश दिये हैं कि जो हैबीचुअल आफेन्डर्स है, पुलिस को भी इन्सट्रक्शंस दी हैं, एस.पी. को भी और कलेक्टर्स को भी अभी सितम्बर के पहले सप्ताह में कि वह इन्टेलीजेन्स से मालुम करके जो हेबीचुअल आफेन्डर्स हैं, एन्टी सोशियल एलीमेन्ट्स हैं जो तस्करी करते हैं चोरी करते हैं और जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ सिक्यौरिटी एक्ट के अन्तर्गत कलेक्टर्स सक्षम हैं एक्शन लेने के लिए और उन्होंने कुछ केसेज के अन्दर जिनमें वह निश्चित हो जायें कि यह आदमी हेबीचुअल आफेन्डर है या एन्टी सोशियल वर्क कर रहा है अनाज के मामले में या दूसरे एसेन्शल कमोडिटीज् के बारे में तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

इसी तरह से मैं निवेदन कर रहा था कि डिफेंस आफ इन्डिया रूल्स के अन्तर्गत भी हमने दो कानून बना कर भेजे भारत सरकार को। डिफेंस आफ इण्डिया एक्ट में एक था और प्रिवेंशन आफ हार्डिंग में एक था। एक तो खोया के बारे में राष्ट्रीय पोलिसी फिक्स करने के बारे में था जिसके बारे में भारत सरकार से कोन्करेंस अभी तक नहीं मिली है और उसके प्राप्त होने के बाद में उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं . . .

श्री **निरजननाथ आचार्य** : सवा घण्टे से क्या ज्यादा लेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप कहिए कि मैं सदन का पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यही मान लीजिए आप। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि···

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसी में पूरे 15 मिनिट ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ज्यादा घेराव या दूसरी चीजों से, एजीटेशन से खाद्यान्न की समस्या हल होने वाली नहीं है। जब इस बात की सीख प्रधान मन्त्री ने मैसूर में, बैंगलोर में दी तो अखबार ने लिखा कि थोथी सीख प्रधान मंत्री दे रही हैं। उससे बड़ी सीख तो मैं नहीं दे सकता हूं। आपने मेरे इस्तीफे की मांग की है और इसी तरह से भटिंडा में कम्युनिस्ट पार्टी के जलसे में फकरुद्दीन साहब और शिंदे साहब के इस्तीफे की मांग भी की है और यह इस्तीफों की मांग आपकी आल इण्डिया नीति पर आधारित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे तमाम लोग जो राष्ट्रीय नीति को सेबोटेज करें they should be turned out of the Government, wherever they may be.

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने से टर्न्ड डाउन होने वाला नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी नीति है इसमें····

श्री परसराम मदेरणा : आपकी नीति कुछ भी हो, सब जानते हैं, उसके लिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप जिस नीति का पालन करने जा रहे हैं उसके बारे में सदन के माननीय सदस्य परिचित हैं। लेकिन मैंने किसी भी नीति के सम्बन्ध में कहीं पर भी कमी नहीं आने दी है और अभी तक निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जो कुछ निर्णय लिए गए है यहां पर वह सब निर्णय मंत्री मण्डल ने लिए हैं, मैंने व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं लिया है। छोटे से छोटा निर्णय भी जो लिया गया है वह मंत्री मण्डल में विचार करने के बाद लिया गया है। जहां तक मेरे स्वयं का प्रश्न है आप कुछ भी कहें मैं तो राष्ट्रीयकरण···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : पूरे मंत्री मण्डल को डुबोना चाहते है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : ···मैंने स्वयं ने अपनी तौर से इस विषम परिस्थिति के अन्दर जैसी कि हालत थी, उन परिस्थितियों में जो कुछ भी सम्भव हो सकता था, सभी प्रकार के स्टेप लिए है और आगे भी जो हमारी टैक ओवर की नीति के चावल के सम्बन्ध में, मोटे अनाज के सम्बन्ध में, अभी तक निर्णय नहीं लिया है। मामला मंत्री मण्डल के विचाराधीन है। मंत्रि मण्डल सभी तरह से, सभी पहलुओं पर विचार करके जो कुछ भी निर्णय लेगा उस निर्णय के सम्बन्ध में, उस पालिसी में कोई भी कमी या किसी प्रकार की उसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी इसका मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं। राज्य सरकार की पालिसी निर्धारित करने के अन्दर भी जो कुछ भी ओब्जेक्टिव कण्डीशन्स, जो हालत, सूखे की हालत रहे हैं उस संदर्भ में माननीय सदस्यों को

(श्री परसराम मदेरणा)
इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए, इतना ही निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमललोढा (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महंगाई पर, खाद्यान्न के ऊपर सदन में विचार किया जा रहा है। मैं माननीय खाद्य मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश में खाद्य और महंगाई की

(म. प. 3.6 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

स्थिति बनी है और जिस प्रकार से राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार की नीतियां असफल रहीं और उनमें केवल उनका व्यक्तिगत तौर से टाल करके उनका पालन किया जाय और जिन लोगों ने नीति निर्धारित की यह जानते हुए भी कि हमारे देश में इस समय राष्ट्रीयकरण का नारा लगा करके कोई अलादीन का चिराग हमारे पास मे नहीं है कि हम भारत की जनता को धान मुहय्या करा देंगे, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम देश के अन्दर सफलता पूर्वक चला सकेंगे और पचास लाख व्यक्ति सदियों से जिस व्यापार को चलाते थे उसको एक रात में ओवरनाइट समाप्त करके हमारी जनता में नई व्यवस्था कायम कर सकेंगे, यह भूल तो उनकी थी वास्तव में और हमने उस समय भी सरकार को कहा था कि सरकार जो कमिटेड है; खाद्य निगम रहे, राज्य सरकार व्यापार क्षेत्र में आवे लेकिन इस भावना के साथ आवे कि जनता को सस्ता धान उपलब्ध कराने का वातावरण निर्माण करने के लिए आवे। लेकिन दुर्भाग्य से जुलाई 72 के अन्दर घोषणा की गई, केन्द्र के अन्दर शिन्दे साहब ने घोषणा की कि हमारे पास में 90 लाख टन अनाज अतिरिक्त है और हमारे पास में समस्या है कि हमें इसको विदेशों को भेजना पडेगा और यह भी कहा गया कि तीन करोड़ टन अनाज हमारे पास में इस वर्ष अधिक उपलब्ध हो गया है और इसलिए धान का राष्ट्रीयकरण देश की जनता को सस्ता धान, सस्ती कीमत पर प्रचुर मात्रा में मुहैय्या करा सकेंगे।

सभापति महोदय, धान का राष्ट्रीयकरण करते समय मैंने एक पुस्तिका देखी जो राज्य सरकार की ओर से निकाली गई थी, उसमे लिखा था कि उपभोक्ता को सस्ता धान उपलब्ध कराने के लिए, बिचौलियों को समाप्त करने के लिए और किसानों को उचित मूल्य पर अपना धान दे सकने की स्थिति पैदा करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है लेकिन सभापति महोदय, स्थिति यह हुई कि राष्ट्रीयकरण करते समय जब हम यहां पर गत सत्र मे मिले थे उस समय गेहूं 80)रु. और सा रुपये क्विन्टल में बाजार में मिल रहा था और राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् अप्रेल माह से ले करके आज हम फिर मिल रहे हैं, सभापति महोदय, जोधपुर के बाजार में और अन्य स्थानों पर 180) रुपये क्विन्टल पर गेहूं उपलब्ध होता है और उसके लिए भी उपभोक्ता को थैले ले करके नोट जेब में डालकर के बाजार के अन्दर

(श्री गुमानमल लोढा)

भटकना पड़ता है खुशामद करनी पड़ती है व्यापारियों को और जो मुनाफाखोरी समाप्त करने की बात थी वह नहीं हो पायी है। आज वास्तव में कालाबाजार के अन्दर खुले रूप से गेहूँ किसी भी भाव में बेचने की छूट देकर इन मुनाफाखोरों को और अधिक मुनाफाखोरी करने का अधिकार दे दिया गया है। उपभोक्ता आज यों के यों भटक रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, घूम रहे हैं। वास्तव में यह खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध हुआ है। ऐसी स्थिति के अन्दर हमारे प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न की निति असफल रही है और वास्तव में जैसा कि खाद्य मंत्री ने कहा है, यह दोष खाद्य मंत्री का ही नहीं बल्कि सारी केबिनेट का है। हमारे मुख्य मंत्री ने सबसे पहले यह बात कही कि राष्ट्रीयकरण गेहूं का नहीं धान और मोटे अनाज का भी किया जाए। उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय सरकार को आश्वासन भी दे दिया और यहां आकर भाषण दे दिया कि सारी की सारी व्यवस्था कर दी गई है। सूखे की स्थिति के कारण अगर धान पैदा होगा तो धान केन्द्र से मिल जाएगा, शिन्दे साहब देंगे, फखरुद्दीन साहब दे देंगे। परन्तु वह अनाज कहां गया ? लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। राशन शाप के ऊपर तीन किलो धान दिया जाता है। तीन किलो धान जोधपुर शहर के लोगों को दिया जा रहा है। एक मेहनत कश मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी एक महीने तक कैसे इस अनाज से गुजारा कर सकता है। वह कैसे महीने भर तक जीवन निर्वाह कर सकता है। यह सारा गेहूं के सरकारीकरण के कारण हुआ है। लेकिन जब सरकार ने इस बात का यह बीड़ा उठाया कि वह उपभोक्ता को धान मुहैय्या करेगी तो कोई कारण नहीं है, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, चाहे सरकार को वह सब्सीडाइज्ड करना पड़े, चाहे इम्पोर्ट करना पड़े, यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य था कि वह कम से कम जनता को गेहूं दस किलो दे मुझे खेद है कि डेढ़ घन्टे के भाषण के पश्चात् खाद्य मंत्री यहां पर यह आश्वासन नहीं दे सके कि जो जोधपुर जिले के लोगों को तीन-चार किलो अनाज दिया जा रहा है, उसमें किस प्रकार को कितनी बढ़ोतरी वे कर सकेंगे। गेहूं की समस्या हल नहीं हो पायी है। सिर्फ यह कह देना कि इस वर्ष फसलें ठीक हैं और हमारा भविष्य खाद्यान्नों के लिए उज्जवल है, सिर्फ 6 महीने की बात है तो यह दम घोट कर महीने निकालना है। सब चीजें ठीक हैं। यह आश्वासन देने मात्र से पेट नहीं भरता है। उपभोक्ता को सुबह और शाम को रोटी बनाने के लिए धान चाहिए, गेहूं चाहिए और सभापति महोदय, सब से बड़ा दर्द इस बात का है कि घोषणाओं के द्वारा पेट भरने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य मंत्री भाषण करते हैं तो यह आश्वासन जनता को देते हैं, खाद्य मंत्री भाषण करते हैं तो यही बात कहते हैं। फखरुद्दीन साहब के भाषण में यही आश्वासन होता है। लोगों को आज आश्वासन नहीं चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि आज लोगों को धान मुहैया नहीं हो रहा है। आज जोधपुर में और अन्य स्थानों के ऊपर गेहूं 180।– रुपया, 200।– रुपया क्विन्टल तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह कहा जाता है कि खुदरा व्यापारियों

(श्री गुमानमल लोढा)

को लाइसेन्स दे दिए गए हैं। परन्तु वे बेचारे लाइसेन्स लेकर बैठे हैं। उन लोगों को 90, 80 के भाव में गेहूं बेचने के लिए कहा जाता है। वे इस भाव में गेहूं कहां से लाएंगे। सभापति महोदय, यह सोचने का विषय है कि ये व्यापारी बाजार में कहां से गेहूं लेने जाएंगे। काश्तकार के पास लेने जाएंगे तो वह इस भाव में नहीं बेचेगा और वह किस भाव पर बेचे इसका कोई कन्ट्रोल नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। काश्तकार पर कोई रोक नहीं है। तब खुदरा व्यापारी किस कदर यह व्यापार कर सकता है और 80 के भाव में गेहूं को किस प्रकार बेच सकता है। इसका नतीजा यह हुआ है खुदरा व्यापारी सब जगह पर लाइसेन्स लेकर बैठे हैं और गेहूं दर्शन करने के लिए भी उनके पास नहीं है। लाइसेन्स से पेट नहीं भरता है, इससे आदमी की क्षुधा शान्त नहीं होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की राष्ट्रीयकरण की यह नीति असफल रही है। केवल नारे से ढ़ाई करोड़ जनता को धान उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिये अच्छा तो यह होगा कि मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री सदन में खड़े होकर यह स्वीकार कर लें कि हमारे से गलती हुई है। हम स्लोगन मांगरिया हो गये हैं? यह इस सरकार की ऐतिहासिक भूल है। उग्र पंथियों के दबाव में आकर इस सरकार ने यह नारा लगा दिया लेकिन वास्तव में, व्यवहार में हम उसके अनुरूप कार्य नहीं कर सके। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यह सरकार नहीं बना सकी और सस्ते भाव पर, उचित मूल्य पर यह सरकार जनता को उपभोक्ता को अनाज नहीं दिला सकी। यह हमारी असफलता है और सरकार को आगे होकर इसको असेप्ट करना चाहिए। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा सख्ती के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ खड़े होकर सरकार को अपने अपराध को स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने चावल के राष्ट्रीयकरण की बात को टाल कर के स्पष्टतया अपनी भूल को स्वीकार किया है और प्रच्छन्न रूप से स्वीकार किया है कि उससे भूल हुई है। सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि जो गेहूं के राशन का कोटा बढ़ाने की बात है उस पर खाद मंत्री ने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में डाक तार विभाग के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धान को प्राप्त करने के लिए वे सुबह से शाम हड़ताल कर रहे हैं और सारे व्यक्ति काम छोड़ कर धान प्राप्त करने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। आखिर यह स्थिति क्यों है? सभापति महोदय, स्थिति यह है कि हमारी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाल पा रही है। खाद्य मंत्री या मुख्य मंत्री के भाषण से उपभोक्ता का काम नहीं चलने वाला है। उन्हें धान चाहिए और आप उनकी बात को टाल रहे हैं। आज लोगों को सीमेन्ट चाहिए, कोयला चाहिए जो कि उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, यह इस सरकार की असफलता का कितना बड़ा इतिहास है जो कि काले अक्षरों में आने वाले इतिहास के अन्दर लिखा जाएगा हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री यह कहती हैं कि हम राष्ट्रीय करण नहीं करते तो और अधिक लोग भूखे मर जाते। परन्तु आप

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मंहगे भाव पर अनाज लोगों को मुहैय्या नहीं कर पाए हैं और व्यापारी ऊंचे दाम पर इसको बेच रहे हैं। इससे घृणित इतिहास और क्या हो सकता है? लोगों को राहत नहीं मिल रही है और राज्य सरकार राशन की दुकानों पर भी सरकारीकरण के बाद अनाज नहीं दे पा रही है, यह राशन की दुकानों के जरिए कराया जाना चाहिए था, if should have been taken to its logical conclusion स्टेट ट्रेडिंग का स्पष्ट अर्थ यह है कि स्टेट अपनी दुकानें खोलकर प्रति व्यक्ति 8 से 10 किलो अनाज कामन रेट पर, कन्ट्रोल रेट पर लोगों को उपलब्ध करे। सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। चने के बारे में आपको यहां पर बतलाना चाहता हूं। हमारे जोधपुर नगर के अन्दर चना उपलब्ध था। अभी मन्त्री महोदय ने यहां पर बताया कि केन्द्र से छूट हो गई और हमारे यहां से चने की निकासी खोल दी गई। राजस्थान का चना बाहर चला गया। राजस्थान की धरती के अन्दर जो चना पैदा हुआ आदमी तरसता रहा और वह चना बाहर जाने की हमारे खाद्य मन्त्री ने छूट दे दी सरकार को इस चने के लिए प्राइस फिक्सेशन करना चाहिए था। वहां के व्यापारी इस चने को 137 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से बेचने के लिए तैयार थे। वे चना देने के लिए तैयार थे। जोधपुर में करीब 30 हजार बोरी चने की थी और यह चना करीब एक महीने भर वहां पड़ा रहा। चने के लिए जोधपुर की जनता, उपभोक्ता परेशान थे। कन्जूमर भी उसको खरीदना चाहते थे। व्यापारी ने भी इन राइटिंग उसके बेचने के लिए कह दिया। कलेक्टर को लिखा परन्तु, सभापति महोदय, न मालूम कहां से उसके अन्दर सेबोटेज हुआ और राज्य सरकार की आज्ञा प्रसारित की गई है कि 20 परसेन्ट लेवी लेकर चने की निकासी करदी जाए। राजस्थान के बाहर चने की निकासी हो सकती है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब चना वहां पर उपलब्ध था तो आपने उसको 180/– 160/–रुपया प्रति क्विन्टल बेचने की इजाजत क्यों कर दी। वही चना व्यापारी जनता को 138/– के भाव बेचने को तैयार थे तब उनको इजाजत क्यों नहीं दी ? जनता को परेशान क्यों किया गया? यह एक बड़ा स्केन्डल है। इसके अन्दर करीब दस लाख का गोलमाल हुआ है। यह एक बहुत बड़ा करीब 8–10 लाख का स्केन्डल है। इसके अन्दर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। यह भ्रष्टाचार चाहे फूड कमिश्नर करे, चाहे एडीशनल कमिश्नर करे, चाहे डी. एस. ओ. मैं किसी के नाम से नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इसकी जांच करेगी। मैं यहां पर खुला चार्ज लगाता हूं, आरोप लगाता हूं कि इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों ने मंत्री मंडल के कुछ सदस्यों के समर्थन से उनके आरक्षण में इस चने की निकासी में रिश्वत ली है। यह जोधपुर की आम जनता आज जोधपुर शहर की सड़कों पर कह रही है। 30 हजार बोरियों के ऊपर 11–12 रुपये रिश्वत के दिये गये हैं। सभापति महोदय, जब सत्य बात है तो सत्य को कहे बिना नहीं रह सकता। डी. एस. ओ. आफिसेज आर.

Page No. 86

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

डेन्स आफ करप्शन, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। आप एक टायर लेने जायं और यह न बतायें कि मैं एम. एल. ए. हूं तो आप स्वयं आकर देख लें कि एक टायर की परमिट जारी की जाएगी 500 रुपये की रिश्वत लेकर और 1300 रुपये का ब्लैक, 1500 रुपये का ब्लैक और 1000 रुपये का ब्लैक एक टायर के ऊपर है। और राजस्थान में जितने भी डी. एस. ओ. हैं उनके पिछले दो साल के एसेट्स का पता लगायें तो दो साल में उनके बंगले खड़े हो गए हैं 50 हजार का, एक लाख का, बढ़िया फर्नीचर लगा हुआ है, लग्जरी गुड्स आ गये। यह कहां से आ गए? यह राजस्थान के खाद्य मंत्री की असफलता है, यह राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री का कहीं पर स्कैन्डल है उसके कारण ऐसा है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी डी. एस. ओज. हैं उनको अपने पदों से हटा देना चाहिए और उनको दूसरे पदों पर लगाना चाहिए। डी. एस. ओ. की पोस्ट पर किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने आज एजेन्सियां क्रियेट कर ली हैं। उनके लोग धान का व्यापार करते हैं, कोई चीनी का व्यापार करता है, कोई टायर के परमिट देता है, कहीं घासलेट पर और कहीं इन्डियन आइल पर सब जगह हैं यह सब बन्द करके बैठ गये हैं और वहां पर लाखों रुपये की लूट हो रही है और उपभोक्ता परेशान किया जा रहा है। पैट्रोल के लिए क्यू, क्रूड आयल के लिए क्यू लगी हुई है। घासलेट के लिए 1–1 हजार की लाइन जोधपुर के अन्दर लगती है। पांच-पांच सौ की लाइन लगती है। सुबह से लेकर शाम तक लोग परेशान होते हैं। कन्जूमर उपभोक्ता काम छोड़ कर आते हैं गृहणी आती है, बच्चे आते हैं, पढ़ाई छोड़ कर रसोई छोड़ कर आते हैं तेल के लिए और तेल उपलब्ध नहीं होता है, घासलेट उपलब्ध नहीं होता है। वनस्पति तेल तो मिलना ही मुश्किल हो गया है। वनस्पति की कीमतें तय की हुई हैं 3 रुपये किलो वह दो रुपये ओन हो गया, चार रुपये ओन हो गया। सीमेंट की बोरी के भाव 13 रुपये हैं और वह बोरी 20 रुपये में मिलेगी, 25 रुपये में मिलेगी। 28 रुपये मिलेगी आज राजस्थान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है डी. एस. ओ. आफिसेज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए नहीं हैं और जहां से भ्रष्टाचार चारों तरफ नहीं फैलाता है। आज हर व्यक्ति परेशान है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने केवल यह कह कर अपना पिण्ड छुड़ाने का प्रयास किया है कि सूखा हो गया है, बंगला देश का युद्ध हो गया, महंगाई आई, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 500 रुपये और हजार रुपये का ब्लैक लेने के लिए कौनसा डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया? जिस कीमत पर टायर मिलता है कम्पनी से उसी कीमत पर ट्रक वाले को दे दिया जाय। वहां बंगला देश का युद्ध कहां से आ गया? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहां से आता है? कौन सा सूखा आता है? यह समझ में नहीं आता है। लेकिन, सभापति महोदय, स्थिति यह है कि सारे डेन्स आफ करप्शन बने हुए हैं और दुःख की बात यह है कि किसी भी प्रकार से जांच नहीं की जाती। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक चीज में नहीं सब चीजों के अन्दर मुनाफाखोरी जबरदस्त हो रही है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मुनाफाखोरी केवल व्यापारी ही नहीं करते, व्यापारी तो हैं ही, लेकिन सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री उनके साथ में षडयन्त्र करके जनता को चूस रहे हैं। आज यही कारण है कि जोधपुर में 30 हजार चने की बोरियों पर 11 रुपये क्विन्टल की रिश्वत लेकर 20 पर्सेन्ट की लेवी लेकर 80 पर्सेन्ट को लूट करने की उनको छूट दे दी है, और आज बाकी के चने भी वहां से जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको रोकना चाहता है। वह कहता है कि यहां पर ज्यादा चना लगेगा, लेकिन राजस्थान सरकार जो जयपुर में बैठी हुई है, यहां के मंत्रीगण और यहां के अधिकारी हुकम निकाल देते है, फरमान निकाल देते हैं कि इनको लूटने दिया जाय, लूट की छूट दी जाय और वे लूट का नग्न नाच कर रहे हैं, और हर व्यक्ति परेशान है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति जितनी भयंकर है उतनी स्थिति कभी भी इतिहास के अन्दर नहीं हुई है। चीनी के प्रश्न को ले लीजिये, या खाद्यान्न के प्रश्न को ले लीजिये। दशहरे का त्योहार समाप्त हो गया अब दीपावली आ रही है। अजमेर ख्वाजा साहब के मेले में हजारों बोरी चीनी गई, हजारों बोरी खाद्यान्न गया, वह भेजा जाना चाहिए, वह अच्छा काम किया, लेकिन क्या राजस्थान में दीपावली के त्योहार में, दशहरे के त्योहार पर यह मौका नहीं आ सकता कि तीन किलो की जगह, चार किलो की जगह 8 किलो गेहूं दिया जाय, चीनी दो किलो दी जाय, लेकिन खाद्य मंत्रीजी इस पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसको सुनने के लिए फुरसत नहीं हैं। स्थिति यह है कि हर व्यक्ति परेशान है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह खाद्यान्न की स्थिति जो आज आई है इसके अन्दर सब मिलाकर 21 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ है एक साल के अन्दर, और 21 पर्सेन्ट राइज इतना अधिक हुआ है उसका कारण बंगला देश का युद्ध कहना अपने आपको धोका देना है और जनता की आंखों में धूल झोंकना और एक प्रकार से उसको भुलावे में डालने का प्रयास है। बंगला देश को जो मदद दी गई है उसका 60, 70 पर्सेन्ट हिस्सा दूसरे देशों से आया है और 30 पर्सेन्ट हिस्सा हमारा है—यह स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के हैं और उसके लिए टैक्स लगाकर उसको वसूल किया गया है, बंगला देश कोई कारण नहीं है महंगाई का। महंगाई के कारणों के अन्दर यह भी कहा जाता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ा। डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण भाव बढ़े हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने किया है तो उसका फिजूलखर्ची बहुत बड़ा कारण है। आज कई महकमे ऐसे बने हुए हैं जहां पर कोई काम नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग के अन्दर जोधपुर में हमने देखा है कि डाक्टर केवल 15 मिनिट के लिए आते हैं। ख्वामख्वाह सफेद हाथी बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े आफिसर्स लगे हुए हैं। राजनैतिक नेताओं को पुनः संस्थापन किया गया है जो चुनाव में हार गये थे या पहले मन्त्री थे उनको बैठा रखा है। कहीं पर किसी अधिकारी को बैठा रखा है और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उनको इतने भत्ते और इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं यह फिजूलखर्ची राजस्थान की ढाई करोड़ की जनता पर तबाही ला रही है और यही कारण है कि महंगाई बढ़ती जा रही है।

महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर यह कहा गया है भाव तय करने के लिए केन्द्र को लिखा है लेकिन केन्द्र का जवाब नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र और प्रदेश का अलग अलग शासन है केन्द्र में भी वही शासन है और प्रदेश में भी। केन्द्र से क्या मंत्री महोदय आज्ञा नहीं ला सकते? उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। कम से कम लूट की छूट तो नहीं दे सकते। अगर वे नहीं करा सकते तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहें हाउस अन्दर 37 रुपये के टायर को 200 रुपये में बेचने की छूट दे दो रिश्वत लेकर। यदि वह नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वे भी षडयन्त्र में शामिल हो रहे हैं। इसी कारण से आज जनता त्रसित है।

सभापति महोदय, यहां पर यह भी कहा गया बारबार कि महंगाई के अन्दर और खाद्यान्नों के भावों के बढ़ने के अन्दर सबसे बड़ा कारण जो होना चाहिए वह कारण है जमाखोरी, वह कारण है होर्डिंग तो होर्डिंग का कानून कौन बनाता है? राजस्थान में होर्डिंग एक्ट किसने बनाया है? लाईसेन्सिग आर्डर किसने बनाया है? यह राज्य सरकार जानती है। यह कार्य राज्य सरकार का है। राज्य सरकार यह जानती है कि होर्डिंग हो रहा है तो 100 क्विन्टल की जगह 50 क्विन्टल कर दे, लेकिन होर्डिंग कानून में तब्दीली नहीं करना चाहते, होर्डिंग कानून में चेन्ज करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि होर्डर्स से और ब्लेक मार्केटियर्स पैसा आता है, बड़ी बड़ी रकमें चन्दे में प्राप्त होती है चाहे चुनाव के समय में आये या अन्य समय में आये। राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में चीनी का इतना बड़ा स्केण्डल हुआ। इन सारे स्केन्डल्स के कारण होल्डर्स के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। पिछले अधिवेशन में यहां पर मदेरणाजी ने खड़े होकर कहा था कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। जयपुर की सड़कों पर रैली निकली शासन करने वाले भी वही और गालियां देने वाले भी वही। नारे लगाये यह तानाशाही नहीं चलेगी तो तानाशाही किसकी? क्या जनसंघ का राज्य है या स्वतन्त्र पार्टी का राज्य है? कांग्रेस राज्य चला रही है और कांग्रेस ही सड़कों पर रैली करे। मुख्य मंत्री ने कहा था उस समय कि तीन दिन के अन्दर वायरलैस के द्वारा खबरें भेज रहा हूं और गिरफ्तारियां शुरू हो जावेंगी, नाज सड़कों पर आ जायेगा और सस्ते भाव में मिलने लगेगा। हुआ क्या? तीन दिन निकल गये, 13 दिन निकल गये और आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। घोषणाएं केवल की जाती है जनता को भुलावे में डालने के लिए। लेकिन सभापति महोदय, अब जनता उठकर खड़ी हो गई है। चाहे मंत्री महोदय कह दें कि सड़कों पर समस्याओं का हल नहीं हो सकता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पास दूसरा उपाय क्या है? हम हिंसा में विश्वास नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करते हैं । हम जनतन्त्र के हामी हैं, हम लोकतन्त्र के प्रेमी हैं, हम संगठित राज्य चाहते हैं । यदि इस प्रकार से जनता का शोषण करेंगे, जनता के खून के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो जनता सड़कों पर आयेगी और आपको घेरकर खड़ी हो जायगी । आपके डी. एस. ओ. को वह कर देगी ।

आपके कलेक्टर के कमरे में जाकर बैठ जायेगा और कहेगा कि धान, चावल और सीमेन्ट मुहैया करो । आप को जवाब देना पड़ेगा । आप विधान सभा में भी खड़े होकर यह कह दें कि यह नहीं होगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि कल तक अगर 8 किलो गेहूं नहीं दिया जायेगा तो मैं कहूंगा कि आप की गेहूं कि नीति असफल हो गई जैसा कि राजस्थान में किया गया है । आपने छूट दो है । नहीं तो आप जनता के अन्दर आइये । जनता को धान उपलब्ध कराइये । केन्द्र में भी यही हो रहा है । शिन्दे साहब भी यह कह रहे हैं । उत्तरप्रदेश में 80./· वसूली कर ली है । आपने 50./· कर लिया है । आपकी नीतियां असफल हुई हैं । आपने नीति बना दी है, प्रोक्योरमेण्ट में इस प्राइस में बेचो । आप हमको एक उदाहरण बता दें । प्रोक्योरमेण्ट प्राइस में किसी ने बेचा हो । 10 क्विण्टल, 20 क्विण्टल किसी ने भी बेचा हो । 123 रु. क्विण्टल में मोहनलाल सुखाड़िया के कृषि फार्म का धान बेचा गया है । राजस्थान के जो फार्म हैं, उन्होंने सारा माल निकाल दिया पहले ही । आपने कहा कि मई तक बेचना पड़ेगा । एक महीने का एक्सटेंशन देते हैं । दो माह का एक्सटेंशन देते हैं । उपभोक्ता पीडित और उत्पीड़ित है । किसान, उपभोक्ता, व्यापारी, व्यवसायी, चपरासी, क्लर्क सबके सब परेशान हैं । सीमेण्ट मुहैया करो, धान मुहैय्या करो । तेल मुहैय्या नहीं होता है । वनस्पति तेज गायब हो गया है असली घी 25 रु. किलो नहीं मिलता है । हर चीज में अडल्ट्रेशन है । हमारे जोधपुर में एक व्यापारी है । उसने एक बोर्ड लगा रखा है । यहां इन्सान के खाने की कोई चीज नहीं मिलती है । मैंने कहा इलायची, हींग, काली मिर्च तो हैं । उसने एक रसीद दी जिसके पीछे लिखा था । इलायची गधे के खाने के लिए । हींग घोडों के खाने के लिए । धनियां कुत्तों के खाने के लिए । मैंने कहा तो बताया कि प्रोक्योरमेण्ट इन्सपेक्टर हैं, वह रिश्वत लेते हैं । फीस लेते हैं । हर चीज में अडल्ट्रेशन । आपके राजस्थान में एक एम. एल.ए. ने गवाही दी है कि पानी में भी अडल्ट्रेशन होने लगा है । सभापति महोदय, आज पानी में भी, मीठे पानी में खारा पानी मिलाकर बेचा जाता है । यह स्थिति इस देश की हो गई है । एक समय था । मनुस्मृति में मैंने पढ़ा, मनु महाराज के समय में चाहे घी हो चाहे गेहूं हो, किसी प्रकार की कीमत नहीं लगायी जाती थी । चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है । उसके समय में भी राशनिंग व्यवस्था थी । प्राइसेज पर कण्ट्रोल था । उस समय गेहूं 4 आने मन, चावल 4 आने मन, नमक 2 पैसे मन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उपभोग्य सामग्री का यह भाव था, गेहूं 20 पैसे का 40 सेर चांवल 14 पैसे का 40 सेर; जौ 11 पैसे का 40 सेर, चना 14 पैसे का 40 सेर । खाण्ड 2 आने···

Page No. 90

श्री प्रद्युम्नसिंह : उस वक्त लोगों की आमदनी क्या थी ?

श्री गुमानमल लोढा : उस समय की आमदनी ? उस समय घी दूध की नदियां बहती थीं। मकानों के ताले खुले पडे रहते थे। आप उस काल से अपने जमाने में आजाइये। आज से 20 साल पहले आपकी आमदनी क्या थी ? यह जो स्टेटिस्टिक्स है, यह भारत सरकार ने किये हैं। राजस्थान सरकार ने किये हैं इसका कारण यह है सभापति महोदय, too much money is able to get only too few commodities

बहुत पैसा हो गया। मुद्रा स्थिति में इनफ्लेशन आ गया। मुद्रा प्रसारण हुआ। नोट छापकर डालते रहे। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार एक ही है। दो नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से फायदा उठाती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकार को सहयोग दे। नासिक मे नये नोट छाप कर डालते है। हिन्दुस्तान के अन्दर यह इनफ्लेशन किया गया है। यह ब्लण्डर है। दूसरी भूल है, भ्रष्टाचार है। हमने कह दिया कि गरीबी हटा देंगे। विषमता समाप्त कर देंगे। हमने कह दिया हरित क्रान्ति हो गई। हरित क्रान्ति में सरप्लस गेहूं 90 लाख टन कहां चला गया है ? आज तो राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में दिन-दिन दाम बढ़ता जाता है। हमारे राजस्थान में फूड, फ्लड और फैमिन भी हैं। On account of these 'Fs' he is today fooling the crore people of rajasthan

मैं यह तो नहीं कहता कि उसके कारण से वह फूल बन गये हैं। मैं यह जरूर कहता हूं कि वह राजस्थान के ढाई करोड़ जनता को तबाह कर रहे हैं। आनेवाला समय अच्छा आनेवाला है, यह पहले भी बहुत बार कहा गया है। फूड कारपोरेशन के सदस्य हवाई जहाज से जा रहे हैं। कहते हैं, हमारे यहां गेहूं इतना पैदा हुआ है कि हमारे सामने यह समस्या है कि हम विदेशों में भेजें या कहां भेजें। आज भी यह 49 % प्रोक्योरमेण्ट धोखा है। इसके अन्दर ढाई करोड़ जनता परेशान हो रही है। हमें सीमेन्ट के बारे में कहा गया है। सीमेन्ट चित्तौड़ में बनता है। बिरला की फैक्ट्रियां सीमेन्ट बनाती हैं। क्यों नहीं राजस्थान को सीमेन्ट मिलता है ? क्यों नहीं राजस्थान की जनता, जो परेशान है सीमेंट के लिए, सीमेन्ट मिलता है। सीमेंट का 70 पर्सेन्ट कोटा मिल ओनर से राजस्थान सरकार ले लेती है। 30 पर्सेन्ट बचता है, उसमें से जिस समय आता है कलेक्टर के पास, 50 पर्सेन्ट इन्डस्ट्री को, 10 पर्सेन्ट डिफेन्स, मिसलेनियस को 5 पर्सेन्ट, 5 दस पर्सेन्ट कन्ज्यूमर को मिलता है। उसके लिए बड़ी लम्बी लाइन लग जाती है, क्यू लग जाती हैं। दस पन्द्रह रुपये हर बोरी पर कन्ज्यूमर को देने पड़ते हैं। डी. एस. ओ. की नाक के नीचे, डी. एस. ओ. की आंख के सामने ब्लेक मार्केटिंग होता रहता है। डी. एस. ओ. और उसका स्टाफ केवल जोधपुर में ही ऐसा नहीं है, यह सारे राजस्थान में है। कोयले के मामले, एलाटमेंट आफ कोयले के मामले में, चीनी के मामले में गेहूं के मामले में, टायर के मामले में ऑइल के मामले में, यही हाल है। पेट्रोल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का स्कैण्डल आपने देखा होगा, फ्रूड आइल का स्कैण्डल आपने देखा होगा। पेट्रोल के लिए पांच पांच सौ गाड़ियों की लाइन लग जाती है। जो नोट हमें सरक्यूलेट किया गया है, उसमें यह कहा है कि यह हमारी गलती नहीं है, केन्द्र की गलती है। केन्द्र की गलती भी है तो प्रदेश में शासन किसका है, केन्द्र में शासन किसका है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं मुनाफाखोरी के लिए। यह कहते हैं, यह लोग मुनाफाखोरी कराते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई मुनाफाखोर सरकार और सरकारी अधिकारियों के साथ बिना जिन्दा रह सकता है। कोई भी नागरिक हो जब तक सरकार उसके साथ नहीं हो, अधिकारी उसके साथ-साथ नहीं हो, किसी प्रकार की बुराई नहीं कर सकता, किसी प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं कर सकता, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, करप्शन नहीं कर सकता। करप्शन बिगिन्स फ्राम टॉप, एण्ड गोज अप टू बोटम। भ्रष्टाचार ऊपर से प्रारम्भ होता है और नीचे तक जाता है। ऊपर डाइरेक्टर करप्ट नहीं हो, डिप्टी डाइरेक्टर करप्ट नहीं हो तो उसके नीचे के असिस्टेण्ट डाइरेक्टर और दूसरे कर्मचारी करप्ट होना एफोर्ड नहीं कर सकते, यह सम्भव नहीं है जैसा कि कहते हैं, कुएं में ही भांग पड़ी है। हम घोषणा कर सकते हैं. करप्शन का इरेडिकेशन कर देंगे। मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं, छः महीने के अन्दर करप्शन का इरेडिकेशन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, करप्शन जितना पिछले दिनों बढ़ा है, उतना राजस्थान के पच्चीस वर्ष के इतिहास के अन्दर नहीं बढ़ा होगा। यहां पर खाद्य मंत्री पर आरोप लगाए गए थे, उसकी मुख्य मंत्री जांच करायें, या जांच की घोषणा करें या नहीं, एक करोड़ में से 90 लाख का घपला है और मुख्य मंत्री जी चुप रह गये और उन्होंने घोषणा नहीं की कि वह जांच करायेंगे। वे अपनी इमेज इम्प्रूव करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वे ढाई करोड़ जनता में विश्वास पैदा करें, वे चाहते हैं कि इस बारे में हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर साख पैदा करें तो वह जांच करें जांच कमेटी मुकर्रर करें। लेकिन वे मौन होकर चले गये, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह उनके सोचने की बात है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के भावों को ऊंचे बढ़ने से उन्हें रोकना पड़ेगा, उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकना पड़ेगा और जनता को सस्ते भाव पर मुहैया करनी पड़ेगी नहीं तो आज स्थान स्थान पर खाद्य मंत्री का घेराव कर रहे हैं, जोधपुर में घेराव किया तो हमें गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियां लगादीं। मैं कहना चाहता हूं कि आप गिरफ्तार कर लें, हथकड़ियां लगा दें, गोली चलायें, बन्दूक ले आयें, संगीन ले आयें लेकिन इन सबसे ढाई करोड़ जनता की आवाज नहीं रोकी जा सकती है। रोटी, धान और गेहूं के लिए जनता तरसती है। खड़े होकर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पूछना चाहती है मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री जी से, इस पाप की जिम्मेदारी किस पर है। मैं उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस पाप के भागी मत बनिये, आप बगावत कीजिए। आप झण्डा लेकर खड़े हों जनता के लिए। आप झण्डा लेकर जनसंघ के लिए नहीं खड़े हैं, स्वतन्त्र पार्टी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
के लिए नहीं खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं खड़े हैं, भूख से तड़पते हुए इन्सान के लिए खड़े हैं, जो इन्सान अनाज चाहता है यह हमें महसूस होना चाहिए। किसी भी खाद्यान्न वस्तु का राष्ट्रीयकरण हो या नहीं हो इसके लिए लिंकन ने कहा था :

for form of government

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति जी··

श्री दीपंकर : आप जनता के साथ हैं या सेठों के एजेंटों के साथ हैं।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, आप घण्टी बजा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता खतरे का घण्टा बजा रही है। वह खतरे का घण्टा बजा रही है··

श्री सभापति : मैं समझता हूं, आप सब पाबन्दी की बात करते हैं, अपने को पाबन्दी में नहीं रखना चाहते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जनसंघ का घंटा बजा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : पाबन्दी किस पर? एक व्यक्ति को तीन किलो अनाज देंगे और फिर पाबन्दी की बात करते हैं। जनता अनाज के लिए सड़कों पर तड़प रही है। क्या आप चाहते हैं कि वह भूख से तड़प तड़प कर मरे? आप चाहते हैं कि जनता आत्मघात करे? आप चाहते हैं कि जनता मौत के मुंह में जाय मरने को। किसी ने कहा है कि अन्याय को सहन करना पाप है। अन्याय को सहन करना, अन्याय करने से बड़ा दुष्कर्म है। इसी बात पर कौरवों और पाण्डवों के बीच में युद्ध हुआ। अपने अधिकार के लिए, अपने हित के लिए, अपने जायज हित के लिए राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता खड़ी होगी तो केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वही आप कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। मैं कहता हूं, मुनाफाखोरी की जा रही है, उसके लिए आरोप लगाते हैं जनसंघ के ऊपर, या स्वतंत्र पार्टी के ऊपर या अन्य पार्टी के ऊपर खुद बचने के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1972 के अन्दर आप चुनाव में किस की मेहरबानी से जीते। कांग्रेस के साथ गठबन्धन करके आप आये, फायदे में आप भागीदार बनना चाहते हैं। जनसंघ से आप गठबन्धन करते तो आप पाप के भागीदार नहीं बनते। कांग्रेस से गठबन्धन करके आये हैं और आज जनता त्राहि त्राहि कर रही है, तो आप उसे छोड़ कर भाग रहे हैं। बुढ़ापे के अन्दर, मै सदन के सामने नहीं कह सकता, अगर जवानी में अच्छे चरित्र की स्थिति नहीं होती है तो पत्नी छोड़ कर चली जाती है···

श्री केसरीमल : आपका तजुर्बा है यह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अपना तजुर्बा बतला रहे हैं।

Page No. 93

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गठबन्धन उससे किया जाता है जो प्रेमी होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रेमी को छोड़ कर जा रहे हैं। पकड़ो। आज उनकी आलोचना करते हैं। आप लोगों की वजह से ही, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के गठबन्धन से राष्ट्रीयकरण फेल हुआ है...

(शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री जयकिशन : गलत कह रहे हैं। फेल नहीं हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तजुर्बे की बात है माननीय सदस्य की, सभापति महोदय।

श्री सभापति : इतना बहुत हो गया।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, जोधपुर से मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने दिनमान के 7 अक्टूबर के अंक को लिया, उसमें चरचे और चरखे में पढ़ने को मिला। उसमें बड़े घर की बड़ी बात शीर्षक से लिखा है। उसमें से मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :

"सोवियत मजदूर संघ के अखबार त्रुद के एक विशेष लेख के कुछ अंक वाशिंगटन पोस्ट ने छापे हैं और दिखाया है कि सोवियत समाज में 'आर्थिक अपराधी' नामक तत्व की अभिवृत्ति से अधिकारी परेशान हैं : 'टैक्सी गैराजों पर ड्राइवरों को बिना घूस दिये अपनी गाड़ी सुधरवाना या धुलवाना असंभव प्रायः है... मोटर पुर्जों के चोरबाजार में हर तरह का पुर्जा मिल सकता है—सरकारी से तिगुने दाम पर... एक चोरबाजार में त्रुद प्रतिनिधि को सरकारी गोदाम से ज्यादा पुर्जे मौजूद मिले... कुल मोटर पुर्जों में से कम से कम 20 सैंकड़ा गोदाम से दुकान के रास्ते में चोरी हो जाते हैं... 'वाशिंगटन पोस्ट' आगे लिखता है 'काकेशिया गणतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय ने छिटपुट जुर्मों पर फैसला देने वाली जन अदालतों की भर्त्सना की है कि वे जरूरत भर की सख्ती से सजाएं नहीं दे रही हैं 'मार्गिफ बेन्यामिनेय कृषि उपजों को ले कर लगातार मुनाफाखोरी कर रहा था। पिछली बार उसने 5 टन से ऊपर सब्जी मांस काया जिले में लेजा कर मामूल से तिगुने दाम पर बेच डाली...

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापति महोदय, यह पेपर रीड किया जा रहा है, इसे सुनने के लिए समय नहीं है और अनावश्यक रूप से सदन का समय वेस्ट किया जा रहा है। पेपर हम भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : यह पत्र इसलिए पढ़ कर सुनाना पड़ा क्योंकि यहां मुनाफाखोरी के नाम पर बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं और रूस में क्या हालत।

उसमें आगे लिखा है : ...

श्री केसरीमल : यह पैसे वालों का झूठा प्रचार है।

Page No. 94

श्री गुमानमल लोढ़ा : 'मगर जन अदालत ने इस दुष्ट मुनाफाखोर को सिर्फ दो साल की कैद की सजा सुनाने को उदारता दिखायी और वह भी बाद में स्थगित कर दी। सजा निश्चित और अविलम्ब होनी चाहिए।'

(शोरगुल)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ग्रान ए पाइन्ट ऑफ आर्डर !

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अमेरिकन आकाओं का घण्टा बज रहा है।

श्री केसरीमल : झूंठी बात है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अमेरिकन आकाओं का घण्टा बजा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा निवेदन यह है कि मित्र राष्ट्र के लिए आक्षेप करना उचित है, या नियमों के अन्तर्गत है ? मैं समझता हूं कि इस पर यहां पर डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री सभापति : इर्रेलेवेन्ट तरीके से यह प्रसंग आया था। मैं कहना चाहता हूं आप जो कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : धन्नवाद। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नारा लगाने से काम नहीं चलता है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन केरल में क्या हुआ ? क्यों वहां चांवल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ? वहां पर कौनसी सरकार है ? वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी इस्तीफा दे। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आप जनता के सामने कह कर चलते हैं कि राष्ट्रीयकरण की सुन्दर योजना है, इससे सबको धान मिल जायगा। यह प्रगतिशील नीति है। इससे हम आगे बढ़ पायेंगे। लेकिन केरल में चांवल का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ? क्या वहां कम्युनिष्ट पार्टी ने त्याग-पत्र दिया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आपको जानकारी है कि केरल में किस किस चीज का राष्ट्रीयकरण किया गया है ? (शोरगुल) क्या आपको जानकारी है, क्या आपको मालूम है, केरल में किस किस चीज को राष्ट्रीयकृत किया गया ? क्या आपको मालूम है, आपके चाचाओं और आपके ताऊओं के चाय बागान का केरल में राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ? (शोरगुल) क्या आपको मालूम है कि चाय बागान को राष्ट्रीयकृत किया गया है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चांवल का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप अपनी दुकान सम्भालें, (शोरगुल—अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने जिस राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी वह फेल हो गया।

Page No. 95

(शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

(श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा साथ साथ बोलने लगे· अश्रव्य) माननीय सदस्य ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :

(अश्रव्य— शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

(लगातार घंटी)

माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा···

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज !

(श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा साथ साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

आर्डर प्लीज !

(श्री केसरीलाल, श्री हाण्डा व श्री गिरधारीलाल भार्गव साथ साथ बोलने लगे)

माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे बहुत अफसोस है कि··

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस तरह की स्थिति उन्होंने जारी रखी तो आसन को बहुत सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि जो नियम बने हुए हैं उनके विरुद्ध सदन की कार्यवाही को चालू नहीं रखा जा सकता··

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज ! आप इस प्रकार सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने की कोशिश न करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये बेतहजीब लोग हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार के शब्दों के उपयोग किया है···

श्री सभापति : यह तरीका बिल्कुल गलत है । हर माननीय सदस्य को जो कुछ नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है, कहने की आजादी है, कह सकते हैं और उसके बाद आपको जो कुछ कहना है, कह सकते हैं । श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढा : आत्मनिर्भरता का दावा करने के लिए, दुनिया के अंदर इतने बड़े देश··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे इस बात का भय है सभापति महोदय, कि दुर्घटना न हो जाए इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ल्यूनैटिक एसाइलम के डाक्टर को यहां पर बुलाया जाए ।

श्री सभापति : आप स्वयं समस्या का समाधान कर लेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : मैंने सूरतगढ़ के अखबारों में पढ़ा था कि माननीय सदस्य कुचक्र में फंस गये थे और वहां के कुछ लोग किसी प्रकार से· · ·

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है। इसलिए संक्षेप में बोलें, अपनी बात को अप्रासंगिक बनाने को कोशिश न करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : स्वयं कुचक्र में आ गए।

श्री गुमानमल लोढा : सदन में आने से पहले एलकोहल का प्रभाव न हो, इसलिए मेडीकल टेस्ट कराया जाए।

श्री केसरी मल : हर समय आप पर प्रभाव रहता है· ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका मेडीकल टेस्ट करवाया जाए कहीं खून · ·

श्री गुमानमल लोढा : बोतल से ही आप चल सकते हैं और सदन में बोतल · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जनता का खून पी रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढा : कल और आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लोक सभा में वाकआऊट हुआ इस प्रश्न को लेकर कि केरल में चांवल उपलब्ध नहीं हैं। तो चांवल उपलब्ध न करवाना किसको फैल्यूअर है ? यह फैल्यूअर केरल सरकार की नहीं है। आपने राष्ट्रीयकरण गलत करवाया है, इस बात को स्वीकार न करके केवल राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की गलती है। कम्यूनिस्ट पार्टी ने जबर्दस्ती राष्ट्रीयकरण करवाने के लिए सरकार को बाध्य किया जब कि प्रबन्ध नहीं था, मशीनरी नहीं थी। कम्यूनिस्ट पार्टी चाहे केरल में हो चाहे हिन्दुस्तान में हो; चाहे राजस्थान में हो। तो खाद्यान्न और महंगाई के प्रश्न का हल निकालना पड़ेगा और खाद्य मंत्री ने तो केवल यह कह दिया कि डी. आई. आर. के तहत आज्ञा प्रसारित नहीं कर सकते। यहां पर काफी कहा गया, आपने कहा हम 3 किलो धान देंगे। आपको इस निति को बदलना होगा। तीन किलो धान में जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

अगर यह नीति आपकी रही तो हमको बाध्य होना पड़ेगा, अगर हमारी बात पर चिंतन व मनन नहीं करेंगे और यह प्रयास नहीं करेंगे, यह दशेहरा और दिवाली का अवसर है किसी प्रकार से भी 8 किलो का अनाज उपलब्ध करायें, चीनी उपलब्ध करायें, घासलेट, सीमेन्ट, वनस्पती घी उपलब्ध नहीं करते तो बाध्य होकर जनता सड़कों पर आपका घेराव करेगी और आपके अधिकारियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा और आपकी तलवार, लाठी जेल की परवाह न कर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आह्वान करती है। क्या ढाई करोड़ जनता के साथ घोषणायें करके खिलवाड़ करते रहेंगे। परसराम मदेरणा व बरकत साहब ने घोषणा कर दी कि गेहूं की हालत अच्छी है लेकिन आज भी जोध-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पुर में 180) प्रति क्विंटल से कम नहीं है। दुःख इस बात का है कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वहां पर अपराधी बनकर खड़े होते हैं। हम केवल यह कहते हैं कि विधान सभा में जाकर आपकी आवाज को उठायेंगे, यदि विधान सभा में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो कौनसा स्थान होगा? जनतन्त्र के लिए यह सबसे बड़ा स्थान है, यही पंचायत है, यह मन्दिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। इसलिए फिर एक बार और निवेदन करूंगा कि आप इस स्थिति को बदलें, घोषणाओं को छोड़ें, धान उपलब्ध करवायें, आवश्यक वस्तुओं के लिए डी.आई. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही करें और नारों में न बहकर अपनी असफलताओं को स्वीकार करें।

श्री सभापति : महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी, आप बोलेंगे क्या?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मैं कल बोलूंगा।

श्री सभापति : आप निरंजन नाथजी बोलेंगे क्या अभी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी कल ही बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल भाई!

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, आज सदन में राज्य की खाद्य स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों पर विचार हो रहा है। इसके लिये मैं खाद्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है। आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 25 साल हो गये हैं लेकिन हमारे यहां की खाद्य स्थिति दिन-ब-दिन गिरती ही जा रही है। आज अनाज की भयंकर कमी है और अनाज की कीमतें बहुत ही बढ़ गयी हैं। आज लोगों को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है और लोग अनाज के नहीं मिलने के कारण भूख से मर रहे हैं। कहने को तो खाद्य मन्त्रीजी यह अपने भाषण में कह देते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा है और जो भी मरे हैं वह बीमारी से मरे हैं यह गलत बात है।

पिछले सदन में जब गेहूं का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया था तो हमें सदन में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हमने खाद्य की पूरी व्यवस्था करली है और कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन, सभापति महोदय, यह सब नहीं हुआ। मैं खाद्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यहां पर सदन में घोषणा की थी कि हम बड़े को 5-6 किलो और बच्चों को तीन किलो अनाज गेहूं देंगे लेकिन आपने किसी भी जिले में छः किलो अनाज नहीं दिया। और उसके बदले में आपने सिर्फ तीन किलो अनाज ही दिया है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि क्या एक आदमी के लिये सिर्फ 6 किलो अनाज से ही काम चल सकता है। मैं समझता हूं कि नहीं चल सकता। लेकिन जब आपने छः किलो गेहूं की देने की बात कही तो लोगों ने सोचा चलो अच्छा छः किलो अनाज सरकार से मिल जायेगा और जो कम पड़ेगा उसको कुछ इधर उधर से

(श्री विट्ठल भाई)

लेकर काम चला लेंगे। लेकिन आपने सिर्फ तीन तीन किलो अनाज ही दिया।

इधर बाजार में मक्का भी गायब और जो मिलती थी वह 40 रुपये की 30 किलो। लोगों को वह भी बहुत मुश्किल से मिलती थी और लोगों को अनाज नहीं मिलने से लोग भूख से मरे। यहां पर आप सदन में चाहे यह कह दें कि भूख से हमने किसी को मरने नहीं दिया और जो भी मरे हैं वह बीमारी से मरे हैं। सभापति महोदय, जो दो तीन किलो अनाज आपने दिया वह मैं समझता हूं कि एक मुर्गे को दो तो उसको भी कम पड़ सकता है। तो आपने जो अनाज दिया है वह एक व्यक्ति को मुर्गे को जो मिलना चाहिये उससे भी कम दिया है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इधर आप सदन में घोषणा कर रहे हैं कि खरीफ की फसल तो अतिवृष्टि के कारण खराब हो गयी है लेकिन रबी की फसल अच्छी होगी। सभापति महोदय, रबी की फसल क्या अच्छी होगी? जब कि अभी तक बुवाई तक शुरू नहीं हुई है। आपने यह कहा कि हमने तीन हजार टन गेहूं बीज के लिये खरीदा है लेकिन अभी तक लोगों को बीज के लिये गेहूं और चना कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सका है। कब तो चना बोया जावेगा और कब उसकी बुवाई होगी। आपने बीज भी मक्का की फसल बोने के लिये जो दिया गया वह उस वक्त दिया जब कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गयी तब दिया जब तक कि मक्का की बुवाई हो चुकनी चाहिये थी। अगर ऐसे वक्त आप थोड़ा थोड़ा बीज बांट कर यह कह देते हैं कि हमने बीज बांटे तो यह गलत है। आपकी अनाज व्यवस्था खराब है, आपकी बीज बांटने की व्यवस्था खराब है। जब आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? जिन लोगों ने चना की बुवाई की उन्होंने बीज 225 रुपये क्विन्टल के भाव से खरीदे और कहीं तो इससे भी ज्यादा देना पड़ा। आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, काश्तकारों के पास पैसा नहीं है उनकी कमर टूट गयी है बेचारे बीमार की तरह हो गये हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वह कहां से बीज खरीदेंगे।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि सरकार की खाद्य की गेहूं की नीति बिलकुल असफल रही है। आप कुछ भी नहीं कर पाये हैं और अगर यही व्यवस्था रही तो आप लोगों को भूखे मार देंगे। आप लोगों को मजदूरी दे नहीं सकते, लोगों को अनाज नहीं दे सके खाने के लिये तो आप आखिर क्या करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं मेरे इलाके की बात कर रहा हूं अगर लोगों को बीज नहीं दिया गया तो किस प्रकार वह रबी की फसल बो सकेंगे। मैं समझता हूं कि लोग भूख से तड़फ तड़फ कर मर जायेंगे आपको चाहिये कि जल्दी से जल्दी लोगों को तकाबी लोन देकर बीज देने की व्यवस्था करें ताकि वह बुवाई कर सके।

सभापति महोदय पहले वाली फसल भी खराब हो चुकी है और यही हाल रहा तो आने वाली फसल भी खराब हो जायेगी। हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर में मक्का की फसल नष्ट हो चुकी है बरसात अधिक होने के कारण अगर अब भी व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां पर भंयकर अकाल पड़ जायेगा महामारी फैल जायेगी। सभापति महोदय,

(श्री विट्ठल भाई)

वहां की ऐसी हालत हो गयी थी कि लोगों ने अनाज नहीं मिलने के कारण, पैसे नहीं होने के कारण चोरियां तक की क्योंकि लोगों को मजदूरी मिली नहीं। लोगों ने भुट्टे खाकर दिन काटे हैं। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को और मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राज्य करना चाहते हैं तो आपको उसके लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी। वरना आपको राज्य करने का कोई हक नहीं है। अगर इस तरह लोग भूख से मरेंगे तो आपका राज्य आगे नहीं चलने वाला है। आज आप गांवों में जाकर लोगों की हालत को देखें, लोगों की वहां पर भयंकर हालत खराब है। लोग बीमारों की तरह लगते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उनकी हालत को सुधारें। आपकी अनाज वितरण की व्यवस्था खराब है उसे तुरन्त सुधारें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह मक्का की बुवाई के लिये आप तकावी की व्यवस्था तुरन्त करें ताकि लोग मक्का के बीज खरीद सकें। आज लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगली फसल समय पर हो सके आप उसके लिये व्यवस्था करावें। इसके लिये आपको एक हफ्ते के अन्दर अन्दर व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो मक्का की फसल बरबाद हो जायेगी। एक तो बरसात के कारण खरीफ की फसल पानी पड़ा होने के कारण पड़त रही और अब अगर आप उनको रुपये बीज के लिये देंगे तो मैं समझता हूं भयंकर अकाल पड़ने वाला है।

इसलिये मैं राज्य सरकार से और खाद्य मन्त्री जी से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था जल्दी करें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपने जो गांवों में शक्कर बांटने को दी है वह गांवों में गांवों की जनता के पास नहीं पहुंची वह शक्कर डीलर या तो बीच में खा गया या डीलर और सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से वह शक्कर ऊपर की ऊपर ही गायब हो गयी लोगों को मिली नहीं है।

अतः मैं खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये जांच करावें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर उन्हें सजा दें तथा ऐसी व्यवस्था करावें कि लोगों को शक्कर गांवों की जनता के पास पहुंच सके। आज डीलर ने और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर गांवों को शक्कर और अनाज मिलता है उस सबको बेच खाया है और जनता को वह अनाज और शक्कर नहीं मिली है आज उसे रोकने की कोई पुलिस की व्यवस्था भी नहीं है। न तो पुलिस की व्यवस्था है और न ही एस. पी. इसको देखते हैं, न थानेदार देखते हैं। आपने घोषणा की। कानून में दिया हुआ है कि अपराधियों को पकड़ा जाय लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। इतने दिन ब्लेक हुआ और आगे भी होगा। इस पर व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जनता को बीज मिल सकें वरना गरीब जनता को जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज वास्तव में हम बड़ी ही संकटमय स्थिति से गुजर रहे हैं क्योंकि आज जनसंख्या के बहुत बड़े

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आग को आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं हैं। हमें खीज होती है, चिड़चिड़ाहट होती है उस समय जब पैसा देते हुए चीजें नहीं मिलतीं। सब ही चीजें आउट आफ स्टाक मिलती हैं। मिलती हैं वे भी मिलावट के साथ। निःसन्देह यह मंहगाई की, या जो कीमतों की वृद्धि है यह आपकी ओर से हो रही है। चारों तरफ आग है, जमाखोरी की आग, मंहगाई की आग। उसके आगे आज भूख की आग एक दम शान्त हो गयी है। इस प्रकार की स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं।

यदि हम वास्तव में मूल्य वृद्धि के आंकड़े जनवरी 1973 से सितम्बर 1973 तक के देखें तो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि हर चीज में, क्या अनाज, क्या चीनी, क्या गेहूं, क्या तेल, सब ही चीजों की कीमतों में वृद्धि अनावश्यक रूप से हो रही है। यहां तक कि हरी सब्जियां भी मंहगी होती जा रही हैं। एक तरफ गरीब मजदूर है, एक तरफ वह किसान है जो चटनी या प्याज से पेट भर लिया करता था आज उसको वह अपुष्ट भोजन भी प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। राशन की दुकान पर खड़े रहने के बावजूद भी वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके सूखे मुर्झाये हुए चेहरों को देख कर पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक चित्रण क्या है। उन भूखे पेट की आग को शान्त करने की जिम्मेदारी आखिर प्रजातन्त्र में किस पर है? यह बढ़ती हुई मंहगाई वास्तव में हमें असफलता के गर्त में ले जायेगी। इस बढ़ती हुई मंहगाई के माननीय खाद्य मंत्रीजी ने कारण बताये, मैं उनको मानने के लिये तैयार हूं लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके बारे में विचार किया जाय और देखा जाय तो निस्सदेह हम मंहगाई की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान कर सकते हैं।

हमारे दिमाग में बार बार यह प्रश्न पैदा होता है कि मंहगाई क्यों बढ़ती है। यदि अर्थ शास्त्र के नियम को हम देखें तो मंहगाई तब ही बढ़ती है जब मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो। अब प्रश्न यह उठता है कि सात आठ महीनों में मांग इतनी बढ़ गयी या पूर्ति इतनी कम हो गयी? साधारण बुद्धिवाले इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण मैं मानती हूं वह सब देख रहे हैं भ्रष्ट नौकरशाही। वास्तव में हमने या कांग्रेस पार्टी ने जनहित की दृष्टि से गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लेने का निर्णय किया। निस्संदेह यदि यह नीति सही रूप में सफल होती तो वरदान सिद्ध हो सकती थी लेकिन इसमें बहुत असफलतायें मिली हैं और भी, यह भ्रष्ट नौकरशाही की वजह से मिली हैं।

भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने हैं। मैं अपने ही निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहती हूं। चित्तौड़गढ़ इस वर्ष सरप्लस एरिया था। वहां पर अनाज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिये थी। सब ही उपभोक्ताओं और व्यक्तियों को अनाज सस्ती कीमत पर मिलना चाहिये था। परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी जेब भरने की ओर ज्यादा ध्यान रखा बनिस्बत इस ओर जिला अधिकारियों के लिये मैं प्रमाण के साथ कह सकती हूं कि उन्होंने अधिक रिश्वत लेकर परमिट बनाये और अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा। चित्तौड़गढ़ की वे मंडियां, जहां पर बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों के जरिये से अनाज

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

आया करता था वह सुनसान हो गयीं क्या अनाज मंडियों में आया नहीं ? किसान के घर से व्यापारियों और काला बाजार करने वाले लोगों ने अनाज उठा लिया और जिला प्रशासन ने उसमें मदद दी। इतना ही नहीं माननीय मंत्रीजी ने और केबिनेट ने निर्णय ले लिया···

(4.15 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पीठासीन)

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज दिन के लगभग 1.40 बजे जब विधान सभा की बैठक हो रही थी उस समय दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने, जो अपना नाम बालमुकन्द ओझा पुत्र श्री नवरतनलाल ओझा, उम्र 20 साल निवासी चूरू, विद्यार्थी बी. ए. अन्तिम वर्ष बताता है, निम्न प्रकार के नारे लगाये "भ्रष्ट कांग्रेसियों आज मेरे हाथ में नकली पिस्तोल है कल मेरे हाथ में असली पिस्तोल होगा। मेरे हाथ में ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान के हर नौजवान के हाथ में पिस्तौल होगा"।

"युवाजन जिन्दाबाद, इन्क्लाब जिन्दाबाद जखीरे बाज कांग्रेसियों का नाश हो।"

श्री बाल मुकन्द ने नारे लगाते समय अपनी जेब से तमन्चा निकाल कर उससे पटाखे भी छोड़े। श्री बालमुकन्द को मेरी आज्ञा से वाच एण्ड वार्ड द्वारा तुरन्त अभिरक्षा में लिया गया। इस व्यक्ति को श्री रामलाल (बाड़ी), सदस्य, विधान सभा की सिफारिश पर प्रवेश पत्र जारी किया गया था।

मैंने इस व्यक्ति से अपने चेम्बर में बुलाकर पूछताछ की और उसका कथन अभिलिखित किया। यह व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है कि उसकी उपरोक्त कार्यवाही से सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा डाली गई है, वह न इस बात को जानता है और न ही इस बात को मानता है कि उसकी कार्यवाही से सदन की गरिमा को किसी प्रकार की ठेस पहुँची है। उसका यह कहना है कि उसकी यह कार्यवाही पूर्व नियोजित नहीं थी। वह समाजवादी दल को युवक शाखा "समाजवादी युवा संघ" की राज्य की कार्यकारिणी का सदस्य है और जो कुछ भी उसने किया है अपनी मर्जी से किया है। इस व्यक्ति को अपनी कार्यवाही के लिए किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है और न ही वह कार्यवाही के लिए सदन से क्षमा मांगने के लिए तैयार है।

अब सदन इस विषय में उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक, कांग्रेस दल) : यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपना नाम बालमुकन्द ओझा पुत्र श्री नवरतन लाल ओझा निवासी चूरू विद्यार्थी बी. ए. अन्तिम वर्ष बताता है ने आज लगभग दिन के 1.40 बजे दर्शक दीर्घा से निम्न प्रकार के नारे लगाये।

"भ्रष्ट कांग्रेसियों आज मेरे हाथ में नकली पिस्तौल है कल मेरे हाथ में असली पिस्तौल होगा। मेरे हाथ में ही नहीं अपितु

(श्री खेतसिंह)
हिन्दुस्तान के हर नौजवान के हाथ में पिस्तौल होगा।"

"युवा जन जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद।"

जखीरेबाज कांग्रेसियों का नाश हो।"

नारों के साथ साथ उक्त श्री बालमुकुन्द ओझा ने अपनी जेब से तमन्चा निकाल कर उससे पटाखे भी छोड़े। श्री बालमुकुन्द ओझा की इस कार्यवाही से सदन की कार्यवाही में बाधा हुई है तथा सदन का घोर अपमान हुआ है एवं उसकी गरिमा तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त श्री बालमुकुन्द ओझा को 7 दिन के लिए साधारण कैद की सजा दी जाय और उन्हें सैन्ट्रल जेल जयपुर में भेज दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल के सचेतक की ओर से प्रस्ताव रखा गया। मैं जिस हद तक उन्होंने सजा की बात कही उसका समर्थन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, आखिर ये घटनायें क्यों होती हैं? आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिस प्रकार की आज ज्वलन्त समस्यायें हैं लोगों के सामने मंहगाई और बेरोजगारी की, खास तौर से नौजवानों के सामने, और सरकार की असमर्थता है इन समस्याओं को हल करने में, उनका जबरदस्त रिएक्शन प्रत्येक व्यक्ति और विशेष तौर पर नौजवानों के ऊपर हो रहा है। और मैं समझता हूँ यही प्रक्रिया, यही रिएक्शन जो इस नौजवान को इस प्रकार की हरकतें करने को प्रेरित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही करना, इन समस्याओं का कोई हल नहीं है और इन समस्याओं को हल करने के बजाय कोई व्यक्ति आपके यहां नारा लगायेगा झूंठा तमन्चा या चप्पल फैंक दें, यह मिस गाईडिंग एक्शन है।

आज जरूरत तो इस बात की है कि इस प्रकार के नौजवान संगठित होकर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि वेस्टेड इन्टरेस्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें बल्कि सारे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया जाय ताकि सारे वेस्टेड इन्टरेस्ट को अबोलिश कर दिया जाय और देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकें। हम मानते हैं कि इस प्रकार की घटना जो उक्त व्यक्ति ने की है न इस समस्या का हल है बल्कि एक मिस गाईडिंग एक्शन है। न तो यह समस्या का समाधान है और इस सदन की गरिमा को भी खेद पहुँचता है इसलिये हम इन्क्लोज करने के पक्ष में नहीं हैं।

अभी यहां 3 तारीख को घटना हुई जिसमें इस सदन में एक व्यक्ति ने चप्पल फैंकी। आज की घटना को मैं उससे ज्यादा सीरियस नहीं मानता हूं और हम यह समझते हैं इस बात का नोट इस सदन को लेना चाहिये इसलिये यह कार्यवाही उचित नहीं है और सामान्य दण्ड ही उचित होगा और मेरा अमेन्डमेन्ट है 7 दिन के बजाय एक दिन किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है वह कु-कृत्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ नजदीक आता है लेकिन एक बात है, अध्यक्ष महोदय, कि सजा की बात सदन की गरिमा के साथ सदाशयता भी जुड़ी रहती है। जितनी गरिमा सदन की होती है, उतनी ही अधिक सदाशयता सदन को बरतना चाहिये, ऐसी मान्यता है। ये दो घटनायें चप्पल फेंकने की घटना, यह अपने आप में अनोखी है। अब तक सदन के सामने ऐसी घटना नहीं हुई। यह बात जरूर है सदन में जब कभी उत्तेजना होती रही है तो माननीय सदस्यों के व्यवहार में भी विभिन्नता आती रही है। एक बार माइक के गोल चक्र को किसी माननीय सदस्य द्वारा दूसरे माननीय सदस्य पर फेंके जाने का भी एक उदाहरण है। इसी सदन ने एक अशोभनीय उदाहरण देखा है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं इस मान्यता का हूं कि सदन की तुलना उच्च न्यायालय से कम नहीं की जा सकती है, उससे ऊंची हैं। इसलिये हम पर बहुत अधिक दायित्व रहता है। इस नौजवान के सम्बन्ध में हम कोई कदम लें, यह बात जरूर है माननीय रामानन्द जी ने कहा पृष्ठ भूमि इस सारी स्थिति की कुछ अन्य है और उसका हल निकट भविष्य में निकल सकता हो, ऐसा भी नहीं है।

नौजवानों में उत्पन्न बेरोजगारी, उनका अन्धकारपूर्ण भविष्य ये सारी स्थितियां आज अधिकतर नौजवानों में फैल रही हैं। इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो थोड़े दिन पहले किसी की तरफ चप्पल फेंकी गई वह भी बहुत एग्रेवेटेड है। इस सदन को यह देखना है उस चप्पल से ज्यादा एग्रेवेटेड ऐसा कदम न उठा लें जो इस सदन के विरुद्ध जाता हो। मैं तो यह चाहता था कि इस सजा के प्रश्न पर जब आपने अभियुक्त का परीक्षण किया है, आपने अभियुक्त को देखा है, उसको परखा है माननीय मुख्य सचेतक महोदय इस सजा का प्रश्न, क्योंकि आपने अभियुक्त का ठीक ढंग से अध्ययन किया है—आसन पर छोड़ दिया जाता तो मैं समझता हूं अधिक न्याय मिलता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं परम्परायें निभाई जानी चाहिये। सदन में जो कुछ हुआ वह अशोभनीय है लेकिन अशोभनीय घटना के लिये डिटरेन्ट पनिसमेन्ट कर सकें और खास तौर से विषम परिस्थिति में, मेरी मान्यता है जो वाद-विवाद हो रहा था उसकी उद्विग्नता का भी कोई असर हुआ हो और मैं आग्रहपूर्वक माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं अपने प्रस्ताव को इस तरह संशोधन कर दे कि यह सारा दायित्व आसन पर छोड़ दिया जाय और आसन जो उचित समझें वह कदम ले तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन मौजूद है और सदन की मीटिंग चल रही है उसमें सदन ही निर्णय ले तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : वे इतनी उदारता तो दिखायें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपकी उदारता तो असीम है लेकिन वे हर बार कठोर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

नजर आते हैं । उनकी भी उदारता प्रकट हो ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में मंहगाई पर चर्चा चल रही थी उस समय जिस प्रकार से व्यवहार किया गया असन्तोष के कारण से हो अथवा आक्रोश के कारण से हो संसदीय परम्परा में हम उसे उचित अथवा किसी भी विशेष परिस्थितियों में होने के पश्चात् भी उसको स्वीकृति दें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । मेरा दल जनतन्त्र में विश्वास रखता है, संसदीय पद्धति में विश्वास रखता है और इस कारण से जहां बन्दूक की बात की जाय और जहां यह कहा जाय कि आज यह खिलौने को बन्दूक चली है और कल असली बन्दूक आयेगी तो मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना होगा । या तो हम यह सोच लें कि हमारे देश में जनतन्त्र असफल हो गया है, संसदीय प्रणाली असफल हो गई है तो माननीय सदस्यों में विश्वास होना चाहिये और हम स्वयं पहल करें अथवा आसन की गरिमा और संसदीय प्रणाली की जो मान्यता है, उसके अनुसार चाहे हमारी बात मानी जाय अथवा नहीं मानी जाय । चाहे हमारी विचारधारा अथवा हमारे द्वारा रखे हुये बिन्दुओं पर स्वीकृति मिले अथवा स्वीकृति नहीं मिले, हमें साहस के साथ, प्रसन्नता के साथ में बहुमत की बात को स्वीकार करके राज्य को चलाना होगा । अतः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल [illegible] से जो कुछ हुआ उसको आपत्ति- [illegible]झता हूं । वह चाहे नौजवान हो, [illegible]क हो और चाहे वृद्ध हो—सदन में उसके लिये विचार किया जा सकता है और मुझे विश्वास है माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने जो सात दिन की सजा के बारे में प्रस्ताव रखा है वह इस प्रसंग में और विशेष तौर से इस प्रसङ्ग में कि दो दिन पूर्व एक व्यक्ति ने सदन में चप्पल फेंकी थी, उसको दो दिन का कारावास देना उचित समझा था तो मैं समझता हूं कि सजा के अन्दर निश्चित रूप से हमें कमी करनी चाहिए और सदन की किसी प्रकार की मान मर्यादा में भी क्षति नहीं पहुंचती क्योंकि जहां तक यह बात है यह सैद्धांतिक बात है । हम किसी कार्य को गलत समझते हैं तो उसके पश्चात् सजा का स्वरूप स्थितियों के अनुकूल कम किया जाये । मैं भी इसके पक्ष में हूं और मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, चाहे आप तजवीज करें चाहे माननीय उप-नेता महोदय हैं वह करें या सचेतक महोदय करें, इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर दिया जाये और सजा जो 7 दिन की है उसको कम करके हमने जो पहले प्रसंग के ऊपर किया था उसी के अनुरूप सजा के अन्दर कमी करके इस कार्यवाही को समाप्त किया जाये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसमें मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले भी इस सदन के अन्दर इसी प्रकार की घटना हुई और उस व्यक्ति का संबंध भी सोशलिस्ट पार्टी से था और आज जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह भी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है । तो बहुत से माननीय सदस्यों का निश्चित मत

Page No. 105

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है कि यह केलकुलेटेड ग्रुप है। यह उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है कि जिसके तहत वह आदमियों को विधान सभा के अन्दर उधम मचाने के लिए भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान हो कि अभी कुछ दिन पूर्व मैसूर की विधान सभा के अन्दर एक व्यक्ति ने ऐसी पिस्तोल सदन के अन्दर चलाई थी। माननीय सदस्यों ने अखबार में पढ़ा होगा। अब अखबारों में पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि हीरो बनेंगे, नाम होगा और यहां पर कार्यवाही की जाती है। नाम अखबारों में निकलता है, वाह-वाही होती है, हीरो बनने की भावना उनके अन्दर आती है फिर, अध्यक्ष महोदय, यह इनकी पार्टी के कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा किया जाता है। ऐसे कामों के लिए यदि डेटोरैन्ट पनिशमेन्ट नहीं दिया गया तो इस सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अपने को कभी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि बहुत से लोग बाहर खड़े रहते हैं और विधान सभा के सदस्य आते हैं उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश वह करते हैं, बहुत से लोग उनके दस्तखत कर लेते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, आपको निर्देश देने पड़ेंगे कि भविष्य के अन्दर उनके द्वारा इश्यू कराये गये पासेस के ऊपर इस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति कार्यवाही करेगा तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी और उस अपराध के वह माननीय सदस्य भी भागीदार होंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो लोकतंत्र की पद्धति को चलाना मुश्किल नजर आता है। इसके बाद फिर पत्थर फिकेंगे और आप घन्टे दो घन्टे की सजा दे देंगे उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा है मैं कहता हूं कि यह 7 दिन की सजा को बढ़ाकर 15 दिन की कर दी जाये।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरी पार्टी का जिक्र आया है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी यह कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि यह सोशलिस्ट पार्टी का ऐसा कोई आन्दोलन नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी कभी ऐसा नहीं करना चाहती है। अगर करना चाहती होती तो 3 तारीख को जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था उसके ऊपर मैं हस्ताक्षर नहीं करता और किसी दूसरे से कराये जा सकते थे। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी के खिलाफ एलीगेशन्स लगाये गये हैं यह बिल्कुल गलत हैं और हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है इसलिए इन्डीविजुअल कोई भी कर रहा हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और इस समय तो सभी ही सोशलिस्ट हैं। उधर बैठे हुए कहते हैं कि हम समाज-वादी हैं और इधर बैठे हुए कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। तो इसलिए हम नहीं समझ सके कि वह कैसे सोशलिस्ट हैं आप वाले सोशलिस्ट हैं या हमारे वाले सोश-लिस्ट हैं। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि हमारी पार्टी का कोई ऐसा आन्दोलन नहीं है और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री केदारनाथ (गगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य का पूरा

(श्री केदारनाथ)

भाषण तो नहीं सुना मगर पार्टी का कलकुलेटिव मुवमेन्ट का हमारे ऊपर चार्ज लगाया गया है। मान्यवर, हम सोशियल चेन्ज में विश्वास करते हैं लेकिन कान्स्टीट्यूशनल मीन्स से और अगर इससे भी चेन्ज नहीं आता तो हम रेवोल्यूशनरी मीन्स में भी विश्वास करते हैं लेकिन वह मास रेवोल्यूशन में। मगर इन्डीविजुअल इन्सीडेन्ट को लेकर पार्टी पर चार्ज करें मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य अपने आपको भ्रम में डाल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन आपकी पार्टी का गठबन्धन तो सी.पी.आई. से है।

श्री केदारनाथ : गठबन्धन ठीक किया और आन्दोलन के लिए किया है ताकि आपके दिमाग दुरुस्त हो जायें। इसलिए नहीं किया कि इन्डीविजुअल इन्सीडेन्ट्स करें। इन्डीविजुअल रेवोल्यूशन में हमारा विश्वास नहीं है। मैं तो मानकर चलता हूं कि बाहर मास मूवमेन्ट हो। इन्डीविजुअल मूवमेन्ट मास मूवमेंन्ट से अलग है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि वह भ्रम में डालते हैं और पागल हैं। मैं ऐसे कार्यक्रम को जो कि इन्डीविजुअल इन्सीडेन्ट्स हैं उनको कोई अच्छा नहीं समझता हूं और कम से कम मैं डैमोक्रेटिक प्रोग्राम को मानता हूं और मैंने अपनी पार्टी का दृष्टि कोण रख दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में तो नहीं जाना चाहता कि सोशलिस्ट पार्टी का एक केलकुलेटेड मूव था या एक आइसोलेटेड एक्शन था। जब सोशलिस्ट पार्टी के नेता यह कहते हैं कि उनकी पार्टी का इस प्रकार का कोई मूव नहीं है या कार्यक्रम नहीं है तो मेरा मन यही कहता है कि मुझे उनकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं यह एक एक्सीडेन्ट ही मानता हूं। उस दिन भी सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा किया था और आज भी, अब प्रश्न यह रह जाता है कि इस एक्शन के ऊपर हमारा एप्रोच क्या हो। कुछ माननीय सदस्यों का खयाल यह है कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग अथवा किन्हीं परिस्थितियों के दबाव के कारण कुछ लोग इस प्रकार का एक्शन करते हैं और उसके ऊपर हमें लीनियेन्ट व्यू लेना चाहिए। मुझे उनसे सहमति प्रकट करने में भी ऐतराज नहीं है बशर्ते कि माननीय सदस्य यह मान लें कि फिर इस सदन का और इस सदन के सदस्यों के कोई प्रिवलेजेज नहीं हैं। मैं ऐसा एक अवसर पर पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हमारे विशेषाधिकार हैं, सदन के विशेषाधिकार हैं—इस आग्रह को शायद समय आ चुका है कि छोड़ देना चाहिए। हम क्यों क्लेम करते हैं इस बात का कि हम दूसरे किन्हीं लोगों की अपेक्षा या आम लोगों की अपेक्षा हम लोग इस सदन के अन्दर बैठते हैं वह भिन्न है और उन्हें विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और विशेष प्रकार के प्रिवलेजेज होने चाहिए? यह क्या कान्ट्रेडिक्टरी चीज है कि जिस समय हम रूल्स बनाने की बात करते हैं उस समय तो हम यह रूल्स बनाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस सदन के अन्दर इस प्रकार का एक्शन करेगा तो रूल्स का वायोलेशन होगा, प्रिवलेजेज का और विशेषाधिकारों का हनन होगा और जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तब हम यह सोचते हैं कि हमें इसमें इस प्रकार से नहीं उस तरह

(श्री हरिदेव जोशी)

से सोचना चाहिए। मैं बाअदब निवेदन करूंगा यदि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हमारे रूल्स में से प्रिवलेजेज को हटाने का प्रस्ताव करेंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा, हमें साहसपूर्वक इसके लिए आगे आना चाहिए। मैं आपको इन्वाइट करता हूं आप प्रस्ताव रखिए उस प्रपोजल का कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। मगर एक मेजोरिटि पार्टी के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह जिम्मेदारियां यह हैं कि हम, मुझे क्षमा किया जाय, सबको प्रसन्न करने वाली एक नीति अख्तियार नहीं कर सकते। जब कोई आदमी खड़े हो कर के यह कहता है कि आज नकली रिवाल्वर आई है, कल असली रिवाल्वर होगा, आप क्या कहना चाहते हैं उसकी बावत में। वह यह कहता है, अध्यक्ष महोदय, आपके पूछने पर कि मैंने सदन का अपमान नहीं किया है, उसके मायने, असली मायने में टैम्परामेंट वे में नहीं किया, सोच कर किया है और जो आदमी सोच करके, विचार करके, बुद्धिमत्तापूर्वक इस सदन के अन्दर रिवाल्वर बतलाता है, उसको आप क्या कहना चाहते हैं। यह ठीक है कि माननीय सदस्यों में से इसको किसी ने भी वाजिब नहीं कहा है किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह कहता है कि आज यह असली रिवाल्वर नहीं किन्तु कल असली रिवाल्वर आ सकती है उसके ऊपर आपको क्या कहना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बचपना।

श्री हरिदेव जोशी : और मैं समझ सकता हूं कि जब कोई गांव का ग्रामीण, साधारण आदमी जिसका जूता फटा हुआ हो और जो किसी उत्तेजनावश आकर इस प्रकार का कार्य करे लेकिन एक कालेज का विद्यार्थी जो आज देश के अन्दर आम औसत के पढ़े लिखे लोगों में से अधिक पढ़ा लिखा है, वह जब इस प्रकार का प्रदर्शन करता है तो आपको सोचना होगा कि आप कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए जहां मेरी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने मुख्य सचेतक महोदय के प्रस्ताव में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है मैं इसका भी विरोध करता हूं और इसके साथ ही साथ जो माननीय सदस्यों ने सजा कम करने की बात कही है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि हमको दृढ़तापूर्वक जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसको स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका एक असर पैदा होता है वरना निश्चित रूप से कोई भी चाहे भटका हुआ ही समझ लीजिए, कोई भी आदमी आकर के आपके सदन की घण्टे, डेढ़ घण्टे की कार्यवाही खराब कर दे और अगर हर रोज इस प्रकार की कार्यवाही के लिए आप घण्टा डेढ़ घण्टा हर रोज ईयर मार्क कर देते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करते हैं और इसलिए मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री गौरीशंकर : एक सैकिंड।

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने इस वक्त तीन बातें हैं। मूल प्रस्ताव जो मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसमें उन्होंने सात दिन की सादा सजा का प्रस्ताव रखा है। माननीय श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने उसमें एक दिन की सजा का संशोधन किया है। माननीय श्री गुमानमल जी लोढ़ा ने दो दिन की सजा का प्रस्ताव रखा है। तीन मुद्दे सामने हैं इस विषय पर। मैं पहले.... ।

कई माननीय सदस्य : चौथा और है।

श्री अध्यक्ष : हां, एक पन्द्रह दिन की सजा का और है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आसन पर छोड़ने का भी है।

श्री अध्यक्ष : उसका फैसला तो मैं कर चुका हूं। पन्द्रह दिन की सजा करने के बारे में धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उप नेता महोदय के कहने के बाद में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की इजाजत दे दी जाय।

(स्वीकृत)

अब तीन प्रश्न रह जाते हैं। पहले संशोधनों पर सदन की राय ले ली जाय, उसके बाद प्रस्ताव आवेगा। जो पहले रामानन्दजी अग्रवाल ने एक दिन की सजा का प्रस्ताब किया है मैं उस पर राय लेता हूं। जो माननीय सदस्य एक दिन की सजा के पक्ष में हों वे हां कहें।

(स्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

दूसरा संशोधन जो दो दिन की सजा का है, जो उसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(स्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव, जो मुख्य सचेतक महोदय का है और जिसके द्वारा एक सप्ताह की सादा सजा का प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब आगे की कार्यवाही जारी रखी जाय।

राज्य की खाद्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं के अभाव पर अग्रेतर विचार

श्रीमती निर्मलासिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उसके संदर्भ में मैंने यह कहा कि हमारी जो सरकार की नीति थी जो एक वरदान सिद्ध हो सकती थी, वह नीति

(म. प. 4.47 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जो असफल रही है उसमें भ्रष्ट नौकरशाही का हाथ रहा है जिसका प्रमाण भी मैंने प्रस्तुत किया और इसके साथ यह भी बता

(श्रीमती निर्मला सिंह शक्तावत)
हूं कि जब हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तथा केबिनेट ने यह निर्णय ले लिया कि अनाज की जो जिलाबन्दी है उसे समाप्त कर दिया जावे फिर भी उन जिला प्रशासकों ने जिलाबन्दी समाप्त करने में देरी की और कई दिनों तक उसे रोके रखा इसलिए कि जो उनको नियमित रिश्वत की आमदनी थी उसमें कमी नहीं आ जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगी कि इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका स्थानान्तरण कर देने से ही काम नहीं चलेगा और जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक भ्रष्टाचार जो मैट्रिकली बढता रहेगा। वे अधिकारी लाखों से निर्मित मकान कहां से बना रहे हैं। कहां से उनके पास इतना धन एकत्रित हो गया, इस सब की न्यायिक जांच की जानी चाहिए, तभी जाकर हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनाज की जो समस्या है वह राजनीतिक नहीं है, यह मानव की जिन्दगी से सम्बन्धित है। मानव अपनी भूख को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता है अतएव हमें इस समस्या का समाधान करना ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि अनाज जो हमारे देश में पैदा हुआ, सरकारी रिकार्ड बताता है कि दस करोड़ टन अनाज पैदा हुआ तो आखिर वह कहां उड़ गया? कहां चला गया वह अनाज और व्यक्तियों के पास क्यों नहीं पहुंच पाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा कारण जो अनाज नहीं पहुंच पाया उसका यही है कि जो प्रक्योरमेंट प्राईज रखी गई वह वास्तव में बहुत कम रखी गई। इतनी कम कि किसान का जो उत्पादक मूल्य है उससे मेल नहीं खाती इसलिए कोई व्यक्ति नुकसान देकर अपनी चीज बेचना नहीं चाहेगा। केन्द्रीय सरकार ने प्रक्योरमेंट प्राईज बढाने का निर्णय ले लिया है और राज्य सरकार भी निर्णय लेने जा रही है, यह एक सराहनीय कदम है और आशा है कि इस स्थिति में कुछ सुधार होगा।

दूसरी कमी जिसकी वजह से हम अनाज का पूरा प्रक्योरमेंट नहीं कर पाए, केवल 49 प्रतिशत ही प्रक्योरमेन्ट कर पाए, उसका कारण यह है कि जिन किसानों से अनाज लिया उनको समय पर पेमेंट नहीं किया गया। कई कई दिनों तक सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला। मेरे सामने कई प्रमाण हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बता रहे थे कि तीन तीन महीने से पेमेंट नहीं मिला है। एक तो किसान पहले ही बहुत अधिक गरीब अवस्था में रहता है और जो कुछ उत्पादन करता है वह साल भर के लिए होता है। यदि उसको समय पर पेमेंट नहीं किया जाय तो ऐसी स्थिति में वह सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों ने बाहनों का दुरुपयोग किया है। इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि वही पैसा किसानों को दे दिया जाए और उनको एक निश्चित स्थान और

(श्रीमती निर्मला सिंह)

एक निश्चित केन्द्र पर अनाज लाने का बता दिया जाए तो वे अपने अनाज को वहां पर प्रसन्नता के साथ ला सकते हैं। आज जो हमारे यहां पर खाद्यान्नों की जो कमी दिखाई देती है उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जैसा कि यहां पर माननीय मंत्री महोदय ने बताया है आज तक केवल 13 व्यक्तियों के खिलाफ कालाबाजारी, जमाखोरी के कारण कार्यवाही की गई है और उनको सजाएं दी गई हैं। राजस्थान भर में क्या 13 ही ऐसे व्यक्ति हैं? इतने बड़े राजस्थान में क्या जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले 13 ही व्यक्ति हैं। यह मानने के लिए मेरी जो बुद्धि है, तैयार नहीं हैं। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं 13 जमाखोर तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही बता सकती हूं। इस प्रकार जमाखोरों को प्रोत्साहन देना और नौकरशाही द्वारा उनको प्रश्रय देना निरन्तर हमारी नीतियों को असफल करना है। इतना ही नहीं जब नौकरशाही इन जमाखोरों के खिलाफ छापा मारने के लिए जाती है तो उनको पहले से सूचना दे दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर छापा मारा जा रहा है और समय रहते ही जमाखोर, कालाबाजारी सचेत हो जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम खाद्यान्नों के मूल्य में कमी करने में असफल रहेंगे।

खाद्यान्नों की स्थिति को सुधारने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह अधिक आवश्यक है। यदि किसानों को खाद्यान्नों को बोने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया और दूसरी फसलों की तरफ किसान का ध्यान चला गया तो उस स्थिति में खाद्यान्नों की समस्या जो है वह स्थायी रूप ले सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को खाद्यान्न बोने के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। विशेष प्रकार का प्रलोभन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे इस कार्य के लिए तैयार हो सकें आज किसानों के पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, खाद नहीं है। तो निश्चित रूप से मंहगाई बढ़ेगी। 26 वर्षों के प्रयास के बाद हम केवल 32 प्रतिशत भूमि के ऊपर ही सिंचाई की व्यवस्था कर पाए हैं। इस वर्ष काफी बाढ़ें आई हैं, हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है परन्तु उस पानी को नहीं रोका गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर अधिक वर्षा होती है और वहां मैदानी क्षेत्र है। अधिक वर्षा के कारण इस वर्ष 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। केवल मक्का ही नहीं अन्य फसलें तिलहन आदि जो दूसरी फसलें होती हैं वे भी केवल दस प्रतिशत बची है। ऐसी स्थिति के अन्दर यदि इन स्थानों के ऊपर कच्चे बांध बांध लिए जायें तो स्थिति में सुधार हो सकता है। मैंने राज्य सरकार से निवेदन भी किया है और यहां पर पुनः निवेदन करूंगी कि बेरज नदी के घोसून्डा नामक स्थान पर और बगड़ नदी के स्थान पर यदि बांध बना दिया जाये तो उससे हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है और जो अत्यधिक अति वृष्टि होती है उससे होने वाली परेशानी भी दूर हो सकती है और खाद्यान्नों की जो

(श्रीमती निर्मला सिंह)

समस्या है उसका भी हम समाधान ढूंढ़ निकाल पाएंगे । आज केवल अनाज ही नहीं, हर चीज, चीनी, गुड़, केरोसीन और अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का अभाव बढ़ता जा रहा है । इस स्थिति में मैं यह कहूंगी कि राशनिंग की जो व्यवस्था है, उसको सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति को एक महीने में कितना–तीन किलो अनाज दिया जाता है, एक व्यक्ति को चीनी केवल 350 ग्राम दी जा रही है । तो वह ब्लैक मार्केट में खरीदने नहीं जायगा तो कहां जायेगा । जो गृहणियां अपना घर चलाती हैं वे जानती हैं कि कितनी मुश्किल है । वे कितनी अधिक परेशान हैं वे ही जानती हैं ? माननीय खाद्य मंत्री ने यहां पर कहा है कि राशनिंग का प्लानिंग किया जा रहा है । मैं पूछना चाहती हूं कि यह प्लानिंग कब तक क्रियान्वित होगा । ऐसा न हो कि यह प्लानिंग केवल कागज पर ही बना रह जाए और वास्तविकता में इसको परिणित करने में इसको लम्बा समय लग जाए । खाद्य मंत्री महोदय से पुर जोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तभी ठीक हो सकेगी जब कि हमारे देश के लोगों के मुरझे हुए चेहरों पर वे खुशी ला सकेंगे । आज गरीब तबके के लोगों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सहनशीलता की सीमा पार हो गयी है । उनकी सहनशीलता खतम हो गई है। ऐसी स्थिति में इस मंहगाई को रोका जाए, उचित मूल्य पर उन्हें आवश्यक वस्तुएं मुहैय्या करायी जाएं तो सम्भव है कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकेंगे । यद्यपि आज जो यह मंहगाई बढ़ती जा रही है उसका एक कारण यह बताया जा रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हुई है। निःसन्देह यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण हो सकता है लेकिन पिछले 7–8 महीनों में इतनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है, जनसंख्या की रफ्तार इतनी अधिक नहीं रही है जितनी कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। केवल खाद्यान्न ही नहीं जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें भी बहुत अधिक मूल्य वृद्ध हुई है। खास तौर से गेहूं का उदाहरण तो सामने है। इसके अलावा मिट्टी का तैल उपलब्ध नहीं है। गैस भी उपलब्ध नहीं है। आज जयपुर की यह स्थिति है कि गैस नहीं मिल रही है। मध्यम वर्गीय परिवार ने गैस इस आशा से ली थी कि उन्हें सुविधा होगी परन्तु आज गैस भी नहीं मिल पा रही है । मध्यमवर्गीय परिवारों ने गैस इस आशा से खरीदी थी कि इससे उनका कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा और जो परेशानियां होती हैं वे दूर होंगी। परन्तु इस क्षेत्र में भी स्थिति दयनीय है । इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो कुछ हो गया वह तो ठीक है परन्तु आगे के लिए हमें समझ लेना चाहिए । आगे के लिए ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे कीमतों में वृद्धि हो। इसके लिए मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगी और पहला सुझाव तो यह है कि आज सारे राजस्थान के अन्दर बहुत अधिक वर्षा हुई है। उस स्थिति में हमारे यहां पर रबी की फसल बहुत ही अच्छी होने के आसार हैं। और यह तभी हो सकता है जबकि हम इसके लिए वार फूटिंग पर काम करें । सभी किसानों को समय पर बीज उपलब्ध करावें यदि किसानों को समय पर बीज दे दिया जाए तो उससे उत्पादन अच्छा होगा परन्तु

(श्रीमती निर्मला सिंह)
यदि हमने यह काम भी लालफीताशाही के हाथों सौंप दिया, उन्हीं के ऊपर यह सारा काम छोड़ दिया....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो मिनिट का समय और लूंगी। क्यों कि अभी पहला सुझाव ही दिया है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय जब तक माननीय सदस्या का भाषण समाप्त न हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्याक्ष : क्या समय बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय सदस्या के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : ऐसी स्थिति में लालफीताशाही के ऊपर काम को न छोड़ा जाए। छुट्टियों में वे बीज का वितरण नहीं करते हैं और इस प्रकार समय पर बीज का वितरण नहीं होगा। प्रकृति इसका इन्तजार नहीं करती है। समय पर बीज का वितरण किसानों को नहीं होगा तो क्या फायदा होगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि और खास तौर से खाद्य मंत्री जी से कि समय पर बीज का वितरण कराया जाए ताकि अच्छी फसल हो और जिससे स्वतः ही मंहगाई समाप्त होगी। दूसरा सुझाव मेरा बिजली के संबंध में है। बिजली गांवों में अतिशीघ्र दी जानी चाहिए। बिजली नहीं होने की वजह से किसानों को उत्पादन अच्छी तरह से करने में परेशानी होती है। वे ठीक प्रकार से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। हम उत्तरप्रदेश को बिजली देने की बात सोच रहे हैं। क्या हम तार और दूसरे साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकते ताकि यह बिजली जो सरप्लस है वह हमारे प्रान्त को देकर हम ग्रामीण व्यक्तियों की मदद कर सकें? तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहूंगी कि राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान दे, और उन स्थानों पर जहां कि पानी के सोर्सेज हो सकते हैं हरेक गांव में बिजली देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक सुझाव इसमें मेरा यह है कि बीज और खाद खरीदने के लिए बैंकों से अल्पकालीन ऋण देने की किसानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से यह ऋण दिया जाना चाहिए। को-आपरेटिव सहकारी बैंक वह समितियों को ही ऋण देता है, और समितियों के जो पदाधिकारी हैं वह उस धन का उपयोग मनमाने तरीके से करते हैं। अतएव व्यक्तिगत रूप से जिन किसानों के पास में जमीन है उनको जब तक फसल आये तब तक के लिए ऋण देने के लिए व्यवस्था इन बैंकों के माध्यम से की जानी चाहिए। ऋण की वापिस वसूली भी नाज में करली जाय जिससे कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य है वह पूरा हो सके, और किसान भी अधिक उत्पादन कर सकें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि हरित क्रान्ति के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और पढ़ा। कई व्यक्तियों ने यह भी कहा कि अब स्थिति यह आने वाली है कि हमारे यहां

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

पर नाज सरप्लस होगा और विदेशों के सामने अन्न के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। क्या कारण है कि यह हरित क्रांति फैल हो गई? इसके कई कारण हैं। सर्व प्रथम कारण तो यह है कि समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पाता जिसकी वजह से यद्यपि किसान यह चाहता है कि अच्छी फसल पैदा हो और वैज्ञानिक तरीकों से वह फसल को बोये और अधिकतम पैदावार करे वह नहीं कर पाता है, और उसकी जो आशा है वह निराशा में परिवर्तित हो जाती है। आखिर यह क्रम कब तक चलता रहेगा? मेरी यह समझ में नहीं आता है। कई बार राजस्थान सरकार से मैंने यह निवेदन किया कि राजस्थान में खाद का कारखाना निश्चित रूप से खोला जाना चाहिए, और सरकार भी इस क्षेत्र में प्रयत्नशील है, यह मैं मानती हूं, परन्तु यह प्रयत्न अधिक शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। खाद का कारखाना उसी स्थान पर खोला जाना चाहिए जहां पर कि विशेषज्ञ उचित समझते हैं, और वह स्थान राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ही है। अगर फर्टीलाइजर का कारखाना राजस्थान में पूरा करा सके तो ऐसी स्थिति में मंहगाई स्वतः ही कम हो जायेगी।

एक और मेरा सुझाव है और वह यह है कि प्रोक्योरमेंट की प्राइस हम राजस्थान में निश्चित करें तो वह उतनी करें कि जिससे किसान को अपने उत्पादन मूल्य पर मार्जिन मिल जाय। वह उत्पादन मूल्य से कुछ अधिक होना चाहिए तभी जाकर किसान जो है अनाज का उत्पादन कर पायेगा। इसके साथ ही हर स्थान पर चूंकि उत्पादन की व्यवस्था अलग अलग होती है तो विशेषज्ञों से इसके बारे में विशेष तौर से राय ले लेनी चाहिए। मैं अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर यह कहूंगी कि किसानों को 100) रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से दें तो उपयुक्त रहेगा, और इसके ऊपर विशेषज्ञों की राय लेली जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

इससे हम मंहगाई को कम कर सकते हैं और निसन्देह कम कर सकते हैं यदि हम एक होकर वार फुटिंग पर काम करें। हम युद्ध के समय में एक हो जाते हैं तो क्या आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है उस समय एक नहीं हो सकते? हम अलग अलग राजनैतिक पार्टियां अलग अलग समस्याओं को लेकर खडी होती हैं। मैं समझती हूं कि हम सबको मिल कर, एक साथ होकर कार्य करना है, और खास तौर से राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि यदि हमने नौकर शाही के लिए कुछ नहीं किया तो हम अभी भी इस कार्यवाही में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम भ्रष्ट नौकरशाही को नहीं दबायेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे तो हमें सफलता मिलना कठिन है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 9 अक्टूबर, 1973 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बजकर 5 मिनिट पर बृहस्पतिवार दिनांक 9 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

25. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सत्य है कि जिला गंगानगर में नये ट्यूब वैल लगाते समय किसानों से विद्युत् विभाग 12,000/– रुपये की धनराशि जमानत के रूप में लेता है ?

(ख) क्या सरकार इतनी बड़ी धन राशि गरीब किसानों से जमानत के रूप में लेना उचित समझती है ?

(ग) क्या सरकार इस नीति को समाप्त करके किसानों को प्रोत्साहन देगी और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी नहीं, यह पद्धति पूरे राजस्थान के लिये लागू की गई थी न कि केवल गंगानगर जिले के लिये।

(ख) यदि राशि बिजली के मासिक बिलों के अग्रिम भुगतान के रूप में ही चाही गई थी जिससे कि ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्हें प्राथमिकता सूची के आधार पर बजट प्रावधान के अनुसार इस वर्ष कनेक्शन देने की सम्भावना न हो, उच्च प्राथमिकता में कनेक्शन दिये जा सकें। इसी प्रकार की पद्धति टेलीफोन कनेक्शन देने में आज भी लागू है। अतः अनौचित्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह पद्धति मण्डल के 26 सितम्बर, 1973 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है।

जयपुर उद्योग लि. पर रायल्टी एवं डेड रेन्ट की बकाया राशि

26. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर पर लाइम स्टोन की रायल्टी एवं डेड रेन्ट की कितनी राशि कब से बकाया है ?

(2) उक्त बकाया रकम को वसूल करने के लिये राज्य सरकार ने उक्त उद्योग को कब कब नोटिस दिये ?

(3) बकाया राशि समय पर जमा न कराने के लिए नियमों में क्या दण्ड है ?

(4) उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर उद्योग लि. सवाईमाधोपुर में रायल्टी अथवा डेडरेन्ट की कोई राशि बकाया नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) बकाया राशी समय पर जमा नहीं कराने पर प्रधान खनिज रियायती नियम 1960 के खण्ड 27 (5) तथा संविदा के भाग 7 (ix) अनुभाग 2 व 3 के अनुसार पार्टी को 60 दिवसीय नोटिस जारी कर

(श्री खनिज मंत्री)

पूर्ति न करने पर शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है।

(4) वर्तमान परिस्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटपूतली का नया अस्पताल

27. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली के 100 शैय्या के नये अस्पताल के लिये सामान खरीद लिया गया है तथा कुछ स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है।

(2) क्या यह सही है कि अस्पताल का भवन भी बन चुका है लेकिन अभी तक सरकार ने नये भवन में अस्पताल चालू करने की स्वीकृति नहीं प्रदान की है ?

उत्तर

(1) सरकार की स्वीकृति केवल 50 शैयाओं की है जिसके लिये सामान खरीदा गया है।

(2) जी हां,। लेकिन उसमें टेलीफोन, बिजली, नल आदि की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्य पूर्ण होते ही अस्पताल को चालू करने की कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा वृद्धि में आये गावों के निवासियों की भूमि

-8. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा वृद्धि के कारण इसमें आये हुए गांवों के निवासियों को उनके द्वारा बिला नाम भूमि पर, अथवा लोगों की खाते की भूमि क्रय करके या उनके स्वयं के खाते की भूमि पर बनाये हुए बाड़ों और मकानों को अवैध रूप में बनाना करार देते हुए राजस्व अधिकारी सैंकड़ों ही नहीं हजारों रुपये के मांगपत्र भेजते हुए परेशान और तंग कर रहे हैं ?

(2) क्या इससे छुटकारा दिलाने हेतु राज्य सरकार सीमा वृद्धि के कारण नगर परिषद् क्षेत्र में आये हुए इन गांवों को पूर्ववत् ग्रामीण क्षेत्र में ही शुमार करते हुए परिपत्र क्रमांक पत्र प. 6 (17) राज,। 71, दिनांक 3-7-71 के अनुसार इन बाडों और मकान को रैगुलराइज करने का आदेश प्रदान करने जा रही है ?

(3) विधान सभा में दिनांक 25-5-72 को मंत्री महोदय द्वारा दिये इस आश्वासन के अनुसार कि ग्रामवासियों को आवास सुविधायें सुलभ ढंग से उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए वे शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करावेंगे ? यदि हां, तो राजस्व सचिवालय के अधिकारियों का यह फर्ज नहीं था कि परिवर्तित संदर्भों में आवास की सुविधायें सुलभ ढंग से उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की नीति और मंत्री महोदय के दिये हुए आश्वासनों को ध्यान रखते हुए तुरन्त ही इस दिशा में अनुकूल कार्यवाही करते जब कि डेढ़ वर्ष बीत रहा है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) मांग-पत्र नियमानुसार जारी किये गये हैं। परेशान एवं तंग करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) मामले का परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) विधान सभा में मैंने इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्व विचार करने को कहा था इस संबन्ध में जहां तक परिवर्तन शुल्क (कनवर्सन रेट) का प्रश्न है, इस पर पुनः विचार किये जाने का निर्णय लिया जाकर मामला परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इमरजेन्सी में डाक्टरों को बुलाने हेतु वाहन आदि का प्रबंध

29. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के हास्पिटल्स में इमरजेन्सी में डाक्टरों को बुलाने के लिए वाहन आदि का समुचित प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? यदि ऐसी व्यवस्था है तो कहां कहां क्या क्या है?

(2) क्या यह सही है कि इमरजेन्सी में डाक्टरों को बुलाने के लिए अस्पताल की एम्बुलेन्स का प्रयोग होता है?

(3) क्या यह सही है कि डाक्टरों के बुलाने के लिए एम्बुलेन्स के प्रयोग से इमरजेन्सी में मरीजों को समय पर एम्बुलेन्स से नहीं लाया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) बीकानेर जनरल अस्पताल में कितनी एम्बुलेन्स गाड़ियां हैं और उनमें से कितनी सही हालत में ओन रोड हैं? यदि कोई खराब है तो कितने समय से है?

उत्तर

(1) बड़े अस्पतालों में सी. ए. एस. डाक्टरों को 24 घंटे की इमरजेन्सी सेवा उपलब्ध है। शेष अस्पतालों में बुलाने पर डाक्टर आते हैं। वाहन व्यवस्था कहीं नहीं है।

(2) जी नहीं। किन्हीं विशेष स्थितियों में ऐसा होता हो तो इसकी जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) अस्पताल की ऐम्बुलेन्स गाड़ियां खराब हो जाने से दो विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

नागौर जिलाधीश कार्यालय के स्टेनो का निलम्बन

30. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर के जिलाधीश श्री हनुमान प्रसाद ने अपने स्टेनो को जायल पंचायत समिति के शिक्षा

(श्री रामसिंह कुड़ी)
प्रसार अधिकारी श्री ब्रह्माराम से 500/- रु. लेने के अपराध में सस्पेण्ड किया ?

(2) यदि हां, तो मंत्री महोदय को यह जानकारी में है कि श्री ब्रह्माराम ने यह रकम क्यों दी व वापिस क्यों प्राप्त की ?

(3) क्या श्री ब्रह्माराम के विरुद्ध भी इससे सम्बन्धित कोई जांच जिलाधीश नागौर के पास चल रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ? और यदि पूरी हो गई है, तो क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री डी. के. बंसल को श्री ब्रह्माराम शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति जायल से 500/- रु. रिश्वत प्राप्त करने के मामले एवं अन्य आरोपों पर निलम्बित किया था।

(2) श्री बंसल द्वारा श्री ब्रह्माराम के फर्जी टी. ए. बिल में पुलिस में केस देने व उसे डिसमिस कराने की धमकी देकर घूस लेना जाहिर हुआ है। लेखा लिपिक द्वारा पूछने पर 500/- रु. पेश किए गए जो ब्रह्माराम को दिलाए गए।

(3) श्री ब्रह्माराम के विरुद्ध अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

यदि वे दोषी पाये गए तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग को लिख दिया जायगा।

फतेहपुर के बीहड़ की भूमि

31. श्री झाबरमल सून्डा : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फतेहपुर जिला सीकर के बीहड़ की करीब 8700 एकड़ भूमि शीप एण्ड वूल विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फतहपुर कस्बे के पुराने धार्मिक स्थान 'बुधगरजी' के नाम से करीब 172 बीघा भूमि अलाट की गई ? यदि हां तो वह भूमि किस उद्देश्य से छोड़ी गई है ?

(3) क्या यह भूमि बुधगरजी के नाम से अलाट की गई है या इस स्थान के किसी पुजारी अथवा महन्त के नाम तथा यह भूमि इस समय किसके अधिकार में है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बीहड़ की करीब 587 बीघा भूमि स्थानीय गौशाला के लिये भी छोड़ी गई है ? यदि हां, तो इस गौशाला के लिये इतनी भूमि छोड़ने की रियायत किस आधार पर की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि गौशाला के लिये भूमि छोड़ने से पूर्व गौशालाओं की गायों की संख्या की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में उक्त गौशाला में गायों की औसत संख्या क्या है ?

(6) क्या यह सही है कि इस बीहड़ के आसपास के गांव फतहपुर, गांग्यासर, गारीण्डा, हरसावा छोटा व बड़ा, रिणाऊ,

(श्री झाबरमल सून्डा)
माण्डेला तथा दौलताबाद आदि के पशुओं के चरने के लिये भी इसी बीहड़ में व्यवस्था थी ?

(7) क्या आसपास के उक्त गांवों के पशुओं के लिये भी चरनोट की भूमि की व्यवस्था इस बीहड़ से का गई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों और अब कब तक उक्त गांवों के मवेशियों के लिये चरनोट की भूमि की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, भूमि भेड़ प्रजनन केन्द्र हेतु आवश्यकतानुसार लीज पर दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) भूमि वन विभाग के अधिकार में है । किसी को भी आवंटित नहीं की गई है ।

(4) जी हां । 567 बीघा भूमि गौशाला को दी गई है ।

(5) जी हां । गौशाला को भूमि देने के समय उनके पास 318 पशु थे । पिछले 5 वर्षों में इस गोशाला में गांवों की औसत संख्या 300 रही है ।

(6) जी नहीं । जो भूमि गौशाला को दी गई है उस पर भूतपूर्व राव राजा सीकर के घोड़े चरते थे ।

(7) आसपास के गांवों में अलग से चरागाह कायम हो चुके हैं । प्रश्न में वर्णित गांवों के लिए 1558 बीघा 16 बिस्वा चरागाह उपलब्ध है एव पशुओं की सं. 5479 है । नियमानुसार चरागाह उपलब्ध कराने के बारे में पुनर्विचार कर शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जावेगी ।

सीकर जिले के औषधालयों में दवाओं का अभाव

32. श्री सावरमल मौर (श्रीमाधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले के किन किन सरकारी औषधालयों को, कितनी कितनी दवा सरकार की ओर से दिये जाने का प्रावधान है ? जनवरी, 1973 से अगस्त, 1973 तक किस किस औषधालय को कितने कितने रुपयों की दवा दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) समय पर औषधालयों को दवा व अन्य सामान न देने से चिकित्सक रोगी की क्या व्यवस्था करते हैं तथा दवा नहीं देने का क्या कारण है ? नियमानुसार अब दवा कब तक भेज दी जायेगी तथा विलम्ब करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के वार्डों की सफाई की व्यवस्था

33. (25।स्वा. मं.) श्री विजयसिंह : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के वार्डों को सफाई नियमित रूप से की जाती है ? यदि

(श्री विजयसिंह)
हां, तो क्या उन वार्डों की सफाई की दृष्टि से कभी निरीक्षण भी किया जाता है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कितनी अवधि में यह निरीक्षण किया जाता है तथा अन्तिम निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल के वार्डों में बहुत बदबू आती है और खटमल तथा मच्छरों से मरीज परेशान रहते हैं?

उत्तर

(1) जी हां, सफाई का निरीक्षण प्रतिदिन प्रधान उपचारिका, सहायक प्रधान उपचारिका व सुपरवाइजर चतुर्थ श्रेणी द्वारा किया जाता है यदि किसी स्थान पर कोई कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने के लिए सम्बन्धित सफाई कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। समय समय पर उपाधीक्षक द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को अधीक्षक, प्रधान उपचारिका, सुपरवाइजर तथा अन्य सम्बन्धित द्वारा सामुहिक रूप से पूरे भवन का निरीक्षण किया जाता हैं, और जो कुछ भी कमियां पाई जाती है उनको दूर किए जाने के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को आदेश दे दिए जाते हैं। यह सब कार्य ाही मौखिक रूप से होती है। अतः अन्तिम निरीक्षण प्रतिवेदन भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

चांदराना बांध

34. (72।रा. मं.) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चांदराना (तहसील दौसा) बांध का कितना कार्य पूरा हो चुका? इससे कितनी नहरें निकाली जावेंगी और कहां तक पानी दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि नदी के उत्तर की ओर के क्षेत्र में से भी बांध निर्माण में जमीन आई है? यदि हां, तो क्या उधर के गांवों को भी उक्त बांध से पानी दिया जावेगा?

उत्तर

(1) इस बांध पर अब तक 13·56 लाख रुपए का कार्य हो चुका हैं। इस बांध से केवल एक ही नहर निकालने का प्रावधान है जिससे चन्द्राना भालपुरा, खुरी कलां और सीतापुरा आदि ग्रामों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(2) जी हां। उधर के गांवों को इस बांध से पानी नहीं दिया जा सकेगा।

अकलेरा प्राथमिक शाला भवन के मैदान के सामने की भूमि की नीलामी

35. श्री भैरूलाल (अकलेरा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मनोहर थाना (जिला झालावाड़) ने 5 वर्ष पूर्व अकलेरा प्राथमिक शाला भवन के मैदान के सामने की भूमि प्लाट बनाकर

(श्री भैरूलाल)
नीलामी द्वारा बेची, एवं खरीददारों से उसकी सम्पूर्ण कीमत समय पर जमा कराई है।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन तहसीलदार अकलेरा की रिपोर्ट पर तत्कालीन जिलाधीश भालावाड़ ने उक्त नीलामी पर स्थगन आदेश कर खरीददारों को अपनी खरीद शुदा भूमि पर भवन निर्माण से वंचित रखा तथा वे अभी तक भी वंचित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतने लम्बे अर्से के उपरान्त भी खरीददारों को अभी तक कोई सन्तोषप्रद आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और वे अब भी अपनी रकम एवं भूमि दोनों से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही कोई आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

क्रेश प्रोग्राम के तहत जिला जोधपुर को आवंटित राशि

36. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्रेश प्रोग्राम के तहत भारत सरकार से कुल कितना रुपया जिला जोधपुर को आवंटित किया गया ? यह योजना किस आधार पर लेने के भारत सरकार के निर्देश हैं ?

(2) तहसीलवार इस कार्यक्रम के तहत कितना कितना रुपया किन किन मदों पर खर्च किया गया ?

उत्तर

(i) वर्ष	1971–72	12,50,000
वर्ष	1972–73	17,50,000
वर्ष	1973–74	10,83,000

यह योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु प्रारम्भ की गई है इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सडक, सिंचाई, भूसंरक्षण जंगलात, स्कूल भवन इत्यादि स्थाई एवं लाभप्रद निर्माण कार्य ही लिये जा सकते हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले के मृतक व घायल सैनिकों के वारिसों को भूमि का अलॉटमेंट

37. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले के मृतक व घायल सैनिकों के किस किस वारिस को कितनी कितनी जमीन किस जगह 1965 से अब तक दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) मृतक सैनिकों के वारिसान में से किस किस ने अपनी जमीन कितने कितने रुपयों में बेच दी है ?

(3) क्या सैनिकों के किसी वारिस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को एक से अधिक बार जमीन अलॉट की गई है ? यदि हां, तो किस किस को और क्यों ?

(4) क्या अलॉट को हुई जमीन को नियमानुसार कुछ अर्से तक बेचने की पाबन्दी है ? यदि हां, तो कितने समय तक ? तथा बेचने के लिये किसकी आज्ञा की आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री मंगतू राम पुत्र उदाराम अहीर पिता मृतक नायक रामजीलाल नं. 4145077 ग्राम पोलादपुर, तहसील बहरोड जिला अलवर को 25 बीघा भूमि आवंटित की थी जो उसने 80,000) रु. में विक्रय करदी है।

(3) प्रार्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये पहले के आदेशों को निरस्त कर जहां आवश्यक समझा गया, पुनः भूमि का आवंटन किया गया। सूची के कालम 6 में यह सूचना उपलब्ध है।

(4) हां, राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है कि आवंटित भूमि का विक्रय जिलाधीश की स्वीकृति प्राप्त कर हो सकता है बशर्ते कि आवंटित की हुई भूमि की कीमत चुका दी गई हो एवं भूमि के आवंटन को सात वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो। टैनेन्सी एक्ट में ऐसी भूमि को बेचने का प्रावधान खातेदारी राइट्स प्राप्त कर लेने पर दस वर्ष का है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

ग्राम बकानी व असनावर में फेमिली प्लानिंग सेन्टरों पर डाक्टरों की नियुक्ति

38. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बकानी व असनावर (जिला झालावाड़) में फैमिली प्लानिंग सेण्टरों पर लगभग एक साल से कोई डाक्टर नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों पर डाक्टरों के स्थान पर लेडी डाक्टरों की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम बकानी व असनावर (जिला झालावाड़) में फैमिली प्लानिंग सेन्टरों पर गत एक साल से कोई डाक्टर नहीं है। क्योंकि गत वर्ष में महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं लगाया गया था।

(2) जी हां, अब लेडी डाक्टरों का पोस्टिंग शीघ्र ही सम्भवतः इस माह के अन्त तक किया जाना सम्भव हो सकेगा।

निर्माण कार्य

39. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में बरडिया बांध बनाने बावत सर्वे होकर कम्पलीट स्कीम स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बांध पर कुछ दिन कार्य भी चला है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) क्या अब भविष्य में इस बांध का कार्य जल्दा चालू कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। माह दिसम्बर 72 में यह योजना स्वीकृत हुई।

(2) जी हां। इस पर अब तक लगभग 1.55 लाख रुपये खर्च हुए।

(3) कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

ब्यावर रेंज के भूतपूर्व रेंजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई कार्यवाही

40. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की ब्यावर रेन्ज के भूतपूर्व रेन्ज आफिसर भवानी शंकर शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें कब प्राप्त हुई, और जांच में क्या सिद्ध हुआ ? जांच अधिकारी कब नियुक्त हुआ और उसने क्या जांच की ?

(2) क्या यह सही है कि श्री भवानी शंकर शर्मा, भूतपूर्व रेन्ज आफिसर, ब्यावर ने भ्रष्ट तरीके अपना कर पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) के ग्राम पंचायत नाई कलां में नीमडी खेडा व नाई कलां व ग्राम पंचायत तारागढ़ के शेरों का वाला जंगल के नोटिफाईड एरिया को स्थानीय लोगों से मिल कर छोड दिया ? यदि हां, तो कुल कितना रकबा छोडा गया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री शर्मा ने खरबा (मसूदा) पालूना (जवाजा) में लोगों की काश्त भूमि व शिड्यूल्ड कास्ट के रहने वाले लोगों के मकान तक पारेबन्दी में ले लिये।

(4) क्या यह सही है कि श्री भवानी-शंकर शर्मा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध जांच न करवा कर उल्टा उसके गांव श्रीनगर के पास सरवाड रेन्ज में स्थानान्तरित कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार अब भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जांच करवायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत 7-5-73 को प्राप्त हुई। जांच अधिकारी 26-6-73 को नियुक्त किये गये। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) स्थानान्तर सारवाड़ रेन्ज का रिक्त पद भरने हेतु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया था। शिकायत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। शिकायत की जांच जारी है।

पाली वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति

41. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति जिसमें व्यवस्थापक का कार्य श्री धेराराम कर रहा हैं के सम्बन्ध में वर्ष 71—72 के आॅडिट के अनुसार काफी गबन और अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है? आॅडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रार, पाली द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई परन्तु वह कार्यवाही बाद में स्टे कर दी गई? यदि हां, तो यह कार्यवाही स्टे किस कानून और नियमों के तहत किस प्रकार व क्यों की गई?

(3) इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां, अनियमिततायें बताई गई हैं। आॅडिट रिपोर्ट वर्ष 71—72 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आॅडिट व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सांचोर में क्रेश कार्य पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्रेश कार्य पर लगे मजदूरों की काफी मजदूरी काफी महीनों पहिले की भुगतान करनी शेष है? अगर हां, तो किस किस कार्य की कितनी कितनी मजदूरी कब कब की अब तक भुगतान करनी शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अब तक उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान नहीं होने के क्या कारण थे? अब भुगतान कब तक करवा दिया जावेगा? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सांकड से गुजरात बोर्डर सड़क निर्माण कार्य की मजदूरी दिनांक 1-1-72 से 10-1-72 तक की कुल 1644/— भुगतान किया जाना शेष है।

(श्री विकास मंत्री)

(2) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन होने से भुगतान नहीं किया जा सका है। निर्णय होते ही भुगतान करना दिया जावेगा।

नदबई तहसील में सेटिलमेंट का कार्य

43. श्री नत्थासिंह (नदबई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि नदबई तहसील में सेटिलमेंट (बन्दोबस्त) आपरेशन सन् 1965 से चल रहा है और इस कारण किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है।

उत्तर

जी नहीं। दिनांक 30-8-73 से बन्दोबस्त कार्य बन्द किया जा चुका है।

सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार, उदयपुर

44. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार उदयपुर के कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विगत 6 वर्षों से उक्त भण्डार ने अपने शेयर होल्डर्स को न तो हानि लाभ का हिसाब ही भेजा और न बेलेन्स ही ?

(3) क्या यह सही है कि श्री भगवत सिंह मेहता भूतपूर्व मुख्य सचिव को भी, जो कि उक्त भण्डार के शेयर होल्डर हैं, विगत 6 वर्षों से न तो भण्डार का लाभ हानि का हिसाब एवं बेलेन्स ही उनको भेजा गया और न उन्हें मताधिकार का अवसर ही दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री मेहता को उक्त भण्डार से तारीख 19–7–1973 को बिल नम्बर 59674 से दो किलो पोस्ट मेन तेल का डिब्बा रुपये 26.50 पैसे में दिया गया जबकि उसी दिन यह डिब्बा रुपये 25.50 में सुलभ था ?

उत्तर

(1) उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. के शेयर होल्डर्स की सूची तैयार की जा रही है, तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(2) जी नहीं। उपनियमानुसार भंडार के लाभ हानि का हिसाब साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

(3) जी नहीं। श्री भगवतसिंह मेहता भूतपूर्व मुख्य सचिव भण्डार के शेयर होल्डर नहीं हैं। अतएव उनको हिसाब बताने का या मताधिकार का अवसर देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(4) जी नहीं। दिनांक 19–7–73 को बिल नम्बर 59674 से 2 किलो पोस्ट–मेन तेल का डिब्बा 26.50 पैसे में नहीं बेचा गया।

जयपुर जिले के राजस्व विभाग में पेंशन और फिक्सेशन के विचाराधीन मामले

45. श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी):

(श्री जयकिशन लाल)
क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले के राजस्व विभाग में कितने पेन्शन और फिक्सेशन के मामले विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त विचाराधीन मामले कब तक निपटा दिये जावेंगे? अब तक उक्त मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के राजस्व विभाग में 48 पेंशन और 77 फिक्सेशन के मामले विचाराधीन हैं। सूची 'अ' और 'ब' संलग्न है।

(2) इनको शीघ्र निपटाने के क्रम में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विलम्ब के कारण प्रत्येक मामले के सामने सूची 'अ' और 'ब' पर अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माण्डलगढ़ जहाजपुर सड़क का निर्माण कार्य

46. श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माण्डलगढ़–जहाजपुर सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ?

(2) उक्त सड़क पर अगस्त, 1973 तक जहाजपुर तहसील तथा माण्डलगढ़ तहसील के क्षेत्रों में कितना कितना काम हो चुका है और इस काम पर अलग अलग कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई है?

(3) उक्त सड़क पर वर्ष 1973–74 के बजट में जो प्रावधान है, उसके अन्तर्गत अगस्त, 1973 तक क्या काम हुआ है?

(4) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) दिसम्बर 1961 में।

(2) अगस्त 1973 तक जहाजपुर तहसील में 13½ मील मैटल व 5 मील ग्रेवल एवम् मांडलगढ़ तहसील में 9 मील मैटल रोड़ निर्माण हुआ है।

इस सड़क पर मास अगस्त 73 तक 13,78,220) रुपया व्यय हुआ है। व्यय आंकड़े तहसीलवार नहीं रखे जाते हैं।

(3) मैटेरियल 6,711 रुपया का एकत्रित हुआ है।

(4) मार्च 1974 तक पूर्ण होने की आशा है।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची)

तहसील राजसमन्द

क्रम संख्या	नाम राज्य कर्मचारी	पद	क्षेत्रफल जो आवंटित किया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री शंकर लाल निवासी राजनगर	अध्यापक	7बी. 2 वि.	–
2.	श्री धर्म नारायण आचार्य निवासी पीपली	अध्यापक	6 बीघा	आवंटित भूमि नहीं लेने से भूमि पर आधिपत्य नहीं है।
3.	श्री पन्नालाल निवासी मोरवण	चपरासी	5 बीघा	–
4.	श्री चुन्नी लाल निवासी मोरवण	,,	,,	–
5.	श्री कन्हैयालाल निवासी राजनगर	आफिस कानूनगो	10 बीघा 10 बिस्वा	–

(अब राज्य सेवा से मुक्त)

तहसील कुम्भलगढ़

6.	श्री वनलोग नि. हमेरपाल	चपरासी	3 बीघा	–
7.	श्री हीरालाल नि. केलवाड़ा	,,	3 बीघा	–
8.	श्री राजसिंह नि. केलवाड़ा	,,	1 बीघा	–

तहसील आमेट

9.	श्री रामसिंह, नि. बीकावास	चपरासी	9 बीघा	–
10.	श्री छगनलाल, नि. आमेट	प्रोसेस सरवर	4 बीघा	–
11.	श्री चांद खां, नि. आमेट	,,	5 बीघा	–
12.	श्री श्रीकृष्ण, नि. आमेट	चपरासी	5 बीघा	–
13.	श्री मोहनसिंह, नि. आमेट	लाइन मैन	9 बी. 14 बि.	आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
14.	श्री शंकरलाल, नि. आमेट	ग्राम सेवक	10 बीघा	–

(अस्थायी होने से सेवा मुक्त)

तहसील रेलमगरा

शून्य

तहसील धरियावद

15. श्री समन्दर खां, नि. धरियावद	प्रोसेस सरवर	5 बीघा	–
16. श्री पूरबीदान नि. नोटोपा	ग्राम सेवक	10 बीघा	–
17. श्री मुखलाल निवासी लसाडिया	चपरासी	9 बी. 8 बि.	–

तहसील बल्लभनगर

शून्य

तहसील मावली

18. श्री गमेरसिंह नि. मावली	कान्सटेबल	15 बीघा	भूमि पर आधिपत्य नहीं सौंपा गया है।
19. श्री गोपालसिंह नि. मावली	,,	15 बीघा	–
20. श्री भैरूसिंह नि. देलवाड़ा	,,	,,	–
21. श्री कैलाशचन्द नि. मावली	,,	,,	–
22. श्री मोहनलाल, नि. खेमली	ड्राईवर कृषि विभाग	8 बीघा	–
23. श्री मांगीलाल नि. मावली	थानेदार पुलिस	,,	–
24. श्री रवि शंकर नि. मावली	अध्यापक पं.स.मावली	10 बीघा	भूमि पर आधिपत्य नहीं दिया गया है।
25. श्री उदयलाल निवासी मावली	कनिष्ठ लि. पं.स.मावली	10 बीघा	,,
26. श्री डूंगरसिंह, निवासी उदयपुर	एस.डी.आई. पं.स. सराडा	10 बीघा	–

सूची उन राज्य कर्मचारियों की जिन्हें तहसील मावली में भूमि का आवंटन किया गया तथा इनके आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु विचाराधीन प्रकरण—

1. श्री गमेरसिंह निवासी मावली	कान्सटेबल पुलिस	15 बीघा	स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण विचाराधीन है
2. श्री भैरू सिंह निवासी देलवाड़ा	,,	15 बीघा	,,
3. श्री उदयलाल निवासी मावली	क. नि. प. स. मावली	10 बीघा	,,
4. श्री डूंगरसिंह निवासी उदयपुर	एस.डी.आई. प.स. सराडा	10 बीघा	,,
5. श्री मांगीलाल निवासी मावली	थानेदार पुलिस	8 बीघा	,,

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

दौसा उपखण्ड सिंचाई विभाग के अधीनस्थ निम्नलिखित बान्ध है। सूची "क"

क्रमांक	बान्ध का नाम		तहसील	कृषि योग्य भूमि एकड़ों में	अनुमानित सिंचाई एकड़ों में	विशेष विवरण
1	2		3	4	5	6
1.	सैंथल	बान्ध	जमवारामगढ़	8,070	4,853	
2.	रामपुरा	,,	दौसा	167	108	
3.	सिनोली	,,	,,	295	177	
4.	हरीपुरा	,,	,,	3,410	2,047	
5.	भांकरी	,,	,,	195	117	
6.	नीमला	,,	जमवारामगढ़	150	90	
7.	रामावाला	,,	,,	100	63	
8.	कालाखो	,,	दौसा	7,604	4,576	
9.	भण्डारी	,,	सिकराय	2,801	1,696	
10.	नाहरखोरा	,,	,,	650	370	
11.	माधोसागर	,,	,,	13,300	7,987	
12.	झिलमिली	,,	दौसा	2,922	1,940	
13.	चुरास	,,	,,	588	280	मिट्टी से भर गया।
14.	पापरड़ा	,,	,,	866	510	
15.	गेटोलाय	,,	,,	3,300	1,982	
16.	नामोलाव	,,	,,	145	87	
17.	पाटन	,,	बस्सी	3,007	1,835	
18.	दक्षिण सागर		लालसोट	390	234	
19.	कुधाडा	,,	बस्सी	750	550	

1	2	3	4	5	6
20.	गुढानाला सागर	बस्सी	425	255	
21.	खेड़ी ,,	,,	100	60	
22.	लालगढ ,,	,,	230	140	
23.	भाजवाड ,,	,,	392	235	
24.	विजय सागर	बसवा	610	364	
25.	उपरेदा	,,	650	380	
26.	धरावन	,,	100	58	
27.	बडियाल	,,	170	102	
28.	गुडामुई	,,	440	135	

वास्तविक सिंचाई बान्धों की भराई के अनुसार है एवं दौसा उपखण्ड के तालाबों की पिछले 10 साल की औसत सिंचाई 10875 एकड़ है।

1-1-73 से अब तक कराये गये कार्यों का विवरण दौसा सिंचाई उपखण्ड सूची 'ब'

क्र सं. 1	बांध का नाम 2	तहसील 3	विशेष विवरण 4
(अ) अकाल राहत कार्य			
1.	दूबली बांध	बस्सी	कार्य अकाल राहत समाप्त होने पर बंद कर दिया गया है।
2.	पृथ्वीपुरा बांध	,,	,,
3.	मानसर खेडी	,,	,,
4.	चरडिया	,,	,,
5.	कुंथाडा बांध	,,	,,
6.	सेवापुरा घाटी बांध	,,	,,
7.	गुढा नाला	,,	,,
(ब) बेरोजगार योजना के अन्तर्गत			
1.	खेयपुरा बांध	बस्सी	कार्य पूरा हो चुका है।

(स) लघु सिंचाई योजना

1	2	3	4
1.	चांदराना बांध	बस्सी	कार्य चालू है। पानी भर गया है।
2.	रैडिया बांध	बसवा	कार्य बजट प्रावधान न होने के कारण बन्द है।

अगस्त, 1972 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों की सूची सूची 'ग'

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	मरम्मत कराने में हुआ व्यय	विशेष विवरण
1.	नाहर खोरा	सिकराय	67,584/-	
2.	माधोसागर	,,	35,650/-	
3.	कालाखो	दौसा	83,249/-	
4.	विजय सागर	बसवा	5870/-	
5.	भण्डारी	सिकराय	11,930/-	
6.	बपरेदा	बसवा	8,515/-	
7.	घपावन	,,	12,021/-	
8.	गुढा मुई	,,	13,760/-	
9.	बढ़ियाल	,,	6,549/-	

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची)

REC SCHEME OF VILLAGES OF JHALRAPATAN OF DISTRICT JHALAWAR

Localities proposed to be electrified under Jhalrapatan Rural Electrification Corporation Scheme.

1ST YEAR

S.No.	Name of the localities	Tehsil
1	Kundikhera	Pachpahar
2	Kharpa	—do—
3	Hatuniya	—do—
4	Morda	—do—
5	Analkheri	—do—
6	Lolra	—do—
7	Mahooriya	—do—
8	Jaswantpura	—do—
9	Sarod	—do—
10	Ranayara	—do—
11	Gangpura	—do—
12	Lasuriya	—do—
13	Bishaiya	—do—
14	Guradi	—do—
15	Semlibhakta	—do—
16	Bakani	—do—
17	Chorkheri	—do—
18	Anwalikhurd	—do—
19	Mehdiyakheri	—do—
20	Khoriya	—do—
21	Tal	—do—
22	Dhablikhurd	Jhalrapatan
23	Nalkheri	—do—
24	Gadari	—do—
25	Ralayata	—do—
26	Kalandikhurd	—do—
27	Ralayati	Jhalrapatan
28	Nordhan Niwas	—do—
29	Nimoda	—do—
30	Undal	—do—
31	Salriya	—do—
32	Karmakheri	—do—
33	Kalakot	—do—
34	Semli	—do—
35	Teetri	—do—
36	Teetwas	—do—
37	Saranga Khera	—do—

2ND YEAR

S.No.	Name of localities	Tehsil
1	Bhanwarsi	Jhalrapatan
2	Bangari	—do—
3	Kishanpura	—do—
4	Piplod	—do—
5	Chandiya Kheri	—do—
6	Jarel	—do—
7	Dhabli Kalan	—do—
8	Tolkhera	—do—
9	Bondal	—do—
10	Beenda	—do—
11	Bali	—do—
12	Nayapura	—do—
13	Badwela	—do—
14	Badwela	—do—
15	Haripura	—do—
16	Panwasa	— o—

17	Toongni	Jhalrapatan	30	Dhabli	Jhalrapatan
18	Khajoorkhurd	—do—	31	Peeplygugran	—do—
19	Dayabhao	—do—	32	Gagiyamer	—do—
20	Kuwabhao	—do—	33	Mohammadpura	—do—
21	Choonabhati	—do—	34	Khajoorikalan	—do—
22	Prithvipura	—do—	35	Kanwarpura	—do—
23	Gordhanpura	—do—	36	Kher Khera	—do—
24	Kodiya	—do—	37	Ananda	—do—
25	Gadiyakhurd	—do—	38	Doongargaon	—do—
26	Jheelapura	—do—	39	Barodiya	—do—
27	Talwariya	—do—	40	Jhirmiya	—do—
28	Kherla	—do—	41	Sahipura	—do—
29	Manpura	—do—			

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

APPENDIX 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
DETAILS REGARDING DIESEL GENERATING SETS OF BARMER POWER HOUSE
PARTICULARS OF THE DIESEL SETS

S. No.	Make	Rated capacity	Year of mfg.	Derated capacity	Condition of the set.
1	2	3 (KW)	4	5 (K W)	6
(A) BARMER OLD POWER HOUSE SET					
1.	LISTER	26 KW	Not available. The set is more than 20 years old.	Nil	The set was taken over from the Municipal Board Barmer. It is very old, Obselete and Unserviceable set. Survey Report Submitted.
2.	LISTER	32 KW	—do—	Nil	—do—
3.	LISTER BLACK STONE	78 KW	1956	Nil	—do—
4.	LISTER BLACK STONE	78 KW	1956	Nil	—do—
5.	M. A. N.	120 KW	1955	Nil	It is very old Obsolete and un serviceable set. Survey Report Submitted.
6.	CUMMINS	KW	Year of mfg. not avilable. Commissioned on 4-4-67	Nil	—do—
7.	CUMMINS	88 KW	Year of mfg. not avilable Commissioned on 14-6-67	Nil	—do—
8.	M. A. N.	640KW	1963	Nil	Survey report being prepared.

1	2	3	4	5	6
9.	M. A. N.	640 KW	1963	200 KW	Survey report being prepared. In working condition. But the sets are wornout requiring heavy repairs and as such run emengency only
10.	Lister Black Stone	268 KW	1956	100KW	—do—
11.	CATTER PILLER	100 KW	1956	50 KW	—do—
12.	CUMMINS	88 KW	Comuissioned in 4-4-67	50 KW	—do—
13.	M. A. N.	179 KW	1956	60 KW	—do—
14.	CATTEER PILLER	50 KW	1956	30 KW	—do—
(B)	BARMER NEW POWER HOUSE				
1.	DEUTZ	100 KW	1963	600 KW	In working condition
2.	DEUTZ	1000 KW	1963	600 KW	—do—

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 8 अक्तूबर, 1973

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	ऊपर से 8	आयुर्धेद	आयुर्वेद
6	नीचे से 7		
17	नीचे से 14	एग्जीक्यूटिव	एक्जीक्यूट
18	नीचे से 1	ओर	ओर से
32	नीचे से 14	में	ने
33	ऊपर से 15	यह	क्या यह
37	ऊपर से 7	हो	———
43	नीचे से 13	अधिकाकारी	अधिकारी
47	नीचे से 8	रल	रल
94	नीचे से 12	प्रनश	प्रश्न
145	नीचे से 17	पाइप	सप्लाई
147	नीचे से 1	सरलस	सरप्लस
148	ऊपर से 12	बेचने	बेचने की तो
149	नीचे से 7	काम्फरैन्स	कान्फरेन्स
153	ऊपर से 14	क्योंकि	क्योंकि इन
154	नीचे से 10	आपने	अपने
181	ऊपर से 1	गुनाममल	गुमानमल
190	नीचे से 6	योगेम्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
193	नीचे से 7	निरंजनाथ	निरंजननाथ
194	नीचे से 4	गेहूं की	गेहूं
195	नीचे से 7	गया वह	—
197	नीचे से 2	देंगे	नहीं देंगे
198	नीचे से 5	निर्मलासिंह	निर्मलाकुमारी
198	ऊपर से 16	लोगों को	—
199	ऊपर से 7	निःस्सदेह	निसंदेह
204	ऊपर से 2	जो	ने
204	नीचे से 11	खेद	ठेस
205	ऊपर से 6	बात	बात में

1	2	3	4
205	ऊपर से 11	की घटना	और आज की घटना
208	ऊपर से 10	और	इससे
210	ऊपर से 5	को	–
212	नीचे से 15	कि हम	कि
214	ऊपर से 5	के पढे	पढे
215	नीचे से 7 व 8 के बीच	––	अनुमति दी गई
216	ऊपर से 1 व 4	(स्वीकृत)	(अस्वीकृत)
216	नीचे से 11	निर्मला सिंह	निर्मला कुमारी
217	शीर्ष	निर्मला सिंह	निर्मला कुमारी
219	शीर्ष	निर्मला सिंह	निर्मला कुमारी
221	शीर्ष	निर्मला सिंह	निर्मला कुमारी
223	शीर्ष	निर्मला सिंह	निर्मला कुमारी
222	ऊपर से 10	वृद्ध	वृद्धि
223	ऊपर से 13	उपाध्याक्ष	उपाध्यक्ष
226	नीचे से 4	तदन्तेर	तदनन्तर
237	ऊपर से 4	करना	करवा